खण्ड-407, अंक-2
बृहस्पतिवार, 7 कार्तिक, शक संवत् 1914
(29 अक्टूबर, 1992 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(ग्यारहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 1992)

खण्ड 407 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1992

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	
रामकोला कांड पर चर्चा किये जाने की मांग	1–2
प्रश्नोत्तर	2–95
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	95
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	95
जनपद जौनपुर की मड़ियाहूं तहसील में स्थित विद्युत सब स्टेशन के फीडरों के क्रास आर्म्स तथा तार बदलवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	96
भू-गर्भ जल विभाग के खण्ड-2 लखनऊ के वर्ष 1983-84 की कैशबुकों में गबन होने की जांच करवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	96
जनपद इलाहाबाद के चायल क्षेत्रान्तर्गत बालिकाओं हेतु जूनियर हाई स्कूल तथा इण्टर कालेज खुलवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	96–97
जनपद अलीगढ़ के सिकन्दरामऊ में बिजली की क्षतिग्रस्त लाइनों से हो रही जन धन की हानि के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	97
जनपद देवरियान्तर्गत तिलक किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कम्हरिया, पड़री बाजार में एक ही व्यक्ति के दो स्थानों पर सेवारत रहने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	97–98
जनपद देवरिया में लोगों के मस्तिष्क ज्वर से मरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	98
सहायक प्रबन्धक उ० प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, बांदा द्वारा की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	98–99
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1992———(सदन के पटल कर रखा गया)	99
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1992––(सदन के पटल पर रखा गया)	99
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) (तृतीय) अध्यादेश, 1992––(सदन के पटल पर रखा गया)	99
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक) (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1992––(सदन के पटल पर रखा गया) ...	99
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1992––(सदन के पटल पर रखा गया)	99
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) (तृतीय) अध्यादेश, 1992———(सदन के पटल पर रखा गया)	99–100
उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अभिवक्ताओ का आबन्धन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1992––(सदन के पटल पर रखा गया)	100

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय) (संशोधन) अध्यादेश, 1992––(सदन के पटल पर रखा गया) ...	100
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1992––(सदन के पटल पर रखा गया)	100
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1992––(सदन के पटल पर रखा गया)	100
उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) अध्यादेश, 1992––(सदन के पटल पर रखा गया)	100
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1992––(सदन के पटल पर रखा गया)	100
उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1992–(सदन के पटल पर रखा गया)	100–101
उत्तर प्रदेश लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) अध्यादेश, 1992–(सदन के पटल पर रखा गया)	101
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1992––(सदन के पटल पर रखा गया)	101
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (चौदहवां संशोधन) नियमावली, 1991––(सदन के पटल पर रखी गयी)	101
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (ग्यारहवां संशोधन) विनियम, 1992––(सदन के पटल पर रखी गयी)	101
उ० प्र० लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (बारहवां संशोधन) विनियम, 1992. ––(सदन के पटल पर रखा गया)	101
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन संख्या-1 (वाणिज्यिक)––(सदन के पटल पर रखा गया)	102
संविधान (छिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1992––(सदन के पटल पर रखा गया)	102
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 1992––(विधान सभा सचिवालय में वापस प्राप्त न होने की सूचना) ...	102
उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन)विधेयक, 1992––(राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	103
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1992––(राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	
दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1992––(राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की सूचना)	103
उत्तर प्रदेश विधि (हरियाणा से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) विधेयक, 1989––(राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की सूचना) ...	103

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश भवन और भूमि उपयोग विनियमन (नाभिकीय प्रतिष्ठापन क्षेत्र) विधेयक, 1988—(अधिनियम बन गया) (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की सूचना)	103–104
उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन—(प्रस्तुत किया गया)	104
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव—(स्वीकृत) ...	104–105
उत्तर प्रदेश नर्सेज एण्ड मिडवाइब्ज कौंसिल में कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव—(स्वीकृत) ...	105–106
उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये विधान सभा के चार सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव—(स्वीकृत) ...	106
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव —(स्वीकृत)	106
उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992—(पुरः स्थापित) ...	107
उत्तर प्रदेश लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, 1992—(पुरः स्थापित) ...	107
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992—(पुरः स्थापित)	107
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	108
जनपद मऊ के थाना मधुबन के अन्तर्गत हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में हुए शहीदों की यादगार में शहीद स्मारक का निर्माण किये जाने के संबंध में संकल्प पर चर्चा———(जारी)	108
उत्तर प्रदेश की सरकारी/अर्द्ध सरकारी एवं सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं की नौकरियों में आरक्षण कोटा न पूरा करना संज्ञेय अपराध माने जाने के संबंध में संकल्प पर चर्चा—(जारी)	108
अन्य असरकारी संकल्प	108–109
वित्तीय वर्ष 1992-93 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण—(प्रस्तुत किया गया)	109
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	109
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव—(स्वीकृत)	110–111
नत्थियां	112–123

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 29 अक्टूबर, 1992

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:–

अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	बनवारी सिंह, श्री	बदायूं
अमर नाथ यादव, श्री	वाराणसी	बाबू खां, श्री	हरदोई
अरविन्द कुमार, डा०	ललितपुर	बी० के० गुप्ता, श्री	पीलीभीत
अशोक कुमार, श्री	लखनऊ	बैजनाथ रावत, श्री	बाराबंकी
ऊदल, श्री	वाराणसी	ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री	फर्रुखाबाद
किशन लाल दिलेर, श्री	अलीगढ़	भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री	लखनऊ
कृष्ण कुमार, श्री	फतेहपुर	मदन भैया, श्री	मेरठ
कृष्ण कुमार उर्फ के० के० राज, श्री	इटावा	मनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद	मोहम्मद मुकीम, श्री	सिद्धार्थनगर
गोमती प्रसाद, श्री	लखनऊ	रमेश बहादुर सिंह, श्री	प्रतापगढ़
घनश्याम शुक्ल, श्री	गोण्डा	राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
जे० पी० सिंह मेजर, श्री	मुरादाबाद	राम सरन वर्मा, श्री	पीलीभीत
ज्ञान चन्द्र, श्री	उत्तर काशी	राम सरन सिंह, श्री	अलीगढ़
दिनेश जौहरी, डा०	बरेली	लालचन्द, श्री	जौनपुर
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
धर्मपाल यादव, उर्फ		विजय सिंह राणा, श्री	आगरा
डी० पी० यादव, श्री	बुलन्दशहर	वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
नारायण दत्त तिवारी, श्री	नैनीताल	सरजीत सिंह डंग, डा०	निर्जापुर
निर्वेन्द्र कुमार, श्री	खीरी	सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
प्रभा शंकर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद	हनुमन्त सिंह, श्री	गोण्डा
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़	हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार दिनांक 29 अक्टूबर 1992

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

रामकोला काण्ड पर चर्चा किये जाने की मांग

[नत्थी (क) अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 पुकारे जाने पर सम्पूर्ण विपक्ष के सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया]

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग स्थान ग्रहण करें और जो कुछ कहना है, वह अपने नेताओं के माध्यम से कहें ।

(विपक्ष के सभी सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े रहकर अपनी-अपनी बात कहते रहे, जिससे घोर व्यवधान होता रहा)

मेरा निवेदन यह है कि आप लोगों को जो कुछ कहना है, वह अपने-अपने नेतागण के माध्यम से कह दें । बात सुनकर मैं अपना निर्णय दे दूंगा।

(इस पर विपक्ष के कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे) [X X X]

(घोर व्यवधान के मध्य)

मैं सदन को 11.30 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात् 11 बजकर 4 मिनट पर सदन की कार्यवाही 11 बजकर 30 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी गयी ।

11 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजे तक के लिये बढ़ा दिया है । 12 बजे मार्शल ने पुनः सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 10 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है ।

12 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य अपना अपना आसन ग्रहण करें ।

(घोर व्यवधान के मध्य सर्व०श्री सुखबीर सिंह गहलौत, अशोक सिंह, स्वामी नाथ सिंह यादव, पूरन प्रकाश, शिवकुमार बेरिया, विशम्भर प्रसाद निषाद, नसीमउद्दीन सिद्दीको आदि बहुत से विपक्षी सदस्य सदन के वेल में आकर नारे लगाने लगे ।) [x x x]

नोट :— [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

आप लोग अपने-अपने स्थान पर जायें । माननीय सदस्य अपना अपना स्थान ग्रहण करें । आप लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें ।

(विपक्षी दल के बहुत से सदस्य सदन के वेल में नारे लगाते रहे ।)

मा० सदस्य अपना-अपना स्थान ग्रहण नहीं कर रहे हैं इसलिये मैं सदन की कार्यवाही 12.30 बजे (अपराह्न) तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात् 12 बजकर 13 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजकर 30 मिनट तक के लिय स्थगित कर दी गयी ।)

प्रश्नोतर

(अल्पसूचित तारांकित प्रश्न)

नदियों की बाढ़ से पीड़ित ग्रामों का पुनर्वासन

**1–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नदियों की होने वाली बाढ़ की कटान से पीड़ित ग्रामों के पुनर्वास के संबंध में शासन की क्या नीति है ? क्या शासन को जानकारी है कि जनपद बांदा के परगना बांदा में केन नदी के कटान/बाढ़ से लगभग 40 ग्राम पूर्णत: ध्वस्त हो गए हैं और लगभग 26 लोगों की जानें गयी हैं ? यदि हां, तो इनके पुनर्वास व सहायता संबंधी कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

नदियों के बाढ़ के कटान से पीड़ित ग्रामों के पुनर्वास हेतु यदि गांव सभा की भूमि उपलब्ध हो तो नियमानुसार पात्र व्यक्तियों को आवंटन की कार्यवाही की जाती है । अगर न उपलब्ध हो तो 1948 ई० का संयुक्त प्रान्तीय सम्पत्ति के हस्तगत करने का बाढ़ सहायक अस्थायी अधिकार अधिनियम व भूमि अध्याप्ति अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत भूमि अध्याप्ति करके भी की जाती है ।

जी हां । केन नदी की बाढ़ से बांदा तहसील के 29 ग्राम व बांदा नगर के 10 मोहल्ले तथा नरैनी तहसील के 9 ग्राम अत्यधिक प्रभावित हुए हैं और यह सही है कि बांदा तहसील में 26 लोगों की मृत्यु बाढ़/दीवाल आदि गिरने से हुई है ।

बाढ़ पीड़ितों को सहायता व पुनर्वास के सम्बन्ध में प्रभावित परिवारों को अहेतुक सहायता गृह अनुदान व अनुग्रह अनुदान का वितरण तत्परता से किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त खाद्यान्न, त्रिपाल व कम्बल आदि का वितरण किया जा रहा है । वन विभाग का डिपो खोलकर बिना लाभहानि के (नो प्राफिट नो लास पर) बल्लियों का विक्रय किया जा रहा है ।

इसके अतिरिक्त जो ग्राम बाढ़ से बार-बार प्रभावित हो रहे हैं, उन्हें ऊंचाई वाले स्थलों पर बसाने के लिए ग्राम सभा से गांव सभा की भूमि अथवा काश्तकारों की भूमि से गांव सभा की भूमि की नियमान्तर्गत अदला-बदली कराकर भूमि उपलब्ध कराने सम्बन्धी भी व्यवस्था सर्वेक्षणोपरान्त किये जाने हेतु जिला अधिकारी को निर्देश दिये जा चुके हैं ।

नोट:–प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 41 के अनुसार सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

उ० प्र० राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिये जाने का आदेश जारी करने की मांग

**2–श्री सुरेन्द्र सिंह तथा श्री राम पाल वर्मा–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 1-7-92 से 83 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश कर दिया है ? यदि हां, तो समानता के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता का आदेश अब तक जारी न किए जाने का क्या कारण है ? यह आदेश कब तक जारी कर दिए जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

जी हां ।

राज्य कर्मचारियों को भी उक्त महंगाई भत्ता देने के बारे में विचार किया जायेगा ।

यथाशीघ्र इस मामले में निर्णय लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद मेरठ के सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कतिपय अध्यापकों के अवशेष देयों के भुगतान की मांग

*1–श्री चरन सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा जनपद मेरठ की सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के 42 अध्यापकों को वर्ष 1986 से उनके वेतनमान पुनरीक्षित होने के बाद से अब तक उन्हें अवशेष वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इन अध्यापकों के अवशेष देयों का शीघ्र भुगतान करायेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

समाज कल्याण एवं महिला कल्याण मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)–

जी हां ।

प्रस्ताव परीक्षणाधीन है ।

परीक्षणोपरान्त यथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निदेशक, समाज कल्याण द्वारा संचालित स्वैच्छिक संस्थाओं को स्वीकृत अनुदान का भुगतान करने की कार्यवाही

*2–श्री अभिमन्यू सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1988-89 में निदेशक, समाज कल्याण द्वारा शिशुओं के कल्याणकारी कार्यक्रम हेतु 34 स्वैच्छिक संस्थाओं को स्वीकृत 1.63,000 रुपये के अनुदान का भुगतान संबंधित संस्थाओं को अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस गम्भीर लापरवाही तथा उदासीनता के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी संबंधित 34 संस्थाओं को स्वीकृत अनुदान का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 1991-92 में दिनांक 31-3-92 तक कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रकरण विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद की तहसील-बीकापुर के ग्राम सभा-पूरे लाल खां की भूमि पर जनपद सुल्तानपुर के निवासियों द्वारा कब्जा करने की शिकायत पर कार्यवाही

*3–श्री इन्द्रपाल सिंह तथा डा० जी० एस० विनोद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद की तहसील बीकापुर में आने वाली ग्राम सभा पूरे लाल खां की कितनी भूमि गोमती नदी की कटान से कट करके जनपद सुल्तानपुर में चली गयी है ? क्या उक्त भूमि पर जनपद सुल्तानपुर के निवासियों द्वारा कब्जा करके फसल बोई गई है जब कि लगान उसी ग्राम के वासियों द्वारा दिया जा रहा हैं ? क्या सरकार कटी हुई भूमि की पैमाइश करवाकर उक्त भूमि को ग्राम सभा पूरे लाल खां जिला फैजाबाद के निवासियों को वापस करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रामपति शास्त्री–

जिलाधिकारी फैजाबाद से प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत ग्राम पूरे लाल खां की 667 बीघा 4 बिस्वा भूमि वर्ष 1971 से 84 तक की अवधि में गोमती नदी के मार्ग परिवर्तन/कटान से प्रभावित हुयी है, जिसमें 597 बीघा 14 बिस्वा 5 बिस्वांसी भूमि नदी के दक्षिण जनपद सुल्तानपुर की ओर चली गयी है ।

सुल्तानपुर की तरफ गई भूमि में से लगभग 80 बीघे भूमि पर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया गया है, लगभग 30 बीघे भूमि पर जनपद सुल्तानपुर के निवासियों द्वारा कृषि कार्य किया जाता है । शेष भूमि पर घास फूस उगते हैं । गोमती नदी की कटान से प्रभावित भूमि में से 128 बीघा 4 बिस्वा भूमि गांव सभा की है तथा शेष 539 बीघे भूमि काश्तकारों की है जिसके भू-राजस्व में अनुपातिक छूट/माफी प्रदान करने के आदेश पारित कर दिये गये हैं ।

जनपद फैजाबाद के प्रभावित ग्राम पूरे लाल खां तथा जनपद सुल्तानपुर के ग्राम मऊ अवतारा की सीमा का पुनर्निर्धारण कराकर ग्राम पूरे लाल खां के कृषकों को उनकी भूमि का कब्जा यथाशीघ्र दिलाये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[बृहस्पतिवार, दिनांक 29 अक्टूबर, 1992 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जनपद इटावा के ज्ञानपुर, इमामअली और औरैया ग्रामों की सड़क निर्माण हेतु अर्जित की गई भूमि के प्रतिकर का निर्धारण

*1–श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ज्ञानपुर इमामअली, औरैया, इटावा में सड़क निर्माण हेतु अर्जित की गयी भूमि के प्रतिकर निर्धारण हेतु माह नवम्बर/दिसम्बर, 1991 में अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व (भूमि अध्याप्ति अधिकारी), इटावा द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया था यदि हां, तो इस पर

निरीक्षण के उपरान्त प्रश्नगत क्षेत्र, गाटा संख्या-42 के प्रतिकर हेतु क्या दरें प्रस्तावित की गयीं ? क्या ये दरें अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के पत्र दिनांक 28 फरवरी, 1992 में दिये गये स्टैम्प पंजीयन हेतु बाजार मूल्य के अनुरूप हैं ? यदि नहीं, तो क्यों तथा इस भूमि नम्बर की दरें अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के उक्त संदर्भित पत्र में दी गयी दरों से भिन्न प्रस्तावित किये जाने का क्या कारण एवं आधार रहा है ? क्या स्थल निरीक्षण के उपरान्त घोषित अभिनिर्णय में उक्त प्रतिकर का आधार निर्धारित बाजार मूल्य पर स्वीकार किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि अपर जिलाधिकारी के संदर्भित पत्र में तथा उप निबंधक, औरेया के पत्र दिनांक 25 फरवरी, 1992 में प्रश्नगत क्षेत्र का बाजार मूल्य 30.00 रु० प्रति वर्ग फिट की दर से स्वीकार किया गया है ? यदि हां, तो इस दर पर अभिनिर्णय स्वीकार किये जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

प्रतिकर की दर रु० 1.42.533.03 प्रति एकड़ निर्धारित की गयी है ।

जी नहीं, स्टाम्प एक्ट के अन्तर्गत निर्धारित दरों का भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत चयनित दरों से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

भूमि अर्जन अधिनियम एक केन्द्रीय अधिनियम है और इसमें वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रचलित बाजार दर पर ही प्रतिकर का निर्धारण किया जाता है ।

प्रतिकर का निर्धारण भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1894 को धारा–23 के अन्तर्गत बाजार मूल्य के आधार पर किया जाता है । स्टाम्प की दरों से जैसा कि संदर्भित दोनों पत्रों में अंकित है, का प्रतिकर निर्धारण से कोई सीधा संबंध नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय निर्माण निगम मुख्यालय के सहायक प्रबंधक (श्री हुमायू नदीम) के विरुद्ध शिकायतों की जांच आख्या के आधार पर चेतावनी दिया जाना

*2–श्री कृष्ण किंकर सिंह, श्री ओम प्रकाश (गोरखपुर) तथा श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 8 मई, 1992 को राजकीय निर्माण निगम मुख्यालय के सहायक प्रबन्धक (श्री हुमायू नदीम) के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र कतिपय मा० सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित, मंत्री के ही कार्यालय में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार उस शिकायती पत्र को मद्देनजर रखते हुए उक्त सहायक प्रबन्धक को तत्काल निलम्बित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राम कुमार वर्मा)–

जी हां ।

पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है ।

श्री एच० नदीम के विरुद्ध पूर्व में प्राप्त शिकायतों की जांच आख्या के आधार पर उन्हें पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है जिसकी सूचना सदन को प्रथम सत्र के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं०–78 व 180 के उत्तर में दी जा चुकी है । उनके विरुद्ध कतिपय अन्य शिकायतों के संबंध में प्रबन्ध निदेशक

से प्राप्त आख्या के आधार पर शिकायतीपत्र में वर्णित आरोप निराधार पाये गए । इसलिए कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ- 112 पर)

नये जनपद गठन करने के मानक एवं विचाराधीन प्रस्तावों की जानकारी

*3–श्री बच्चा पाठक–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नये जनपद गठन करने के लिये कोई मानक बनाया गया है ? यदि हां, तो वे मानक क्या हैं ? क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन नये जनपदों का प्रस्ताव राजस्व परिषद् में विचाराधीन हैं ? क्या जो नये जनपद बने हैं, उनका रकबा व आबादी बताने की कृपा करेंगे ? क्या जनपद फैजाबाद में अकबरपुर को जो वर्ष 1977-78 की मंत्रिमण्डल की बैठक में जिला बनाने के लिए प्रस्तावित था, शासन द्वारा बनाये गये मानक में आ रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां, नए जनपद गठन के लिए अध्यक्ष राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति पर नए जनपद के गठन पर शासन स्तर पर विचार किया जाता है । समिति के द्वारा जनपद के गठन के संदर्भ में प्रशासनिक दक्षता, जन सुविधा, क्षेत्र, औद्योगिक तथा विकास सम्बन्धी आवश्यकता, भौगोलिक स्थिति एवं अन्य सुसंगत पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित मानकों के आधार पर नए जनपद के गठन पर विचार किया जाता है । उल्लेखनीय होगा कि नये जनपद के गठन के लिये निम्न मानक निर्धारित किया गया हैं :–

(1) 1991 की जनगणना के आधार पर आबादी न्यूनतम 15 लाख हो ।

(2) न्यूनतम क्षे० 5000 वर्ग कि०मी० हो ।

(3) विकास खण्डों की न्यूनतम संख्या 10 हो ।

(4) तहसीलों की न्यूनतम संख्या 3 हो ।

(5) थानों की न्यूनतम संख्या 10 हो ।

(6) लेखपालों की न्यूनतम संख्या 300 हो ।

राजस्व परिषद् से अद्यतन प्राप्त सूचनानुसार सम्प्रति किसी भी नये जनपद के सृजन का प्रस्ताव राजस्व परिषद् में विचाराधीन नहीं है ।

नये जनपदों का रकबा व आबादी संलग्न सूची "क" में अवलोकनीय है ।

इस प्रकरण में अध्यक्ष राजस्व परिषद् के अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विचार किया गया जिसमें इस नये जनपद के सृजन का औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 113 पर)

*4–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[नवें मंगलवार में ता० प्र० सं० 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद अलीगढ़ के महत्वपूर्ण मार्गों का राज्य सेक्टर योजना के अन्तर्गत निर्माण

*5—श्री दलवीर सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण अर्धनिर्मित मार्ग चन्डौस से डांवर स्टेशन-चन्डौस से कसेरू, चन्डौस से रामपुर शाहपुर, बरका मार्ग, गभाना से बरौली मार्ग जी० टी० रोड से कलवा कासिमपुर से सुनामयी तथा जवां समेहरा सुमाना मार्ग (जनपद अलीगढ़) को राज्य सेक्टर में निर्माण करने हेतु शासन विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम कुमार वर्मा—

प्रश्नगत क्षेत्र के निम्नलिखित महत्वपूर्ण मार्ग उनके सम्मुख अंकित योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हैं तथा कार्य प्रगति में हैं :—

मार्ग का नाम	योजना
1—चन्डौस से डावर स्टेशन मार्ग	(जिला)
2—चन्डौस से कसेरू मार्ग	(जिला)
3—चन्डौस से रामपुर शाहपुर बरका मार्ग	(जिला)
4—गभाना से बरौली मार्ग	(राज्य)

निम्न तीन मार्ग अभी स्वीकृत नहीं हैं । अतएव निर्माण करने का प्रश्न नहीं उठता :—

1—जी०टी०रोड से कलवा मार्ग

2—कासिमपुर से सुनामयी मार्ग

3—जवां सुमेहरा सुनाना मार्ग

प्रश्न नहीं उठता ।

सघन पशु विकास खण्ड लखनऊ के वर्तमान उप निदेशक के विरुद्ध लगाये गये आरोप एवं की गयी कार्यवाही का विवरण

*6—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र तथा श्री कटार सिंह—

क्या पशुधन मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ के वर्तमान उप-निदेशक, सघन पशु विकास खण्ड, लखनऊ के वर्तमान तैनाती के पूर्व उप-निदेशक, फैजाबाद के रूप में दवाओं की खरीद में भारी घपला करने तथा कुछ अन्य भ्रष्टाचारों के कारण निलम्बित किये गये थे? यदि हां, तो उनके ऊपर आरोप क्या-क्या थे ? क्या वे सभी आरोप असत्य पाए गए अथवा अन्य किसी आधार पर उन्हें पुनः बहाल करके लखनऊ जैसे महत्वपूर्ण शहर में इतने महत्वपूर्ण पद पर तैनात कर दिया गया है ? क्या यह सही है कि विगत जुलाई, 1991 में श्री आद्या प्रसाद शुक्ल, पशु औषधिक, सोहरामऊ, उन्नाव को लखनऊ शहर में नवसृजित किसी अस्पताल में समायोजित करने संबंधी पशुधन विकास राज्य मंत्री के आदेश जिसका हवाला तत्कालीन निदेशक ने देकर इस उप निदेशक को स्थानान्तरण करने का आदेश दिया था, उसका भी पालन इस उपनिदेशक द्वारा नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इस उप निदेशक को तत्काल निलम्बित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन, दुग्ध विकास तथा मत्स्य राज्य मंत्री (श्री उमानाथ सिंह)–

जी. हां ।

डा० सिंह के ऊपर निम्नलिखित आरोप थे:–

1–डा० उदयभान सिंह के प्रक्षेत्र के कार्यकाल में रु० 15,433.60 के कूपन पर दूध का वितरण पाया गया किन्तु अभिलेखों से कूपन सत्यापित नहीं हो पाया ।

2–डा० सिंह के प्रक्षेत्र के कार्यकाल में रु० 1022.30 के मूल्य के दूध की आपूर्ति फर्जी कूपन पर किया गया ।

3–दिनांक 19-5-83 को प्रक्षेत्र के भौतिक सत्यापन के समय रु० 2600/- पुस्तक मूल्य के 4 पशु कम पाये गये ।

4–डा० सिंह के उप निदेशक, गोरखपुर के कार्यकाल में उनके द्वारा 34 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति में गम्भीर अनियमिततायें पाई गईं ।

5–रु० 46.51 लाख प्राविधानित बजट के विपरीत डाक्टर सिंह द्वारा निजी स्वार्थ हेतु रु० 55.66 लाख व्यय किये गये । इस प्रकार डा० सिंह द्वारा गोरखपुर के कार्यकाल में स्वीकृत धनराशि से रु० 9.12 लाख अधिक व्यय करके गम्भीर अनियमितता की गई ।

6–डा० सिंह द्वारा दिनांक 31-7-79 से रिक्त चल रहे, अवर अभियन्ता के रिक्त पद को दिनांक 12-12-79 को भर दिया गया जबकि वित्त विभाग के शासनादेश के अनुसार प्रश्नगत पद समर्पित माना जाना चाहिए ।

7–डा० सिंह द्वारा गोरखपुर के कार्यकाल में बिना प्रायोजना अधिकारी के मांग पत्र (इण्डेंट) के रु० 73,205.22 की धनराशि की दवायें निजी स्वार्थ हेतु खरीदी गईं ।

8–डा० सिंह द्वारा गोरखपुर के कार्यकाल में रु० 29,000/- के 37 अक्षम पड़वे/ बछड़े क्रय कराये गये ।

डा० सिंह द्वारा गोरखपुर के कार्यकाल में श्री हरि नारायण कनिष्ठ लिपिक की सेवा से बाहर रहे अवधि दिनांक 2-6-73 से 31-6-76 तक की अवधि के वेतन आदि का अनियमित भुगतान किया गया।

जांच अधिकारी की जांच आख्या पर सम्यक विचारोपरान्त अनुशासनिक कार्यवाही विचाराधीन रखते हुए उन्हें सेवा में पुनर्स्थापित कर दिया गया है । अन्य बिन्दुओं पर कार्यवाही विचाराधीन है ।

जी हां ।

श्री शुक्ल को लखनऊ शहर में पदस्थ किया गया था, किन्तु उनकी प्रार्थना एवं माननीय राज्य मंत्री पशुधन से हुये विचार विमर्श के अनुपालन में उन्हें पशु चिकित्सालय नगराम (लखनऊ) में पदस्थ किया गया । पुनः माननीय पशुधन राज्य मंत्री जी के आदेशानुसार श्री शुक्ल को पशु चिकित्सालय हैबलक रोड पर पदस्थ किया गया है जो लखनऊ शहर में स्थित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद की तहसील-अकबरपुर के ग्राम-लोरपुर की निवासिनी श्रीमती नूरजहां के अनुदान सम्बन्धी पत्र की खोज

*7–श्री बंशीधर राज–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त विभाग के निदेशालय द्वारा अपने पत्र संख्या–3986-87/48/49/अनुदान/ह० स० क०/विकलांग विधवा अनुदान 90-91 दिनांक 17-12-90 द्वारा कुछ धन जनपद फैजाबाद, तहसील अकबरपुर के ग्राम लोरपुर की निवासिनी को स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो कितना ? क्या यह सही है कि उक्त स्वीकृत धन सम्बन्धित महिला को नहीं मिला ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि उक्त धन को सम्बन्धित महिला को न मिलने के संबंध में दिनांक 30-10-91 को कोई पत्र उक्त तहसील के पूर्व विधायक द्वारा निदेशक, समाज कल्याण विभाग को भी लिखा गया था ? क्या उक्त पत्र का उत्तर सम्बन्धित पूर्व विधायक को उनकी जानकारी के लिये दिया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

निदेशालय के पत्र सं०–3986-87/48-49/अनुदान/हसक/विकलांग विधवा अनुदान/90-91, दिनांक 17-12-90 द्वारा जनपद फैजाबाद तहसील अकबरपुर के ग्राम लोरपुर की निवासिनी श्रीमती नूरजहां के प्रार्थना-पत्र को आख्या हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी, फैजाबाद को भेजा गया था । श्रीमती नूरजहां को कोई धन स्वीकृत नहीं किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संदर्भित पत्र की खोजबीन की जा रही है ।

प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि रोकने हेतु ग्राम स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन

*8–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 15 जुलाई, 1991 से 15 जून, 1992 तक आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ? क्या इस मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए शासन द्वारा कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद तथा श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री बाल चन्द्र मिश्र)–

15 आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में विवरण संलग्न है ।

प्रदेश सरकार का प्रयास है कि यथासम्भव महंगाई का कुप्रभाव आम नागरिकों पर कम किया जाये। ऐसा करने के लिये एक ओर जन वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत इन वस्तुओं की उपलब्धता आवश्यक है, दूसरी ओर वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ एवं व्यवस्थित बनाना है । चूंकि इन वस्तुओं की उपलब्धता केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये आवंटन पर निर्भर रहती है अतः प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार से प्रदेश के लिये इन सभी वस्तुओं का आवंटन पर्याप्त मात्रा में करने का अनुरोध किया जाता रहा हैं । इसके साथ-साथ वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं । काला-बाजारी, जमाखोरी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के

अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है । 1 अगस्त, 1991 से 31 दिसम्बर, 1991 तक की अवधि में 2.7 करोड़ फर्ज़ी यूनिट्स निरस्त किये गये । 18 नगरों में "डोर स्टेप डिलीवरी" योजना लागू की गयी । प्रदेश के 9 अन्य नगरों में भी "डोर स्टेप डिलीवरी" योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है । जिले, ब्लाक व ग्राम सभा स्तर पर सतर्कता समितियां गठित करने के आदेश दिये गये हैं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 114 पर)

*9–श्री फरीद महफूज किदवई–

[छठे मंगलवार में ता० प्र० सं० 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फैजाबाद की तहसील-बीकापुर के परगना-खण्डासा, ग्राम-नरसड़ा के अनुसूचित जाति/पिछड़ी जातियों को भूमि आवंटन हेतु भूमि प्रबन्धक समिति को पुनः प्रस्ताव बनाने का निर्देश

*10–श्री राम स्वरूप वर्मा तथा श्री भगवन्त प्रसाद–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम-नरसड़ा, परगना खण्डासा, तहसील बीकापुर, जनपद फैजाबाद के अनुसूचित जातियों/पिछड़ी जातियों के 44 व्यक्तियों को भूमि आवंटन हेतु दिनांक 23 जनवरी, 1992 के हुई भूमि प्रबन्धक समिति, ग्राम सभा भानूडीह की बैठक में कोई प्रस्ताव पारित कर नायब तहसीलदार, बीकापुर को प्रेषित किया गया है ? यदि हां, तो उक्त संदर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? उपरोक्त 44 व्यक्तियों को मौके पर नाप कर उक्त आबंटित भूमि पर कब्जा दिला दिया गया ? यदि हां, तो कब ?

श्री रमापति शास्त्री—

जी हां ।

भूमि प्रबंधक समिति का प्रस्ताव दि० 23-1-1992 की जांच नायब तहसीलदार, बीकापुर से कराई गई । जांच में प्रस्ताव अनियमित पाये जाने के कारण उक्त प्रस्ताव को दिनांक 12-8-1992 को परगनाधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया । प्रस्ताव पुनः बनाने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं ।

जी नहीं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

* 11 श्री सुरेश प्रताप गांधी—

[8वें सोम में ता० प्र० सं० 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश हेतु कोयले का निर्धारित कोटा

* 12 श्री श्याम देव राय चौधरी—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश का रेल द्वारा मंगाया जाने वाला कोयला सत्र अप्रैल-जून, 1992 का 210 रैकों का कोटा किन कारणों से रोककर अब तक रखा गया है ? क्या इससे भविष्य में प्रदेश के अन्दर कोयले का घोर अभाव पैदा होगा ? यदि हां, तो इसके लिये शासन क्या उपाय कर रहा है ?

श्री बाल चन्द्र मिश्र—

अप्रैल-जून, 1992 के त्रैमास के लिये रेल द्वारा आयात किये जाने वाले स्लैक कोल की स्पांसरिंग करने से पूर्व ही मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न स्थगन आदेशों के कारण उक्त अवधि में

स्लैक कोल के आयात करने हेतु कोई स्पांसरिंग किया जाना सम्भव नहीं हो सका । स्थगन आदेशों की अवधि समाप्त होने के तुरन्त बाद उक्त त्रैमास के लिये निर्धारित 210 रैकों के कोटे की स्पांसरिंग दिनांक 8-8-1992 को कर दी गई है ।

विलम्ब से हुई स्पांसरिंग के कारण प्रदेश में कोयले का अभाव न पैदा हो इसके लिये कोल इण्डिया लि० तथा अधिशाषी निदेशक (रेल संचालन) कलकत्ता से अनुसरण किया जा रहा है ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड-प्रतापनगर के ग्राम-मुखेम में भूकम्प से हुई क्षति से भूकम्प पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने की मांग

* 13 श्री लाखी राम जोशी—

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम-मुखेम, विकास खण्ड प्रतापनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल में भूकम्प से हुई क्षति का आंकलन करने हेतु तीन-तीन जांच समितियां गयी थीं ? यदि हां, तो क्षति के आंकलन के लिये अन्तिम जांच समिति में कौन-कौन अधिकारी थे तथा उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को कब सौंपी ? क्या उस रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा भूकम्प पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहयोग वितरित कर दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री—

जी हां । जांच समितियां नहीं वरन् दो संयुक्त जांच दल गये थे । ग्राम मुखैम में भूकम्प से हुई निजी सम्पत्ति के क्षति की जांच तीन बार अलग-अलग अधिकारियों द्वारा करवाई गयी ।

भूकम्प से हुए क्षति का आंकलन अन्तिम बार मंसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण के एक अधिकारी तथा डिप्टी कलेक्टर, सहारनपुर के जांच दल द्वारा किया गया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 1991 के अन्तिम सप्ताह में तत्कालीन जिलाधिकारी को प्रस्तुत की थी ।

उक्त अन्तिम जांच दल के द्वारा की गई जांच त्रुटिपूर्ण पायी गयी और उस आधार पर राहत वितरण नहीं किया जा सकता था । अतः प्रकरण को मण्डलायुक्त गढ़वाल मंडल को जांच कर निस्तारित करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है ।

* 14 श्री कृष्ण कुमार नवमान—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद गोण्डा में राप्ती नदी के पिपराघाट पर पक्का पुल बनाने की मांग

* 15–श्री समीउल्ला—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में राप्ती नदी पर पिपरा घाट का पुल (पक्का) बनाये जाने का प्रस्ताव विगत कई वर्षों से लम्बित पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो क्या वर्तमान समय में उक्त प्रस्तावित पुल का कार्य प्रारम्भ कराने का आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम कुमार वर्मा—

प्रश्नगत सेतु के निर्माण को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश दिनांक 17-4-86 द्वारा प्रदान की गयी थी लेकिन संसाधनों के अभाव में 5 वर्ष तक कार्य प्रारम्भ न होने के कारण वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-6 के प्रस्तर-380 के अनुसार स्वीकृति स्वतः व्यपगत हो गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में प्रति नियुक्ति पर आये अधिकारियों/कर्मचारियों का संविलियन

*16–श्री बनवारी लाल दोहरे––

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों/निगमों से प्रति नियुक्ति पर निगम में आये किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों का संविलियन 31 मई, 1992 तक निगम में कर लिया गया है ? संविलियन किये गये कर्मचारियों/अधिकारियों में किस-किस के ऊपर उनके मूल विभाग में विभिन्न गम्भीर जांचें लम्बित थीं ? क्या इसके संविलियन में शासनादेशों का पूर्णतः पालन किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम कुमार वर्मा––

लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों/निगमों से प्रतिनियुक्ति पर आये 8 अधिकारियों/कर्मचारियों का संविलियन 31 मई, 1992 तक निगम में कर लिया गया है ।

विवरण संलग्न है ।

उक्त संविलियन किये गये कर्मचारियों/अधिकारियों के ऊपर उनके मूल विभाग में विभिन्न गंभीर जांचों के लम्बित होने की कोई सूचना नहीं है ।

इनके संविलियन में शासनादेशों एवं प्रचलित नियमों का पूर्णतः पालन किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 115 पर)

जनपद गढ़वाल में भूकम्प से पीड़ित पशुओं के लिए पशु पालन विभाग द्वारा मिनरल मिक्सचर की खरीद

* 17–श्री तेजभान सिंह––

क्या पशुधन मंत्री को जानकारी है कि गढ़वाल में आये भूकम्प में भूकम्प पीड़ित पशुओं के लिये चारे की व्यवस्था हेतु राहत कोष से पशुपालन विभाग को 1.25 करोड़ धन आवंटित किया गया था ? उक्त राहत कोष से पशुओं के लिये कौन सा और कितना चारा खरीदा गया ? क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा आवंटित राशि से चारा न खरीद कर मिनरल मिक्सकर एवं दवाइयों का क्रय किया गया ? यदि हां, तो इसके लिये किस अधिकारी ने संस्तुति दी थी ? मिनरल मिक्सचर का क्रय क्या तर्क संगत था ? उक्त मिनरल मिक्सर कब खरीदा गया तथा कब बांटा गया ? उक्त मिक्सचर की खरीद किस अधिकारी द्वारा की गयी तथा क्या वे इसके लिये प्राधिकृत थे ? क्या इस मामले की संसदीय दल से जांच करवायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उमानाथ सिंह––

गढ़वाल क्षेत्र में आये भूकम्प से पीड़ित पशुओं की चारे की व्यवस्था हेतु पशुपालन विभाग को कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी थी ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

पशुपालन विभाग को पशुओं के लिये मिनरल मिक्सचर तथा फीड सप्लीमेन्ट क्रय हेतु 50.00 लाख रु० तथा मृत पशुओं के शव निस्तारण तथा बीमार पशुओं के उपचार हेतु औषधि आदि के क्रय हेतु

75.00 लाख रु० की धनराशि दैवी आपदा राहत निधि से स्वीकृत की गयी जिसे क्रय कर भूकम्प पीड़ित जनपदों में बाटा गया ।

मा० राजस्व मंत्री जी की अध्यक्षता में उत्तरकाशी में भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों की आवश्यकता तथा राहत कार्यों की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक में पशुओं को कुपोषण से बचाव तथा उनकी उत्पादन क्षमता बनाये रखने हेतु मिनरल व फीड सप्लीमेन्ट की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया था । इस बैठक में पशुपालन विभाग के अधिकारी, जिलाधिकारी, उत्तरकाशी तथा जनप्रतिनिधियों मिनरल मिक्सचर की आपूर्ति मार्च, 1992 में फर्म द्वारा पशुलोक, ऋषिकेश पर की गयी तथा मार्च, अप्रैल, 92 में विभागीय संस्थाओं पर पहुंचा दी गयी । इसका वितरण मार्च, 92 से किया गया है ।

मिनरल मिक्सचर का क्रय प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पोल्ट्री एण्ड लाईव स्टाक स्पेशलिटीज लि०, लखनऊ द्वारा किया गया जिसके लिये वे प्राधिकृत थे ।

चूंकि समस्त कार्य शासकीय स्वीकृत एवं नियमानुसार किया गया । इसलिये जांच कराने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

शासन द्वारा महंगाई को नियन्त्रित करने हेतु ग्राम स्तर पर सतर्कता समितियों के गठन का आदेश

* 18–श्री हृदय नारायण दीक्षित––

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि महंगाई को नियंत्रित करने सम्बन्धी सरकार की वर्तमान नीति के परिणाम माह अप्रैल, मई, जून, 92 में क्या-क्या है ? क्या महंगाई नियंत्रित करने की कोई नयी कार्य योजना शासन के विचार में है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्री बाल चन्द्र मिश्र––

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही का माह अप्रैल, मई एवं जून, 1992 का विवरण संलग्न है ।

प्रदेश सरकार का प्रयास है कि यथासम्भव महंगाई का कुप्रभाव आम नागरिकों पर कम किया जाये । ऐसा करने के लिये एक ओर जन वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत इन वस्तुओं की उपलब्धता आवश्यक है, दूसरी ओर वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ एवं व्यवस्थित बनाना है । चूंकि इन वस्तुओं की उपलब्धता केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये आवंटन पर निर्भर रहती है, अतः प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार से प्रदेश के लिये इन सभी वस्तुओं का आवंटन पर्याप्त मात्रा में करने का अनुरोध किया जाता रहा है । इसके साथ-साथ वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं । काला बाजारी, जमाखोरी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है । 1 अगस्त, 1991 से 31 दिसम्बर, 1991 तक की अवधि में 2.78 करोड़ फर्जी यूनिट्स निरस्त किये गये । 18 नगरों में "डोर स्टेप डिलीवरी" योजना लागू की गयी ।

प्रदेश के 9 अन्य नगरों में भी "डोर स्टेप डिलीवरी" योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है । जिले, ब्लाक व ग्राम सभा स्तर पर सतर्कता समितियां गठित करने के आदेश दिये गये हैं ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 116 पर)

जनपद बांदा के दस्यु प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों एवं पुलों के निर्माण हेतु धन आवंटित करने की मांग

* 19–श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के दस्यु प्रभावित क्षेत्रों के लिये सड़कों एवं पुलों के निर्माण हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार के साझेदारी में एक योजना स्वीकार की गयी है और केन्द्र सरकार ने आंशिक तौर पर धन आवंटित कर दिया है परन्तु राज्य सरकार ने उक्त योजना में अपने हिस्से का धन का आवंटन नहीं दिया है ? यदि हां, तो क्यों क्या उक्त योजना में धन आवंटित किया जायेगा ? यदि हां, तो कितना और कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामकुमार वर्मा—

प्रदेश के डाकूग्रस्त क्षेत्रों में सड़कों एवं पुलों की केन्द्र सहायतित योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने यद्यपि जनपद बांदा के 291.50 लाख लागत के छः कार्यों पर अपने शासनादेश दिनांक 18 फरवरी, 1991 द्वारा स्वीकृति प्रदान की तथापि स्वीकृति के विरुद्ध कोई धन आवंटित नहीं किया । भारत सरकार ने अब निर्देश दिये हैं कि योजनान्तर्गत जो कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं, केवल वही कराये जायें । वर्णित परिस्थितियों में स्वीकृति के बावजूद भी भारत सरकार द्वारा संसाधनों की वचनबद्धता के अभाव में धनावंटन करना अथवा कार्य कराया जाना संभव नहीं है ।

उत्तर प्रदेश में मिट्टी के तेल के वितरण की योजना

* 20–श्री सोमांश प्रकाश—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री जानकारी है कि मिट्टी के तेल के उचित वितरण हेतु ब्लाक वितरण/होलसेलर नियुक्त करने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि संबंधित उ० प्र० कैरोसीन कन्ट्रोल आर्डर, 1962 (यथा संशोधित) के क्लाज 6 (11) के विरुद्ध कुछ लोगों ने स्टे ले लिया है जिससे यह योजना रद्द पड़ी हुई है ? यदि हां, तो मिट्टी के तेल के उचित विवरण हेतु सरकार की अब तक क्या योजना है ?

श्री बाल चन्द्र मिश्र—

जी हां ।

कैरोसीन कन्ट्रोल आर्डर 1962 (यथा संशोधित) के क्लाज 6 (11) के विरुद्ध कोई स्थगन आदेश नहीं है । बल्कि क्लाज 6 (11) ए के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया है । इस स्थगन आदेश के बाद कोई ब्लाक वितरण नियुक्त नहीं किया जा सका है ।

उत्तर प्रदेश मिट्टी तेल नियंत्रण आदेश 1962 तथा समय समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत मिट्टी तेल का वितरण किया जा रहा है ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद फैजाबाद में जिलाधिकारी कार्यालय परिसर के अन्तर्गत निक्षयोज्य सामग्रियों का विवरण

1–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में जिलाधिकारी कार्यालय परिसर के अन्तर्गत विभिन्न न्यायालयीय कक्षों, कार्यालयीय कक्षों की पुरानी छतें बनवाये जाने, फर्नीचर बदलने, खिड़की आलमारी बदलने का कार्य वर्ष 1989-90 तथा 1991-92 में कराया गया है ? यदि हां, तो इन निर्माण

कार्यों के क्रम में निष्प्रयोज्य हुई बड़ी बड़ी साखू-शीशम की लकड़ियों की बल्लियां, पुरानी लकड़ी व स्टील अलमारियां तथा फर्नीचर वर्तमान समय में कहां रखे हैं ? क्या इस निष्प्रयोज्य सामग्री का विक्रय किया गया है ? यदि हां, तो सार्वजनिक इश्तहार कराकर नीलामी कब करायी गयी ? नीलामी से प्राप्त हुए कितने पैसों को किस तिथि में बाजार में जमा कराया गया है ? बिक्री किये गये निष्प्रयोज्य सामग्रियों का विवरण क्या है ?

श्री रमापति शास्त्री–

वर्ष 1989-90 तथा 1991-92 में जिलाधिकारी कार्यालय परिसर के अन्तर्गत किसी भी न्यायालीय/कार्यालय कक्षों के पुरानी छतें न बदलवायी गयी हैं न तुड़वाई गई हैं अतएव छतों से निष्प्रयोज्य सामान, जैसे साखू से निष्प्रयोज्य सामान, जैसे साखू की बल्लियां पुरानी लकड़ी खिड़की के निकलने का कोई प्रश्न नहीं है । इस प्रकार कोई सामान न तो निष्प्रयोज्य किया गया है न ही विक्रय किया गया है । इसी प्रकार स्टील आलमारी एवं पंखे न तो निष्प्रयोज्य किये गये हैं न ही नीलाम किये गये हैं ।

जनपद एटा के कादरगंज में गंगा नदी पर अर्धनिर्मित पीपे के पुल को पूरा करने की मांग

2–श्री राजेन्द्र सिंह (एटा)–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कादरगंज, जनपद एटा में गंगा नदी पर पीपों का पुल का कार्य वित्तीय अभाव में अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो उसे कब तक पूरा कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामकुमार वर्मा–

जी हां । परन्तु दिनांक 17-9-92 को इस कार्य हेतु रु० 25.00 लाख उपलब्ध करा दिये गये हैं ।

सम्प्रति इस पुल के प्रान्तीयकरण के संबंध में कार्यवाही विचाराधीन है । कार्य पूर्ण कराया जाना प्रान्तीयकरण एवं अवशेष संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

3–श्री हरिवंश सहाय व श्री स्वामी नाथ यादव–

[निदेश सं० 26 (1) के अन्तर्गत उत्तरित]

जनपद फैजाबाद की तहसील-अकबरपुर में नियुक्त लेखपाल श्री दयाराम पाल के विरुद्ध शिकायत का निराधार पाया जाना

4–श्री बंशीधर राज–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील अकबरपुर, जनपद फैजाबाद के ग्राम रोशनगढ़ के कुछ हरिजनों द्वारा अपने ग्राम में कार्यरत लेखपाल के विरुद्ध इस आशय का प्रार्थना पत्र परगना अधिकारी को तीन माह पूर्व दिया है कि संबंधित लेखपाल ने उक्त ग्राम में शासनादेश के विपरीत कोई भूमि अपनी स्त्री के नाम क्रय किया है ? यदि हां, तो क्या वह भूमि लोक निर्माण विभाग द्वारा बनायी गयी सड़क में चली गयी है ? क्या इस संबंध में श्री प्रियदर्शी जेतली, पूर्व विधायक ने कोई पत्र जिला अधिकारी को कभी कार्यवाही के वास्ते लिखा है ? यदि हां, तो संबंधित प्रार्थना पत्र बैनामा व

जिलाधीश को लिखे गए पत्र की प्रति सदन के पटल पर रखते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं, प्राप्त सूचनानुसार जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर के ग्राम रोशनगढ़ के श्री मंगलराम आदि हरिजनों द्वारा दिनांक 26-10-91 को तहसीलदार अकबरपुर को एक प्रार्थना पत्र दिया गया । जिसकी जांच कराई गई । जांच में यह पाया गया कि श्री दयाराम पाल, लेखपाल ने अपनी पत्नी के नाम भूमि खरीदने की अनुमति परगनाधिकारी से लेकर भूमि क्रय की थी ।

उक्त भूमि लोक निर्माण विभाग द्वारा बनायी गई सड़क में चली गई ।

जी हां ।

पूर्व विधायक श्री प्रियदर्शी जेतली का एक प्रार्थनापत्र दिनांकित 26-12-91 जिलाधिकारी को प्राप्त हुआ था ।

प्रार्थना पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच करायी गई । जांच में शिकायत निराधार पाई गई । शिकायत निराधार पाये जाने के कारण लेखपाल के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

5-6–श्री रमेश पोखरियाल–

[1लें मंगल में अता० प्र० सं० 186-187 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर के ग्राम सभा-ससपना के संबंध में पूर्व विधायक श्री प्रियदर्शी जेतली का पत्र

7–श्री बंशीधर राज–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 9-2-92 को पूर्व विधायक श्री प्रियदर्शी जेतली का पत्र ग्राम सभा ससपना, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के संबंध में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो संपूर्ण पत्र को सदन के पटल पर रखते हुए क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त जांच सी० आर० ओ० फैजाबाद से कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

दिनांक 9-2-1992 का पत्र प्राप्त होना नहीं पाया गया । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड माण्डा के ऊंचडीह (उपरौध) राजस्व गांव श्री राधे रमण सिंह एवं रुक्मिणी रमण सिंह पुत्र श्री रामगोपाल सिंह के नाम भूमि पाया जाना

8–श्री पूरन प्रकाश–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद जिले के माण्डा विकास खंड के ऊंचडीह (उपरौध) राजस्व गांव में श्री अयोध्या प्रसाद सिंह के एक मात्र पुत्र श्री राम गोपाल सिंह हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि गोपाल शरण सिंह, जिनके दो पुत्र राधे रमण सिंह एवं रुक्मिणी रमण सिंह हैं जिनके नाम पर्याप्त भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है ?यदि हां, तो क्या सरकार यह जांच करायेगी कि वास्तव में गोपाल शरण सिंह नामक व्यक्ति कौन है और उसका पता राजस्व अभिलेख में क्या अंकित है ? क्या उक्त गोपाल शरण, सिंह के दोनों पुत्रों के शिक्षा रिकार्ड में पता जूनियर हाईस्कूल कुरहरा

(कोरांव) में श्री रामगोपाल सिंह के पुत्र नि० ऊंचडीह होने की बात अंकित है ? क्या सरकार राम गोपाल सिंह एवं गोपाल शरण सिंह पुत्रगण अयोध्या प्रसाद होने का सत्यापन भी एस० डी० एम० स्तर के अधिकारी से मौके पर भेजकर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

गोपाल शरण सिंह पुत्र अयोध्या प्रसाद सिंह नाम का कोई व्यक्ति नही है । राधे रमण सिंह एवं रुक्मिणी रमण सिंह के पिता का नाम श्री राम गोपाल सिंह है । राजस्व ग्राम ऊंचडीह में ही सर्वश्री राधे रमण सिंह एवं रुक्मिणी रमण सिंह (रेवती रमण सिंह) के नाम भूमि है तथा इनके पिता श्री राम गोपाल सिंह जीवित हैं और इनके नाम भी भूमि है । श्री गोपाल शरण सिंह के नाम का कोई व्यक्ति ऊंचडीह में नहीं है और वर्तमान राजस्व अभिलेखों में इनके नाम कोई खाता भी नहीं है । केवल राधे रमण सिंह एवं रुक्मिणी रमण सिंह (रेवती रमण सिंह) की वल्दियत में गोपाल शरण सिंह अंकित है जब कि वास्तव में वल्दियत राम गोपाल सिंह होना चाहिये ।

प्रधान अध्यापक, राजकीय जूनियर हाई स्कूल कुरहरा (कोरांव) ब्लाक कोरांव से इन दोनों पुत्रों के बाबत विद्यालय की प्रवेश पूंजी के आधार पर आख्या प्राप्त की गयी है । प्रधान अध्यापक की आख्या दि० 20-4-1992 के अनुसार उनके शिक्षा-रिकार्ड में रुक्मिणी रमण सिंह के पिता का नाम राम गोपाल सिंह अंकित है तथा इनकी जन्म तिथि 1-5-1970 उल्लिखित है । राधेरमण सिंह के पिता का नाम गोपाल शरण सिंह और जन्म तिथि 5-10-1972 अंकित है ।

परगनाधिकारी मेजा से स्थल पर स्वयं जाकर तथ्यों की जानकारी की । यह पाया गया कि वहां गोपाल शरण सिंह नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि राम गोपाल सिंह है, जिनके पिता का नाम अयोध्या प्रसाद सिंह है । राधे रमण सिंह व रुक्मिणी रमण सिंह (रेवती रमण सिंह) श्री राम गोपाल सिंह के ही पुत्र हैं ।

जनपद इलाहाबाद की तहसील मेजा के ऊंचडीह (उपरौध) के बड़े कास्तकारों से सीलिंग ऐक्ट के तहत भूमि वापस कराने की मांग

9–श्री पूरन प्रकाश–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद जिले के ऊंचडीह (उपरौध) मेजा के कितने बड़े कास्तकार हैं, जिनके पास अत्यधिक भूमि के बावजूद सीलिंग ऐक्ट के तहत भूमि वापस लिये जाने की रिपोर्ट शासन को नहीं दी गयी है ? श्री राम गोपाल सिंह, राधेरमण, रुक्मिणी रमण तथा दिनेश सिंह, मतगैन सिंह, विष्णु प्रताप सिंह, जीवबोधन सिंह, प्रेम नारायण सिंह, भोला सिंह के पास वर्तमान में कितनी -कितनी एकड़ भूमि है ? अधिक भूमि होने के बावजूद भी उन पर सीलिंग न लागू करने का औचित्य क्या है ? उसके लिए दोषी कौन है ? क्या सरकार इन कास्तकारों की अधिक भूमि को सीलिंग के दौरान कटौती करेगी ? यदि हां, तो कब और कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बांदा में लिपिकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति विषयक जांच आख्या पर कार्यवाही करने के निर्देश

10–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री नसीमुउद्दीन सिद्दीकी तथा श्री गया चरन दिनकर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जनपद बांदा में लिपिकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति बिना विज्ञापन एवं जिला सेवायोजन कार्यालय, बांदा को सूचित किये बगैर गोपनीय ढंग से जिलाधिकारी, बांदा द्वारा भर्ती अगस्त, 1991 में फरवरी, 1992 तक की गयी है ? क्या इस संबंध में आयुक्त झांसी मण्डल, झांसी को बाबूलाल कुशवाहा अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी, बांदा का शिकायती पत्र दिनांक 1-12-1991 जांच हेतु दिया गया है ? क्या जिलाधिकारी, बांदा ने अर्धशासकीय पत्रांक48/आशु/दिनांक 2-1-1992 को शिकायतकर्ता बाबूलाल कुशवाहा को साक्ष्य देने हेतु दिनांक 10-1-92 समय 10 बजे अपने कार्यालय में बुलाया था ? क्या बाबूलाल कुशवाहा द्वारा दिनांक 10-1-92 को लिखित साक्ष्य प्रेषित किया गया है ? क्या इसकी जांच की गयी तथा जांच उपरान्त क्या परिणाम निकला ? कौन-कौन दोषी पाये गये ? क्या नियुक्तियों को निरस्त कर अनुसूचित जाति का कोटा पूरा किया जायेगा ?यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

इस प्रकरण में आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी से जांच करायी गयी । जांच आख्या पर राजस्व परिषद् को परीक्षण तथा तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

ग्राम सभा अहमाटा तथा ग्राम सभा बरांवां, परगना-रुदौली तहसील राम सनेही घाट की ग्राम समाज आदि की भूमि अवैध कब्जे एवं बेदखल की कार्यवाही

11–श्री रामदेव आचार्य–

विधान सभा के प्रथम पत्र 1989 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-63 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम सभा बरांवा में ग्राम समाज को भूमि पर अवैध कब्जे की कोई सूची दी गयी है ? यदि हां, तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति पर कितना-कितना जुर्माना किया गया है ? क्या उक्त जुर्माना की वसूली कर ली गयी है ? क्या उन्हें ग्राम समाज की भूमि से बेदखल कर उक्त भूमि पर ग्राम प्रधान को कब्जा दे दिया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

1–श्री राम फल	800.00
2–श्री राम खेलावन	
व सूर्य पाल व रामधीरज	1040.00
3–भगौती प्रसाद, हरिश्चन्द्र,	
सच्चिदानन्द, रामअक्षयवर	1380.00
4–सूर्यपाल	62.00

5–रामसजीवन	10.00
6–गुलाम रसूल, अब्दुलहई	30.00
7–गुरूदीन, दशरथ, कृष्ण प्रसाद, श्रीपाल, बद्री, रामऔतार	266.00
8–नकछेद	624.00
9–कामता, रामशंकर, भजन, हरिदीन	100.00
10–मनीराम	1620.00
11–मनीराम	74.00
12–खदेरू	120.00
13–राधेश्याम	220.00
14–मनोहर	312.00
15–मनोहर	1000.00
16–रामजस	920.00
17–रामनाथ	852.00
18–रामकेवल	1040.00
19–राममिलन	150.00
20–रामकिशोर	1750.00
21–रामकिशोर	2150.00
22–शिवनाथ	312.00
23–काशी	6280.00
24–माताबदल सिंह	870.00
25–अक्षयबर	39200
26–वन विभाग रुदौली	9574.00
27–वन विभाग रुदौली	1396.00
28–जगजीवन	1040.00
29–मिहीलाल	410.00
30–झगरू	1024.00
31–राम पियारे	806.00
32–राम पियारे	124.00
33–माताबदल सिंह, महन्त सिंह, रामबहादुर सिंह	280.00

34–हरिप्रसाद	218.00
35–झगरू	32.00
36–छोटेलाल	342.00
37–रामतिलक	186.00
योग–	37,80600 रू०

जुर्माना की धनराशि रु० 37,806.00 के विरुद्ध रु० 1,018.00 की वसूली हुई है । शेष की वसूली शीघ्र कराने हेतु आदेश दे दिये गये हैं ।

जी हां ।

दिनांक 5-5-1992

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर के थाना-सहजनवां के ग्राम तिपरा के हवलदार मेजर श्री चौथी प्रसाद को भूमि का कब्जा दिलाये जाने की कार्यवाही की जानकारी

12–श्री हरिशंकर तिवारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम तिपरा, थाना सहजनवां, जिला-गोरखपुर के हवलदार मेजर श्री चौथी प्रसाद जो कि भारतीय सशस्त्र सेना मे कार्य करते हैं, को आवंटित भूमि के संबंध में उनके पुत्र श्री सुभाष श्रीवास्तव का दिनांक 3-1-1992 को कोई आवेदन पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि की जायगी, तो कब तक ?

श्री रमापति शास्त्री–

श्री चौथी प्रसाद को आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाये जाने के संबंध में उनके पुत्र श्री सुभाष श्रीवास्तव का पत्र दिनांक 28-12-91 दिनांक 31-12-91 को प्राप्त हुआ था ।

जांचोपरान्त कलेक्टर, गोरखपुर ने अवगत कराया है कि प्रश्नगत प्रकरण में श्री चौथी प्रसाद व श्री राजेन्द्र प्रसाद द्वारा दायर वाद निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त (प्रशासन) गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के समक्ष विचाराधीन होने तथा मुन्सिफ न्यायालय गोरखपुर द्वारा श्रीमती प्रभावती देवी के पक्ष में पारित स्थगन आदेश के कारण आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाया जाना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद की तहसील टाण्डा के मौजा गद्दोपुर ग्राम सभा बजदहिया पाई पुर में गाटा संख्या-141 श्री बंसती पुत्र चौथी के नाम अंकित होना

13–श्री बी० आर० वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद जनपद के टाण्डा तहसील के बजदहिया पाईपुर ग्राम सभा के मौजा गद्दौपुर की चकरोड सं०-141, जिसके खाली कराने हेतु उ० प्र० जमींदारी उन्मूलन अधि० की धारा 122 बी के तहत फैसला हो चुका है ? क्या उक्त निर्णयानुसार उक्त चकमार्ग पैमाइश करके खाली कराया गया ? यदि नहीं, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों को दण्डित करते हुए इस चकरोड को खाली करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

मौजा गद्दौपुर ग्राम सभा बजदहिया पाईपुर तहसील टांडा जनपद फैजाबाद का गाटा संख्या- 141 चकमार्ग नहीं है बल्कि उक्त गाटा श्री बसंती पुत्र चौथी के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है इसलिये उ० प्र० जमींदारी उन्मूलन अधि० की धारा 122-बी की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन की तहसील कालपी के मौजा परासन में चकबन्दी के दौरान ग्राम सभा भूमि पर फर्जी नाम अंकित संबंधी वाद न्यायाधीन

14–श्री श्रीराम (जालौन)

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन की तहसील कालपी के मौजा परासन में की जा रही चकबन्दी क्रियाओं के आधार पर वर्ष 1381 (लगायत) 1385 फसली की खतौनी के खाता संख्या-1495 में अंकित नई परती, कुल रकबा 634.96 एकड़ पर बिना किसी मुकदमें के फर्जी आदेश द्वारा ग्राम सभा की भूमि पर कास्तकारों के चक कायम किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

ग्राम परासन, तहसील कालपी के ग्राम सभा भूमि के खाता संख्या-1495 के सम्पूर्ण क्षेत्रफल 34.96 एकड़ पर फर्जी नाम अंकित होने की बात सही नहीं है । जांच में केवल 36-0 एकड़ पर फर्जी नाम अंकित पाये गये हैं जिसके संबंध में वाद संख्या-2719 धारा 9-क (2) के अन्तर्गत संदर्भ बनाकर चकबन्दी-अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है और यह प्रकरण न्यायाधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन की तहसील-कालपी के ग्राम परासन में पुनः चकबन्दी कराने के निर्देश

15–श्री श्रीराम (जालौन)–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन की तहसील कालपी के ग्राम परासन में चकबन्दी क्रियायें अनियमित ढंग से किये जाने के कारण सहायक बंदोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, झांसी, कैम्प-उरई ने वाद सं०-779/975 श्री नारायण बनाम श्री शिवपाल सिंह आदि पर तारीख फैसला 17-10-87 के द्वारा आदेश पारित करके नदी, नाले, बेहड़, कृषि् अयोग्य भूमि को चकबन्दी प्रक्रियाओं से पृथक करवाने हेतु चकबन्दी अधिकारी को नये सिरे से पुनः चकबन्दी क्रियायें करने के निर्देश पारित किये थे? यदि हां, तो उक्त ग्राम में पुनः की गयी चकबंदी क्रियाओं में उक्त निर्देशों का समुचित परिपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद व तहसील वाराणसी के परगना-पन्द्रह के ग्राम-बरही नेवादा के श्री निजामुद्दीन पुत्र श्री दीन मोहम्मद द्वारा ग्राम सभा की भूमि पर किये गये अवैध कब्जे के विरुद्ध कार्यवाही का विवरण

16–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री निजामुद्दीन पुत्र श्री दीन मोहम्मद, ग्राम बरहीं नेवादा प० पन्द्रह, तहसील व जिला वाराणसी का गांव सभा की जमीन पर अवैध कब्जा है ? क्या यह सही है कि तहसीलदार वाराणसी ने ता० 12-2-92 को बरहीं नेवादा में जाकर भूमि बेदखल करने का आदेश न देकर मात्र 26 हजार मूल्यांकन लेकर उसके साथ प्रबन्ध करने का आदेश दिया है ? क्या यह सही है कि श्री निजामुद्दीन के पास इस मकान के अलावा भी मकान है ? क्या सरकार तहसीलदार द्वारा दिनांक 12-2-92 को पारित आदेश की एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

आराजी सं० 440 मि० रकबा 0.07 से अतिक्रमणकर्ता को बेदखल करते हुए 560 रु० क्षतिपूर्ति का आदेश तथा आराजी सं० 434/1143 मि० रकबा 0-04 के संबंध में 26.000 रु० (छब्बीस हजार रुपया) क्षतिपूर्ति/मूल्यांकन प्राप्त कर गांव फंड में जमा कर भूमि का प्रबन्ध उसी के साथ करने के आदेश दिनांक 12-2-92 को पारित किये हैं । वर्तमान में मुख्य राजस्व अधिकारी के आदेश दिनांक 30-3-92 द्वारा तहसीलदार वाराणसी के आदेश दिनांक 12-2-92 को निरस्त कर दिया गया है ।

गाटा सं०-434/1143 में बने मकान के अलावा एक दूसरा भी मकान है जो श्री निजामुद्दीन आदि सात भाइयों के संयुक्त परिवार का है ।

वाद सं०-513 तथा वाद सं० 516 के संबंध में पारित आदेशों की एक-एक प्रति संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 117 पर)

जनपद व तहसील वाराणसी के परगना-पन्द्रह के ग्राम बरही नेवादा के श्री कुतुबुद्दीन द्वारा अनधिकार कब्जे के विरुद्ध कार्यवाही

17–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि संख्या-395, गांव बरहीं नेवादा, परगना पन्द्रह, त० व जिला वाराणसी, रकवा-12 डि० नोनार और गांव समाज व जिला वाराणसी, रकबा-12 डि० नोनार और गांव समाज उक्त नंबर पर मौजूदा प्रधान के पिता स्व० हनीफ भू० पू० प्रधान ने अपना निजी दो मंजिला मकान बनवा लिया है ? क्या इस संबंध में आयुक्त, वाराणसी को दि० 26-9-91 को श्री मोतीलाल वगैरह नि० बरहीं नेवादा की दरख्वास्त को प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र के साथ दिया था ? क्या यह सही है कि दि० 12-2-92 को तहसीलदार, त० वाराणसी ने अपने आदेश में लिखा है कि नोनार शब्द का मतलब किसी ने नहीं बताया है और प्रधान श्री शमीम के चाचा श्री कुतुबुद्दीन के खिलाफ रिपोर्ट की गयी है ? क्या सरकार नोनार शब्द का अर्थ बतायेंगी और तहसीलदार व जिलाधिकारी वाराणसी को वहां भेजकर उक्त प्रधान के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? क्या सरकार तहसीलदार के उक्त आदेश के संदर्भ में सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत वाद को रद्द करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रधान श्री शमीम के चाचा श्री कुतुबुद्दीन के खिलाफ रिपोर्ट दिनांक 12-2-92 को नहीं की गयी है बल्कि स्व० हनीफ द्वारा किये गये अनधिकार कब्जे के संदर्भ में परिवार के मुखिया होने के कारण श्री कुतुबुद्दीन के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है, इसी संदर्भ में तहसीलदार वाराणसी ने दिनांक 12-2-92 को आदेश पारित किया था ।

नोनार नोना लग जाने से खण्डहर हुए भवन को कहा जाता है जो आबादी में आता है । अतिक्रमण ग्राम प्रधान श्री मुहम्मद शमीम के पिता स्व० हनीफ द्वारा किया गया था तथा परिवार के मुखिया के रूप में प्रधान के चाचा श्री कुतुबुद्दीन के विरुद्ध 122-बी की कार्यवाही की गई है, अतः प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत है तथा न्यायिक कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया जाता, अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम सभा-तेजगढ़ तथा चवर परगना बांसी पुरब के ग्राम प्रधान के विरुद्ध प्रेषित शिकायती पत्र का प्राप्त न होना

18–श्री विश्वनाथ –

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री द्वारिका प्रसाद यादव, जनपद सिद्धार्थनगर ने ग्राम सभा तेजगढ़ तथा चवर, परगना बांसी पुरब के ग्राम प्रधान के विरुद्ध उनको प्रेषित पत्र दिनांक 13-9-91 में ग्राम सभा की भूमि आराजी नं० 96. अपने लड़के एवं ग्राम सभा के सदस्यों के नाम करवाकर,ग्राम की सम्पत्ति का निजीकरण करने का कार्य किये जाने की स्थिति से अवगत कराया है ? इस गंभीर भ्रष्टाचार के प्रकरण में दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

प्रश्न में इंगित पत्र का प्राप्त होना नहीं पाया जाता है, अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फर्रुखाबाद की श्रीमती जाहिदा बेगम का अभ्यावेदन जिलाधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जाना

19–श्री अभिमन्यु सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद की निष्क्रान्ति संपत्ति के वाद सं० 60/58 में राजस्व परिषद् के निर्णय हो जाने के बाद वादीगणों को संबंधित भूमि मकान एवं दुकान दी गयी ? यदि नहीं, तो क्या श्रीमती जाहिदा बेगम, मोहल्ला मौलवी बदन खां, फर्रुखाबाद के अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई ? क्या राजस्व परिषद् के निर्णय दिनांक 20-4-70 को लागू किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

समस्त वादीगणों को भूमि, मकान एवं दुकान नहीं दी गयी ।

श्रीमती जाहिदा बेगम का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था । उसे जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद को आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु भेज दिया गया है ।

राजस्व परिषद् का यह निर्णय दिनांक 22-4-70 का है न कि दिनांक 20-4-70 का । राजस्व परिषद् के उक्त आदेश दिनांक 22-4-70 में कतिपय संशोधन राजस्व परिषद् के आदेश दिनांक 3-3-82 द्वारा किया गया है । श्रीमती जाहिदा बेगम ने एक प्रार्थना पत्र परगनाधिकारी, सदर को दिया है जो विचाराधीन है । उन्हें शीघ्र निस्तारण के आदेश दे दिये गये हैं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के कोडार-दीनगांव मुख्य मोटर मार्ग को पूरा कराने की मांग

20–श्री दीनानाथ सिंह यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में कोडार दीनगांव मुख्य मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य विगत 8 वर्षों में पूरा हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसे पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रामकुमार वर्मा–

जी नहीं । कोडार दीनगांव मुख्य मोटर मार्ग तीन विभिन्न चरणों में वर्ष 1981, 82 व 83 में क्रमशः 10 कि०मी०, 5 कि० मी० व 4 कि० मी० अर्थात् कुल 19 कि० मी० हेतु स्वीकृत हुआ था । मार्ग का संरेखण अधीक्षण अभियंता द्वारा 1982 में स्वीकृत किया गया था । मार्ग के प्रथम 4 कि० मी० में निर्माण कार्य वर्ष 1982-83 में प्रारम्भ कर तीन वर्ष के भीतर पूर्ण कर लिया गया था ।

कि० मी० 4 के आगे स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा सर्वेक्षण कार्य रोक दिया गया था । वर्ष 1988 में प्रशासन की मदद से सर्वेक्षण कार्य कराया गया तथा कि० मी० 7 तक निर्माण कार्य किया गया । कि० मी० 7 से आगे का कार्य प्रगति पर है । अब तक स्वीकृत लागत से अधिक व्यय किया जा चुका है । शेष कार्य हेतु पुनरीक्षित आगणन मुख्य अभियन्ता गढ़वाल क्षेत्र द्वारा उत्तरांचल विकास विभाग को भेजा जा रहा है । अतः शेष कार्य उत्तरांचल विकास विभाग द्वारा पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृत एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लखनऊ की जिला प्रभारी कु० अनुसुइया शर्मा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

21–श्री छोटे लाल यादव–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम की लखनऊ जिला प्रभारी, कु० अनुसुइया शर्मा को निगम प्रबन्धकों ने वर्ष 1990 में एम०एल०ए० का चुनाव लड़ने की अनुमति दी थी ? यदि नहीं, तो कर्मचारी आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

जी नहीं ।

कु० अनुसुइया शर्मा ने विधान सभा सामान्य निर्वाचन 1991 के समय सीतापुर जनपद के 74 बेहटा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से नाम निर्देशन पत्र भरा था, परन्तु बाद में अपनी अभ्यर्थिता वापस ले ली थी । उक्त तथ्य उ० प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के संज्ञान में दिनांक 19-10-92 को आया और निगम द्वारा अब उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद वाराणसी की तहसील व परगना भदोही के ग्राम खेवड़ा की आराजी नं० 51 रकबा को ग्राम सभा की संपत्ति माना जाना

22–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आराजी नं० 51-ख, गांव खेवड़ा परसपुर, प० भदोही, जिला वाराणसी जोकि गांव की सम्पत्ति है, जिसको तहसील भदोही में 14 बिस्वा का 19 बिस्वा बताया गया है इसकी फर्जी तरीके से कागजात दुरुस्त कराने के आदेश, परगनाधिकारी, भदोही ने दिया है ? क्या यह सत्य है कि एक व्यक्ति श्री विश्वनाथ नि० गांव लखनपुर उर्फ अभयनपुर, प० भदोही, त० भदोही, जिला वाराणसी ने अपने नाम दर्ज करा लिया है ? क्या इस संबंध में श्री राम प्रसाद सिंह विधायक ने जिलाधीश वाराणसी को पत्र लिखा है ? क्या एक पत्र पूर्व राजस्व मंत्री को भी लिखा है ? क्या इस संबंध में जिलाधीश वाराणसी ने अपने पत्र संख्या 1012. दिनांक 10 सितम्बर, 91 में एस० डी० एम० भदोही को लिखा है कि वे सभी रिपोर्ट भेजें ? यदि हां, तो इस संबंध में जिलाधीश वाराणसी को एस० डी० एम०, भदोही, वाराणसी ने क्या रिपोर्ट भेजी है ? इस बारे में अब तक क्या रिपोर्ट भेजी है ? इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रमापति शास्त्री–

आराजी नं० 51-ख गांव सभा की संपत्ति है । इसका क्षेत्रफल 6 बिस्वा है तथा आराजी नं० 51-क रकबा 14 बिस्वा पर विश्वनाथ आदि का नाम अंकित है । गांव सभा की भूमि को अपना बताते हुए श्री विश्वनाथ आदि द्वारा कागजात दुरुस्ती का वाद दायर किया गया था । इस 6 बिस्वा रकबे में से 5 बिस्वा रकबे पर नवीन परती के स्थान पर श्री विश्वनाथ के साथ श्री शिवनाथ, यदुनाथ, सदुनाथ व रघुनाथ पुत्रगण बलिकरन का नाम अंकित करने हेतु दिनांक 29-5-89 को आदेश पारित किया गया था।

गाटा सं०-51 ख रकबा 6 बिस्वा में से 5 बिस्वा पर श्री विश्वनाथ, श्री शिवनाथ, श्री यदुनाथ, श्री सदुनाथ व श्री रघुनाथ पुत्रगण बलिकरन ने अपना नाम दर्ज करा लिया था, जिसके विरुद्ध रेस्टोरेशन प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 24-2-92 को आदेश दिनांक 29-5-89 निरस्त कर वाद को पुनर्स्थापित करके पुनः सुनवाई की गई और परगनाधिकारी के आदेश दिनांक 5-9-92 के अन्तर्गत दुरुस्ती कागजात का वाद निरस्त किया जा चुका है । अब 6 विस्वा भूमि गांव सभा के खाते में अंकित है ।

जी हां ।

जिलाधिकारी, वाराणसी को संबोधित पत्र की प्रति राजस्व मंत्री को पृष्ठांकित है ।

जी हां ।

आराजी नंबर 51-ख क्षेत्रफल 6 बिस्वा में से 5 बिस्वा श्री विश्नाथ आदि निवासी गांव लखनपुर उर्फ अभयनपुर परगना व तहसील भदोही के खाते में दर्ज किया गया था । यह आदेश तत्कालीन परगनाधिकारी ने दुरुस्ती कागजात के वाद में दिनांक 29-5-89 को पारित किया था । दिनांक 24-2-92 को वाद पुनर्स्थापित करके गांव सभा को पुनवाई का अवसर दिया गया । पक्षों को सुनने के बाद

दिनांक 5-9-92 को गुण-दोष के आधार पर दुरुस्ती कागजात का वाद विश्वनाथ आदि बनाम सरकार निरस्त कर पत्रावली दाखिल दफ्तर करने का आदेश दिया गया तथा आराजी नं० 51-ख रकबा 6 विस्वा को गांव सभा की सम्पत्ति माना गया ।

स्थिति उपरोक्त अंकित की जा चुकी है ।

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील डुमरियागंज के ग्राम वोवहामुसतहक के प्रधान को प्रश्नगत मामले में दोषी न पाया जाना

23–श्री मोहम्मद मुकीम–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 13-8-91 को नियम 301 में दी गयी सूचना जो ग्राम वोवहामुसतहक तहसील डुमरियागंज, जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम प्रधान द्वारा आराजी नं० 150 जो कागज में रास्ता दर्ज है, पर अवैध निर्माण कराया जा रहा है, के संबंध में थी, पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

नियम-301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचना के संबंध में सदस्य महोदय को यह अवगत कराया गया था कि प्रश्नगत ग्राम चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत है । इस ग्राम के आराजी नंबर-150 क्षेत्रफल 2-13-9 कागजात में रास्ता दर्ज है तथा मौके पर भी रास्ता है । इसी रास्ते के किनारे खन्दक पाट कर सात व्यक्तियों ने घर बनाने के उद्देश्य से अनधिकृत रूप से नींव डाली है और एक व्यक्ति द्वारा लगभग आठ वर्ष पूर्व एक कमरा बना लिया गया है । चकबन्दी अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 7-5-1991 के द्वारा उक्त गाटे का 3 विस्वा क्षेत्रफल आबादी वर्ग 6 में अंकित कर दिया जिसके विरुद्ध भी भगहर सदस्य गांव सभा ने संयुक्त संचालन चकबन्दी के न्यायालय में उ० प्र० जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-48 के अन्तर्गत पुनरीक्षण प्रस्तुत कर दिया है जो उक्त न्यायालय की सुनवाई के अन्तर्गत है । इसके अतिरिक्त प्रश्नगत प्रकरण पर एक वाद सिविल जज सिद्धार्थनगर के संप्रति न्यायालय में है । सिविल जज के आदेश दिनांक 12-7-90 द्वारा अनधिकृत काबिजदारों को निर्माण कार्य करने से निषेध किया गया है । प्रकरण की जांच कराई गयी तथा प्रधान को दोषी नहीं पाया गया है ।

हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम के महाप्रबन्धक के विरुद्ध सतर्कता जांच के आदेश

24–श्री विश्वनाथ तथा श्री शिवपाल सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के दूसरे गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 58 के उत्तर से संबंधित क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत जांच किन विषयों पर हो रही है क्या यह भी बतायेंगे कि उक्त समिति जांच हेतु कब गठित की गयी थी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि अब तक जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त न हो पाने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि संबंधित अधिकारी द्वारा जांच अधिकारी को वांछित सामग्री देने में हीलाहवाली करने के कारण ही जांच पूरी नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिये संबंधित महाप्रबन्धक को निलंबित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

प्रश्नगत जांच श्री वी० के० चोपड़ा, महाप्रबन्धक अनुसूचित जाति निर्बल वर्ग आवास निगम के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितताये बरतने, नियुक्तियों/पदोन्नतियों में धांधली करने, परिसम्पत्तियां अर्जित

करने तथा कर्मचारियों को प्रताड़ित करने आदि विषयों से संबंधित है । जांच किसी समिति द्वारा नहीं वरन् सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की जा रही है ।

जांच सतर्कता अधिष्ठान द्वारा अभी जारी बताई गई है ।

यह कथन सही नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बाबूराम, श्री राम प्रसाद आदि ग्राम गुरसड़ा, तहसील करनैलगंज, जनपद गोण्डा द्वारा प्रेषित एवं श्री विश्वनाथ, श्री ऊदल एवं श्री चन्द्र भान मौर्य (स० वि० स०) द्वारा अनुमोदित शिकायती पत्र पर क्षेत्रीय नायब तहसीलदार, हलधरमऊ द्वारा जांचोपरान्त किसी का दोषसिद्ध न पाया जाना

25–श्री राम प्रसाद सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के दूसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं० 76 व विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के पहले गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 46 के उत्तर के संबंध में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विश्वनाथ व श्री ऊदल तथा श्री चन्द्रभान मौर्य, विधायक के पत्र दिनांक 28-7-90, 31-3-90 व 21-8-91 के साथ संलग्न, श्री बाबूराम, श्री राम प्रसाद आदि ग्राम गुरसड़ा, तहसील करनैलगंज, जिला गोण्डा के प्रार्थना पत्रों की जांच किस दिनांक को, किस अधिकारी द्वारा की गयी ? क्या जांच में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करके जांच रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत की गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री रमापति शास्त्री–

प्रश्नगत मामले की जांच तहसील के क्षेत्रीय नायब तहसीलदार क्षेत्र हलधरमऊ ने दिनांक 21-7-1990 की थी । मामले में कोई व्यक्ति दोषी नहीं पाया गया । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के ग्राम गुड़सड़ा की आबादी में स्थित रास्ते को साफ कराया जाना

26–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गांव सभा बनाम चुनमुन उर्फ परमेश्वर आदि वाद रिवीजन नं० 13/21/51 धारा 122, बी जिला अधिकारी व तहसीलदार, गोण्डा के फैसला दिनांक 16-10-84 के आदेश के विरुद्ध श्री विश्वनाथ, विधायक के पत्र पर जांच करके रिपोर्ट शासन को गुमराह करने तथा श्री ऊदल व श्री चन्द्रभान मौर्य, विधायक के पत्रों की जांच रिपोर्ट दबवाने में कौन सा व्यक्ति दोषी है ? क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करके जिलाधिकारी व तहसीलदार के उपरोक्त आदेश के अनुसार नक्शा तथा रिकार्ड में अमल दरामद करके विवादित भूमि से आम रास्ते की पैमाइश व सरहद अलग करके स्थानीय पुलिस के समक्ष गांव वालों को कब्जा दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

वर्णित समस्त पत्रों आराजी गाटा सं० 417 रकबा 0-46 एकड़ स्थित ग्राम गुड़सड़ा, जो राजस्व अभिलेखों में आबादी श्रेणी-5 दर्ज हैं से संबंधित है । समस्त पत्रों की संकलित जांच की गयी तथा रास्ता साफ करवाया जा चुका है .। आवागमन में अब कोई अवरोध नहीं है । प्रश्नगत रास्ता आबादी में

निहित है । चूंकि रास्ता सीमांकित कराकर साफ कराया जा चुका है । अतः इसमें किसी अग्रिम कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इटावा की तहसील-विधूना के मौजा रठगांव के कतिपय खेतिहर मजदूरों को पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने की मांग

27–श्री राम लखन–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मौजा-रठगांव, तहसील विधूना, जनपद इटावा के खेतिहर मजदूर रामनरेश पुत्र श्री रूप लाल, पाती राम पुत्र श्री जगन्नाथ, सूरज मुखी बेबा श्याम लाल, गोमती बेवा प्रकाश, छेदा मृतक राम औतार पुत्र श्री सोने लाल, बाबू राम पुत्र श्री राम लाल, लालता प्रसाद पुत्र श्री मेवा राम, अन्तू पुत्र श्री छोटे लाल, मोती लाल पुत्र श्री पंथी, जालिम पुत्र श्री झुन्नी, गया प्रसाद व सूबेदार, सुखलाल पुत्र श्री मेवा राम, राम पाल पुत्र श्री छेदा लाल, राम औतार पुत्र श्री सोने लाल, सत्य राम पुत्र श्री महिपाल, श्याम लाल पुत्र श्री राम भरोसे आदि की पट्टे की भूमि पर उपरोक्त व्यक्तियों को कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र माह फरवरी, 92 के अन्तिम सप्ताह में उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या उल्लिखित खेतिहर मजदूरों को पट्टे की भूमि पर कब्जा प्राप्त करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सभी को कब्जा कब तक प्राप्त करा दिया जायेगा ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

जी हां, शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मंहगूदास तथा श्री सम्पत्ति पुत्रगण श्री गुरुचरन निवासी ग्राम कचनाव, जनपद सुल्तानपुर के राजस्व अभिलेखों में गलत वरासत दर्ज करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि

28–श्री राम स्वरूप वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के प्रथम गुरुवार दिनांक 13-2-92 के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 151 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत मामले में कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रमापति शास्त्री–

प्रश्नगत मामले में श्री शिव कुमार पाण्डे, लेखपाल, चकबन्दी तथा श्री शिव कुमार लाल, चकबन्दीकर्ता कथित लापरवाही के लिये दोषी पाये गये । इन दोनों कर्मचारियों को भर्त्सनात्मक प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी ।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील–निघासन के ग्राम-बल्लीपुर निवासी श्री गोकई पुत्र श्री तिलक को भूमि पर कब्जा दिलाने की मांग

29–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 1553/91, श्री गोकई पुत्र श्री तिलक ग्रा० बल्लीपुर, परगना निघासन, खीरी के प्रार्थना पत्र सहित परगनाधिकारी निघासन, खीरी को दि० 2-12-91 को प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

प्रश्न में इंगित प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या 1553/91 के साथ श्री गोकई पुत्र श्री तिलक के स्थान पर श्री घोकई पुत्र श्री तिलक, निवासी बल्लीपुर, तहसील निघासन, जनपद-लखीमपुर खीरी का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उसने आवंटित भूमि पर उसे कब्जा दिलाये जाने का अनुरोध किया है जब कि प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र में प्रार्थी के मकान आदि सम्पत्ति के अग्नि से नष्ट हो जाने पर उसे आर्थिक मदद दिये जाने के लिए कहा है ।

प्रकरण की जांच कराई गई । ग्राम समाज की 18.83 एकड़ भूमि भूमिहीनों में वितरित कर पट्टे 1392 फसली में किये गये थे । इसमें से 1.00 एकड़ का पट्टा प्रार्थी श्री घोकई पुत्र तिलक के नाम किया गया था । क्षेत्रफल 18.83 एकड़ पर रतनकौर, करतार कौर पत्नी ज्ञानी राम सिंह का पहले से ही अनाधिकार कब्जा था । इसी आधार पर इन्होंने अपर आयुक्त (न्याय), लखनऊ मंडल, लखनऊ के न्यायालय में वाद निगरानी दायर करके दिनांक 26-11-90 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया जिसके कारण श्री घोकई को कब्जा दिया नहीं जा सका ।

श्री घोकई पुत्र तिलक का मकान अग्निकांड में जला नहीं है । अतः उसे आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद की तहसील-जलालपुर के परगना-सुरुहरपुर के ग्राम सभा लाभामार के कतिपय लोगों के नाम खतौनी में चकबन्दी न्यायालय के आदेशानुसार अमलदरामद किया जाना

30–श्री राम लखन–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा लाभामार, परगना सुरुहरपुर, तहसील जलालपुर, फैजाबाद के भू० पू० प्रधान व ग्राम के कुछ प्रभावी व्यक्तियों तथा लेखपाल आदि की सांठ-गांठ से फर्जी मुकदमा चला कर लोगों को ऊसर बंजर, तालाब एवं आबादी की भूमि को अवैधानिक ढंग से बैनामा करके खतौनी में अमल दरामद करवाया गया है ? क्या यह सही है कि जो मुकदमें चलाये गये थे क्या वे फर्जी थे ? यदि हां, तो क्या तत्काल समस्त अमल दरामद खारिज करके सभी भूमि/तालाब को ग्राम-सभा में दर्ज करने तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा कायम कराकर कार्यवाही कराने का आदेश प्रदान करेंगे । यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं । जांच से विदित हुआ कि जो अमलदरामद की गयी वह चकबन्दी न्यायालयों के आदेशों के अनुसार है ।

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

31–श्री तीरथ राज–

1ले मंगल में अता० प्र० सं० 191 के अन्तर्गत स्थानान्तरित

जनपद महराजगंज के ग्राम-चुअनी की भूमि पर कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही

32–श्री दीप लाल भारती–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जज, देवरिया के आदेशानुसार श्री रमाकान्त पुत्र श्री श्याम देव, ग्राम मड़ार, विन्दवलिया तप्पा नौगांवा, तहसील-हाटा, जिला–देवरिया का 3.12 एकड़ जमीन लेकर, अतिरिक्त भूमि घोषित किये जाने सम्बन्धी आदेशों के पालन में नियत प्राधिकारी हाटा, स्थान–कसया, जिला–देवरिया भू० नं०–179/50 में पारित आदेश, दिनांक 10-5-79 के अनुसार कार्य हुआ है ? क्या यह सत्य है कि कुल अतिरिक्त भूमि 3.12 एकड़ में 1.78 ग्राम-बिहुली, तप्पा-पपऊर, तहसील हाटा, जिला–देवरिया तथा .05 डिसमिल ग्राम चुअनी, तहसील महराजगंज, जि०–गोरखपुर पर कब्जा लिया जा चुका है ? शेष भूमि पर कब्जा कब लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शेष भूमि 1.29 एकड़ की जगह 1.94 एकड़ जबरन आवंटित की गयी है ? क्या न्याय हित में उक्त भूमि लेकर 1.94 एकड़ की जगह, 1.29 एकड़ पर कब्जा लेने की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

अतिरिक्त घोषित भूमि 3.12 एकड़ में से 1.78 एकड़ भूमि पर ग्राम विहुली तप्पा पपऊर, तहसील हाटा, जिला देवरिया पर कब्जा लिया जा चुका है तथा .05 डिसमिल जो सिंचित अर्थों में .03 डिसमिल होती है ग्राम चुअनी जिला महराजगंज पर कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही कर दी गयी है ।

चूंकि पूर्व में 1.78 एकड़ का आवंटन हो चुका है । अतः उक्त भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य भूमि पर कब्जा लेने का प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । चकबन्दी के समय मूल्यांकन में कमी करने के कारण 1.34 एकड़ के स्थान पर 1–04 1/4 एकड़ भूमि का कब्जा लेकर आवंटित किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रवि चन्द्र सिंह आदि पुत्रगण श्री सत्यनाम सिंह, निवासी ग्रा० बहरेलाडीह, जनपद बाराबंकी के कुर्क बाण्डों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 20-9-91 को मा० राजस्व मंत्री को प्रेषित पत्र पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही

33–श्री तीरथ राज–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के द्वितीय गुरुवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 28 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संदर्भित "बाण्ड नं० एल० के० ओ० 1753559, एल० के० ओ० 1753560, एल० के० ओ० 1753561, एल० के० ओ० 1753562 के धारक श्री रवि चन्द्र सिंह आदि पुत्रगण श्री सत्यनाम सिंह, निवासी ग्राम बहरेलाडीह, तहसील रामसनेहीघाट, जनपद बाराबंकी" के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बाराबंकी, परगनाधिकारी, तहसीलदार रामसनेहीघाट, जनपद बाराबंकी की जांच आख्या शासन को प्राप्त हुई है । यदि हां, तो जांच आख्या का ब्योरा क्या है ? क्या यह सत्य है कि संदर्भित बाण्ड श्री रविचन्द्र सिंह के बकाया भू-राजस्व के सम्बन्ध में कुर्क किये गये थे ? यदि हां, तो उक्त बाण्ड कहां पर एवं किस स्थिति में हैं ? यदि बाण्ड उपलब्ध नहीं हैं, तो बाण्डों को गायब होने की घटना का उत्तरदायित्व किस पर है एवं उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

चूंकि विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के द्वितीय गुरुवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–28 के उत्तर के प्रस्तर–28 में यह कहा गया था कि "उक्त बाण्डों के भुगतान हेतु दिनांक 24 अक्टूबर, 1991 को प्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, पी० डी० ओ० कानपुर से अनुरोध किया जा चुका है", इसलिए जांच आख्या का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जी हां ।

श्री सहदेव सरन सिंह, तत्कालीन सम्बन्धित लिपिक (स्याहा नवीस) तहसील रामसनेहीघाट जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, द्वारा यह बाण्ड प्राप्त किए गये थे, जो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं बाण्डों के गायब होने का उत्तरदायित्व श्री सहदेव सरन सिंह का है, जिनके विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करा दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

राजस्व विभाग में, दस प्रतिशत कलेक्शन चार्ज बकायेदार के स्थान पर ऋणदात्री संस्था से लिये जाने पर विचार करने की मांग

34–श्री बृज राज त्रिपाठी–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के दूसरे गुरुवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 15 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्ज बकायेदार के स्थान पर ऋणदात्री संस्था से लिए जाने पर शासन विचार क्यों नहीं कर रहा है, जबकि कलेक्टर ऋणदात्री संस्था के प्रतिनिधि के रूप में वसूली करता है ? क्या ऋणदात्री संस्था से कलेक्शन लिया जाना शासन उचित समझता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमांपति शास्त्री–

चूंकि वसूली की कार्यवाही बकायेदारों द्वारा भुगतान न किये जाने के कारण की जाती है जिसमें कि ऋणदात्री संस्था का कोई दोष नहीं होता । ऐसी स्थिति में संग्रह व्यय ऋणदात्री संस्था से लिये जाने के बिन्दु पर विचार किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है ।

जिलाधिकारी द्वारा ऋणदात्री संस्था द्वारा जारी किये गये वसूली प्रमाणपत्रों की भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूली लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट के अधीन कलेक्टर के अधिकारों का प्रयोग करते हुए विधि द्वारा नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत की जाती है । यह वसूली जिलाधिकारी द्वारा ऋणदात्री संस्था के प्रतिनिधि के रूप में नहीं की जाती है ।

नहीं ।

उत्तर के प्रथम अंश में इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है ।

35–श्री दया राम वर्मा–

सदन में स्थगित हो गया ।

जनपद इलाहाबाद की तहसील-मेजा के विकास खण्ड माण्डा के ग्राम-ऊंचडीह (उपरौध) के श्री राम गोपाल सिंह से अतिरिक्त भूमि को अधिग्रहीत किये जाने की मांग

36–श्री सुरेन्द्र नाथ–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के मेजा तहसील के विकास खण्ड माण्डा में ग्राम-ऊंचडीह (उपरौध) गांव में खतौनी में खाता संख्या 184. आराजी संख्या 702 किसके नाम अंकित है ? क्या उक्त भूमि श्री रुक्मिणी रमण एवं राधे रमण, पुत्रगण गोपाल शरण सिंह के नाम अंकित है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि श्री राम गोपाल सिंह पुत्र अयोध्या प्रसाद सिंह ने अपनी भूमि सीलिंग से बचाने हेतु उपरोक्त लोगों को राजस्व अभिलेखों में अपना भतीजा बनाया है, जबकि दोनों व्यक्ति उनके पुत्र हैं ? क्या मंत्री जी सीलिंग से भूमि बचाने की इस गम्भीर साजिश की जांच अपर जिला मजिस्ट्रेट (ग्रामीण) से करायेंगे ? उक्त भूमि सीलिंग में कब तक अधिगृहीत कर ली जायेगी ?

श्री रमापति शास्त्री–

प्रश्नगत ग्राम के खाता सं० 184 भू-खण्ड सं० 702/क्षेत्रफल 5.039 हेक्टर खतौनी वर्ष 1393–1398 फ० श्री राम गोपाल सिंह रेवती रमण सिंह व राधेरमण सिंह पुत्रगण श्री गोपाल शरण सिंह निवासी ग्राम ऊंचडीह के नाम दर्ज है ।

उपरोक्त भूमि श्री राम गोपाल सिंह पुत्र अयोध्या प्रसाद सिंह, रेवती रमण सिंह व राधे रमण सिंह के नाम दर्ज है । रेवती रमण सिंह का वास्तविक नाम प्राप्त सूचना के अनुसार रुक्मिणी रमण सिंह है परन्तु भू-अभिलेखों में इनका नाम रेवती रमण सिंह अधिग्रहीत है । वर्तमान खतौनी वर्ष 1399–1404 फ० में अब ये नया खाता 186 हो गया है तथा प्रश्नगत भू-खण्ड बैनामें के द्वारा इनके स्थान पर जगदेव पुत्र दुखरन निवासी कुरहरा, शिवराम पुत्र कुंज बिहारी निवासी विरतिया, जग नरायन पुत्र कुंज बिहारी, निवासी विरतिया तथा बसन्त लाल पुत्र राम प्यारे निवासी दण्डपानपुर टप्पा माण्डा, गुरूचरन पुत्र राम कृष्ण निवासी बघौरा टप्पा माण्डा के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो गया है ।

श्री रेवती रमण सिंह व राधे रमण सिंह श्री गोपाल शरण सिंह के पुत्र हैं और अभिलेखों में उन्हें पुत्रगण ही कहा गया है ।

श्री रेवती रमण सिंह व राधे रमण सिंह पुत्रगण गोपाल शरण सिंह के नाम का इन्द्राज चकबन्दी प्रक्रिया के दौरान हुआ है, जिसमें अपर जिला मजिस्ट्रेट (ग्रामीण) द्वारा जांच की गयी है ।

सर्वश्री राधे रमण सिंह व रेवती रमण सिंह की भूमि राम गोपाल सिंह की भूमि के साथ सम्मिलित करते हुए श्री राम गोपाल सिंह के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही सक्षम न्यायालय के अन्तर्गत योजित है, जिसमें अन्तिम निर्णय होने पर यदि भूमि अतिरिक्त घोषित की जाती है तो उस पर यथासमय कब्जा लिया जायेगा । सम्प्रति यह प्रकरण न्यायाधीन (सब-ज्युडिस) है ।

सेतु निगम के उप परियोजना प्रबन्धक श्री सुनील पाण्डेय द्वारा की गई हवाई यात्राओं पर हुए व्यय का विवरण

37–श्री श्रीराम सिंह (गोण्डा)–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सुनील पाण्डेय, उप परियोजना प्रबन्धक सेतु निगम ने पिछले दो वर्षों में कितनी हवाई यात्रायें की और इसका औचित्य क्या था ? यात्रा पर क्या व्यय हुआ है ?

श्री राम कुमार वर्मा–

श्री सुनील पाण्डेय, उप परियोजना प्रबन्धक, उ० प्र० राज्य सेतु निगम लि० द्वारा गत दो वर्षों में तीन हवाई यात्रायें की गईं । उक्त हवाई यात्रायें तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री जी तथा अध्यक्ष, उ० प्र० राज्य सेतु निगम की निगम के हित में की जाने वाली विदेश यात्राओं के सम्बन्ध में आवश्यक प्रबन्ध करने हेतु की गयी थीं । श्री पाण्डेय की उक्त हवाई यात्राओं पर रु० 2.220-00 का व्यय हुआ ।

मवई से तामा व दुरेड़ी मार्ग पर मिट्टी डालने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा की गई शिकायतों की जांच

38–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री के नाम पत्रांक-क 200730. दिनांक 16-12-91 जो मवई से तामा व दुरेड़ी मार्ग पर बिना नाप तौल के मिट्टी गिट्टी डालने सम्बन्धी था, प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देहरादून की तहसील-चकराता में रिक्त पदों पर तैनात भू-लेख निरीक्षकों को स्थायी करने की मांग

39–श्री मुन्ना चौहान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देहरादून की तहसील चकराता में भू-लेख निरीक्षकों के चार मौलिक रूप से रिक्त पदों पर तैनात भू-लेख निरीक्षकों को स्थायी किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि जिन भू-लेख निरीक्षकों की मौलिक रिक्तियों पर नियुक्तियां हुई थीं, उन्हें जिलाधिकारी द्वारा स्थायी कर दिया जाना चाहिए था ? यदि हां, तो क्या जिला-अधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा ऐसी ही मौलिक रिक्तियों पर नियुक्त भू-लेख निरीक्षकों को उनकी नियुक्त तिथि से ही स्थायी कर दिया है ? यदि हां, तो जनपद देहरादून के तहसील चकराता व जनपद उत्तरकाशी में तैनात भू-लेख निरीक्षकों के स्थायीकरण की नीति में विभेद का कारण क्या है ? क्या मंत्री जी को इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 278406. दिनांक 15-2-92 प्राप्त हुआ है ?

श्री रमापति शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद हरदोई स्थित भू-लेख प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षित तथा चकराता तहसील में कार्यरत भू-लेख निरीक्षकों को स्थायी करने की मांग

40–श्री मुन्ना चौहान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भू-लेख निरीक्षक नियमावली, 1983 के अनुरूप भू-लेख प्रशिक्षण संस्थान हरदोई से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रोबेशन अवधि को संतोषजनक रूप से पूरा करने के बाद भी चकराता तहसील में मौलिक रिक्तियों पर नियुक्त किये गये भू-लेख निरीक्षकों को स्थायी किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि तहसील चकराता के भू-लेख निरीक्षकों को स्थायी न किये जाने के कारण से उ० प्र० राजस्व परिषद् द्वारा प्रकाशित मौलिक रूप से

नियुक्त/विनियमित नायब तहसीलदारों के 30 नवम्बर, 1990 तक संशोधित कोटिक्रम सूची में क्रमांक 390 व 473 पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के आरक्षित पद क्रमशः वर्ष 1987 व 1988 से रिक्त चले आ रहे हैं ? क्या यह सत्य है कि पद स्थायी भू-लेख निरीक्षकों से भरे जाने हैं ? यदि हां, तो क्या चकराता तहसील के उक्त भू-लेख निरीक्षकों को तत्काल स्थायी कर प्रदोन्नति देने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रमापति शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर के ग्राम इटवा के श्री दूधनाथ द्वारा भू-खण्ड पर काबिज होना

41–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर अन्तर्गत ग्राम इटवा के भूखण्ड संख्या–220 पर श्री दूधनाथ द्वारा अवैध कब्जा किये जाने के मामले में वर्ष 1987 से अब तक परगनाधिकारी, अकबरपुर को अनेकों प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उसी क्रम में नायब तहसीलदार द्वारा जांच आख्या देते रहने, पुलिस को कार्यवाही के लिए लिखे जाने सहित परगनाधिकारी द्वारा अवैध कब्जेदार के विरुद्ध भा० द० वि० की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने व अवैध कब्जा हटवाने के उक्त आदेश दिये जाने के बाद भी, आज तक अवैध कब्जा हटवाने की कार्यवाही क्यों नहीं पूर्ण हो पायी है ? बार-बार जांच होने व अवैध कब्जा साबित होने के बाद भी प्रभावी कार्यवाही कराकर अवैध कब्जा हटवाने की दिशा में उदासीनता बरतने हेतु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या त्वरित कार्यवाही करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

तहसील अकबरपुर जनपद फैजाबाद के प्रधान, ग्राम सभा–ससपना के विरुद्ध भारी अनियमितताओं के संदर्भ में, पूर्व विधायक श्री प्रियदर्शी जेतली के शिकायती पत्र पर कार्यवाही की मांग

42–श्री बच्चा पाठक, श्री श्याम नारायण तथा श्री भोला शंकर मौर्य–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के दूसरे गुरुवार का अता० प्रश्न संख्या 158 के उत्तर के आधार पर जिलाधिकारी को लिखे गये पत्रों को मूल रूप में सदन के पटल पर रखते हुए क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जेतली ने अपने पत्र में प्रधान द्वारा उन व्यक्तियों को ग्राम पंचायतों की मीटिंगों में सम्मिलित करके सभी प्रस्ताव पारित कराये हैं, जो पंच का चुनाव हार गये थे ? क्या उक्त के सम्बन्ध में श्री जेतली ने अपने पत्र में जिला पंचायत राज अधिकारी से उक्त के सम्बन्ध में प्रमाण प्राप्त करके संलग्न भी किया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि खण्ड विकास अधिकारी अकबरपुर द्वारा उक्त जांच को जिला पंचायत राज अधिकारी की भेजा गया है? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री रमापति शास्त्री–

अतारांकित प्रश्न सं० 158 में उल्लिखित पत्र दिनांक 3-3-91 मेरे कार्यालय कक्ष में देखा जा सकता है ।

जी हां ।

जी हां । जांच रिपोर्ट मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है ।

43–श्री राम प्रसाद सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड–घोरावल में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों का चयन

44–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद के घोरावल विकास खण्ड में बाल बाड़ी कार्यकत्रियों की चयन समिति की संस्तुति के बगैर विकास परियोजना में फर्जी सर्टीफिकेट पर कुछ आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की चयन समिति की सस्तुति के बगैर 2 वर्ष पूर्व से ही नियुक्तियां की गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिए कौन दोषी है व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर में मार्गों के अनुरक्षण मद में आवंटित धन और कराये गये कार्यों पर व्यय किये जाने की जानकारी

45–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में मार्गों के अनुरक्षण मद में, प्रत्येक खण्ड में कितना-कितना धन वर्ष 91-92 में आवंटित किया गया ? कितना धन मस्टर रोलों से कितना धन सामग्री खरीदने पर खर्च किया गया ? स्थायी गैंगों पर कितना धन व्यय किया गया तथा उनके द्वारा कितना कार्य किया गया ? मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता द्वारा गैंगों के कार्य को कब-कब चयन किया गया ? कितने वर्क आर्डर अनुरक्षण मद में बनाये गये तथा उनके बनाने की तिथि तथा भुगतान की तिथि क्या है ?

श्री राम कुमार वर्मा–

विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 28(3) के अन्तर्गत किये गये प्राविधान के अन्तर्गत उत्तर के अत्यधिक विस्तीर्ण होने के कारण उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद शाहजहांपुर में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये गये कार्यों और उस पर व्यय धनराशि का विवरण देने की मांग

46-श्री देवेन्द्र पाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में लोक निर्माण विभाग के सभी खण्डों में वर्ष 1991-92 में किस-किस माह में कितना-कितना धन किस-किस मार्ग पर व्यय हुआ ? कितना धन आवंटित था, व भौतिक प्रगति कितने प्रतिशत रही ? किस-किस मार्ग पर कितने अनुबन्ध बने ? कितने वर्क आर्डर बने ? इनकी प्रारम्भ होने की तिथियां क्या-क्या थीं कब-कब अन्तिम भुगतान किया गया तथा कार्य की भौतिक प्रगति कितने प्रतिशत रही ? यदि वर्ष 91-92 में प्रत्येक माह में आवंटित धनराशि से किसी मद में अधिक व्यय किया गया है, तो वह धन किस मद से निकाला गया तथा क्यों ?

श्री राम कुमार वर्मा-

विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 28(3) के अन्तर्गत किये गये प्राविधान के अन्तर्गत उत्तर अत्यधिक विस्तृत होने के कारण उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद फैजाबाद के ग्राम सभा-ससपना/अहेथा के सम्बन्ध मे पूर्व विधायक श्री प्रियदर्शी जेतली के पत्र की जांच एवं कृत कार्यवाही

47-श्री बंशीधर राज-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी फैजाबाद को सम्बोधित श्री प्रियदर्शी जेतली, पूर्व विधायक का दिनांक 1-2-92 व 3-2-92 का पत्र जो ग्राम सभा ससपना व अहेथा के सम्बन्ध में लिखा गया था, मूल रूप में सदन के पटल पर रखते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पत्रों में मूल शिकायतें क्या हैं ? उनके आधार पर अब तक क्या जिलाधिकारी ने पत्रावली मंगाकर देखा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उस पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

श्री प्रियदर्शी जेतली, पूर्व विधायक के दिनांक 1-2-92 व 3-2-92 के पत्र मेरे कार्यालय कक्ष में देखे जा सकते हैं । प्रार्थना पत्रों में मुख्य रूप से निम्नलिखित शिकायतें की गयी हैं :-

(1) ग्राम प्रधान ससपना के विरुद्ध यह शिकायत थी कि उन्होंने हारे हुए पंचों को नामित करके प्रस्ताव पारित कराया तथा बिना परगनाधिकारी के अनुमोदन के उनके आदेश का हवाला देकर दिनांक 16-12-87 को पट्टे की अमल दरामद कराई ।

(2) ग्राम प्रधान अहेथा के विरुद्ध यह शिकायत थी कि ग्राम प्रधान होते हुए भी ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा करके पद का दुरुपयोग किया ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रधान ग्राम सभा ससपना के विरुद्ध 5 आरोप लगाये गये थे जिसमें जांच अधिकारी द्वारा एक आरोप सत्य सिद्ध पाया गया । आरोप की गम्भीरता को देखते हुए श्री रामबरन सिंह, प्रधान ग्राम सभा ससपना को यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट की धारा 95(जी) के तहत परगनाधिकारी ने दिनांक 4-6-92

को निलम्बित कर दिया । ग्राम प्रधान अहेथा के विरुद्ध दिनांक 2-7-1990 को आरोप पत्र तामील कराया गया । जांच विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के थाना महराजगंज के अन्तर्गत ग्राम-उनियार निवासी श्री राम कृपाल के नाम भूमि का दर्ज न होना

48–श्री राम लखन–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फैजाबाद जनपद के थाना महराजगंज के अन्तर्गत ग्राम-उनियार निवासी श्री राम कृपाल आत्मज श्री सरयू प्रसाद को मृतक दिखाकर उसकी ग्राम सभा भिटोरा स्थित भूमि को कुछ लोगों ने वरासत दर्ज करा लिया है ? यदि हां, तो क्या उक्त मामले में जांच के बाद बरासत दर्ज होना गलत पाया गया ? क्या उक्त भूमि पुनः श्री रामकृपाल के नाम दर्ज हो गयी है ? यदि हां, तो कब ? श्री राम कृपाल को मृतक दिखाकर बरासत दर्ज करने के मामले में किस-किस को दोषी पाया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री रमापति शास्त्री–

प्राप्त सूचनानुसार श्री राम अभिलाख, ओंकारनाथ व कमलापति पुत्रगण महादेव, निवासी उनियार, परगना अमसिन, तहसील व जिला फैजाबाद द्वारा सहायक चकबन्दी अधिकारी कार्यालय में श्री राम कृपाल पुत्र सरयू मृतक के स्थान पर बरासतन अपने नाम दर्ज करने हेतु दिनांक 12-12-89 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे श्री राम अधार राम, सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा चकबन्दी अधिकारी कार्यालय को निस्तारण हेतु भेजा गया । चकबन्दी अधिकारी कार्यालय में वाद दर्ज कर दिनांक 25-12-90 को इश्तहार जारी कराया गया परन्तु कोई आपत्ति नहीं आयी और तब श्री राम अभिलाख वादी व श्री सुदलअली ग्राम प्रधान, ग्राम उनियार द्वारा दिये गये बयान के आधार पर दिनांक 1-2-91 को चक संख्या 301 में दर्ज खातेदार श्री राम कृपाल पुत्र सरयू प्रसाद मृतक के बजाय श्री राम अभिलाख, ओंकार नाथ व कमलापति पुत्रगण महादेव, निवासी ग्राम उनियार, धारा-175 जेड० ए० एल० आर० ऐक्ट के अन्तर्गत वारिस दर्ज किये गये । श्री राम कृपाल के मृतक न होने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई । फलस्वरूप कोई जांच भी नहीं की गयी । अतः उक्त भूमि पुनः श्री राम कृपाल के नाम दर्ज नहीं हुई है । वर्णित स्थिति में किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

खान अब्दुल बदूद खां, सदस्य, वि० परिषद् द्वारा मा० राजस्व मंत्री को प्रेषित पत्र सं० 738 दि० 22-12-87 के संदर्भ में कार्यवाही की मांग

49–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित अता० प्रश्न सं०–16 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में सदस्य, विधान परिषद् खान अब्दुल बदूद खां का पत्र सं०–738 उनके कार्यालय में ता० 22-12-87 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो पत्र में किन-किन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गई थी ? क्या उक्त जानकारी सदन के पटल पर रखी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

50–श्री भोला शंकर मौर्य–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

ग्राम अहेवा, ता० अकबरपुर, जनपद फैजाबाद के प्रधान के विरुद्ध नायब तहसीलदार व कानूनगो द्वारा परीक्षण आख्या एवं कृत कार्यवाही के प्रकाशन की मांग

51–श्री भोला शंकर मौर्य–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के दूसरे गुरुवार को निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 114 के उत्तर के आधार पर क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित प्रधान के विरुद्ध नायब तहसीलदार ने जो जांच की थी उसमें क्या तथ्य प्रकाश में आये थे ? क्या सम्पूर्ण रिपोर्ट सदन के पटल पर रखते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित नायब तहसीलदार ने उक्त रिपोर्ट को कब दाखिल किया ? उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रधान को पंचायत राज के किस अधिनियम के अन्तर्गत कब और क्या नोटिस दी गयी ? सम्बन्धित प्रधान ने पुनः तहसीलदार से जांच हेतु कब प्रार्थना-पत्र दिया ? क्या यह सही है कि दुबारा नायब तहसीलदार द्वारा जांच की गयी है ?

श्री रमापति शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद इटावा के परगना-औरैया के ग्राम खानपुर में सड़क निर्माण/सम्पर्क मार्ग हेतु अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर निर्धारण

52–श्री इन्द्र पाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम खानपुर, परगना औरैया, जनपद इटावा में सड़क निर्माण/सम्पर्क मार्ग के लिए अधिग्रहीत की गयी भूमि के प्रतिकर निर्धारण हेतु अभिनिर्णय प्रस्तावित कर दिया गया है ? क्या उक्त अभिनिर्णय बाजार दर पर प्रस्तावित किया गया है ? यदि हां, तो अधिग्रहीत की गयी भूमि संख्याओं की स्टैम्प पंजीयन हेतु बाजार मूल्य क्या है ? क्या प्रतिकर की धनराशि इसके अनुरूप ही निर्धारित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या भूमि अर्जन अधिनियम में किये गये प्राविधानों के अनुसार अभिनिर्णय प्रस्तावित किये जाने के पूर्व सम्बन्धित भू-स्वामियों को भी सुने जाने का अवसर प्रदान किया गया है । यदि नहीं, तो ऐसे प्रस्तावित अभिनिर्णय को अवैध मानते हुए सम्बन्धित भू-स्वामियों को सुने जाने के उपरान्त ही भूमि अर्जन अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार संशोधित अभिनिर्णय प्रस्तावित किये जाने हेतु क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत स्टैम्प पंजीयन हेतु दर वर्ष 1989 में 12 रुपये से 15 रुपये प्रति वर्गफुट तथा वर्ष 1990-91 में 25 रुपये से 30 रुपये प्रति वर्गफुट थी । प्रतिकर की दर स्टाम्प पंजीयन हेतु बाजार मूल्य के आधार पर निर्धारित नहीं की जाती बल्कि भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1894, जो एक केन्द्रीय अधिनियम है, की धारा–23 के अन्तर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार निर्धारित की जाती है ।

जी हां । भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा–9(1) की नोटिस भेजकर प्रभावित भू-स्वामियों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया । जिसके अनुपालन में प्रभावित भू-स्वामियों की ओर से श्री रुह अल्ला पुत्र खुदा बक्श ने अपनी आपत्ति भी प्रस्तुत की थी । इस प्रकार भू-स्वामियों को सुनने के पश्चात् ही अभिनिर्णय की घोषणा की गई थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा के मोहल्ला-चकचहारन तालफिरोज खां में प्रश्नगत भूमि के अवैध कब्जेदारों को बेदखल करने की कार्यवाही

53–श्री अवध पाल सिंह यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, राजस्व परिषद्, उ० प्र० के पत्र दिनांक 26 सितम्बर, 1989 पत्र संख्या–622/11-72/88 जो जिलाधिकारी-आगरा को सम्बोधित है, के अनुसार श्री बद्री विशाल दुबे, मुख्तार आम द्वारा श्री दान बिहारी लाल के मुहल्ला चकचहारन तालफिरोज खां जनपद आगरा को करीब 22 बीघा जमीन जो राजकीय स्थान की है और आगरा शहर में स्थित है, उक्त जमीन को अवैध कब्जेदारों से हटवा देने के लिए पब्लिक प्रीमिसीस एक्ट 1972 के अन्तर्गत वाद दायर करने के निर्देश दिये गये थे जिसके सम्बन्ध में उनके कार्यालय से भी पत्र संख्या एफ 1749 दिनांक 28-9-91 को जिलाधिकारी-आगरा को एक पत्र लिखा गया है जिसमें उनके द्वारा उपरोक्त प्रकरण लिखते हुये जिलाधिकारी आगरा से अनुपालन करने का निर्देश दिया है ? क्या यह भी सही है कि आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग करके अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने हेतु भी आदेश किया गया है क्या आज तक कोई कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्नगत भूमि के अवैध कब्जेदारों को बेदखल करने हेतु पब्लिक प्रीमिसिस ऐक्ट 1972 के अन्तर्गत 105 वाद सक्षम न्यायालय में दायर किये गये थे जिनमें से 35 मुकदमों में बेदखली के आदेश पारित हो चुके हैं, जिनमें दखल की कार्यवाही प्रगति पर है । तथा शेष वाद सक्षम न्यायालय की सुनवाई के अन्तर्गत हैं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

तहसील अकबरपुर, जनपद फैजाबाद के प्रधान, ग्राम सभा अहेथा के विरुद्ध भारी अनियमितताओं के संदर्भ में, पूर्व विधायक श्री प्रियदर्शी जेतली के शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

54–श्री बच्चा पाठक–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के चौथे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न सं० 188 के उत्तर के संदर्भ में राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अहेथा, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के परगनाधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 16-6-90 व नायब तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 16-6-90 तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 28-3-90 व परगनाधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 13-4-92 व 28-3-91 के अतिरिक्त दिनांक 1-2-92, 20-3-92 की रिपोर्ट जो कि श्री प्रियदर्शी जेतली द्वारा जिलाधिकारी को सम्बोधित है, को मूल रूप में सदन के पटल पर रखते हुए क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त संबंधित रिपोर्ट क्या है ? उन पर क्या आदेश पारित हुए और कब ? श्री जेतली ने अपने पत्रों में क्या तथ्य लिखा है ? क्या यह भी बतायेंगे कि संबंधित प्रधान को पंचायत राज ऐक्ट के अधिनियम 1947 की धारा-95 (जी) के अन्तर्गत कब नोटिस दी गयीं ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां । पत्र दिनांक 1-2-1992 व 20-3-92 में श्री प्रियदर्शी जेतली ने ग्राम प्रधान अहेथा के विरुद्ध ग्राम सभा की भूमि पर अतिक्रमण करने के दोषी पाए जाने पर भी प्रधान के विरुद्ध पंचायत राज ऐक्ट की धारा 95 (जी) के तहत कार्यवाही न किए जाने का उल्लेख किया है । श्री प्रियदर्शी जेतली के पत्र मेरे कार्यालय कक्ष में देखें जा सकते हैं ।

दिनांक 8-6-1992 को जिलाधकारी, फैजाबाद ने 3 दिन में आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिये थे ।

ग्राम प्रधान, ग्राम सभा अहेथा के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जाय ।

ग्राम प्रधान, ग्राम अहेथा के विरुद्ध पंचायत राज ऐक्ट 1947 की धारा-95 (जी) के अन्तर्गत कार्यवाही करके दिनांक 2-7-1990 को व्यक्तिगत रूप से आरोप-पत्र तामील कराया गया है ।

ग्राम प्रधान ने आरोप पत्र का उत्तर दिनांक 5-7-1990 को दिया जिसमें उसने जिरह व सफाई का अवसर देने की प्रार्थना की । तहसीलदार ने अपने जांच आख्या दिनांक 28-10-91 को परगनाधिकारी को भेजी फिर दिनांक 27-12-91 को परगनाधिकारी ने जिरह व साक्ष्य का अवसर देने हेतु तहसीलदार को वापस कर दी । दिनांक 13-1-92 को तहसीलदार ने पुनः आख्या भेजी । दिनांक 27-1-92 को प्रधान ने एक प्रार्थना पत्र दिया और जांच आख्या निरस्त करने का निवेदन किया । इसी प्रार्थना पत्र पर दिनांक 30-1-92 को परगनाधिकारी ने पुनः परीक्षण हेतु पत्रावली तहसीलदार को वापस भेज दी । तहसीलदार ने पत्रावली नायब तहसीलदार को दे दी जिन्होंने दिनांक 18-2-1992 को अपनी आख्या तहसीलदार को भेजी । इसी बीच संपूर्ण पत्रावली जिला अधिकारी द्वारा मंगा ली गई तथा मुख्य राजस्व अधिकारी को दि० 2-5-92 को जांच/परीक्षण हेतु भेजी गयी । मुख्य राजस्व अधिकारी ने परगनाधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा । परगनाधिकारी ने दिनांक 21-5-92 को तहसीलदार को परीक्षण हेतु भेजा । तहसीलदार स्तर से कार्यवाही विचाराधीन है । इस बीच दिनांक 19-6-92 को परगनाधिकारी ने तहसीलदार को स्वयं जांच कर आख्या भेजने हेतु निर्देशित किया । तहसीलदार ने दिनांक 21-8-92 को परगनाधिकारी से निवेदन किया कि अपर परगनाधिकारी से जांच कराई जाय लेकिन परगनाधिकारी सहमत नहीं हुए और दिनांक 24-8-92 को पुनः तहसीलदार के स्तर पर जांच विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद की तहसील-अकबरपुर के ग्राम सोनगांव में प्रश्नगत जमीन रसूलबक्श पुत्र बुद्धू के नाम अंकित होना

55–श्री बच्चा पाठक–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सोनगांव, तहसील अकबरपुर, जनपद फैजाबाद में स्थित श्री केदारनाथ जूनियर हाईस्कूल के नाम कुछ जमीन राजस्व अभिलेखों में दर्ज है ? यदि हां, तो अंकित रकबा व प्लाट नंबर क्या है ? कब से, किसके आदेश से भूमि दर्ज है ? क्या यह सही है कि जिस भूमि पर विद्यालय की स्थापना बताई जाती है, वह भी उसके नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है ? यदि हां, तो उक्त भूमि किसके नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है और कितनी ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

जी हां ।

उक्त भूमि जोत चकबन्दी आकार पत्र-23 भाग-1 के खाता संख्या- 704 में 0-16-4 क्षेत्रफल रसूलबक्श पुत्र बुद्धू निवासी उक्त ग्राम के नाम एवं खाता संख्या-900 में 4-10-0 क्षेत्रफल ग्राम सभा बंजर में अंकित है ।

56–श्री बच्चा पाठक–

[1ले मंगल में अता० प्र० सं० 168 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

वाराणसी स्थित राजकीय महिला संरक्षण गृह की सहायक अध्यापिका श्रीमती शहजादी बेगम एवं श्रीमती सुशीला मिश्रा का स्थानान्तरण

57–श्री दीनानाथ सिंह यादव–

क्या राजस्व कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती शहजादी बेगम, प्रशिक्षिका एवं श्रीमती सुशीला मिश्रा, सहायक अध्यापिका, राजकीय महिला संरक्षण गृह वाराणसी में कब से कार्यरत हैं ? इनका स्थानान्तरण अभी तक क्यों नहीं किया गया ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

श्रीमती शहजादी बेगम, प्रशिक्षिका, एवं श्रीमती सुशीला मिश्रा, सहायक अध्यापिका, राजकीय महिला संरक्षण गृह, वाराणसी में कार्यरत नहीं है ।

इनका स्थानान्तरण हो चुका है ।

लोक निर्माण सचिव, शाखा, प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ में कर्मचारियों का स्थायीकरण

58–श्री राम पाल वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतलायेंगे कि प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ, लोक निर्माण सचिव शाखा में किन-किन कर्मचारियों को किस-किस पद पर स्थायी कर दिया गया है ? किस कर्मचारी का स्थायीकरण अभी तक लम्बित है ? अधिसूचना संख्या- 1648/47- का-4-90-48-79, दिनांक 7-2-1991 के अनुसार किन-किन पदों को एक ही संवर्ग में रखा गया है ? तद्नुसार प्रत्येक कर्मचारियों का पुनः स्थायीकरण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? कोष्ठ के पत्र संख्या- 688 सी० टी० ई०/23-पी डब्लू-स्था०/89, दिनांक 22-5-1989 के साथ पठित पत्र संख्या-111 टी० ए० सी०/23-पी० डब्लू० 1990, दिनांक 4-9-1990 में उपलब्ध संस्तुति के आधार पर क्या निर्णय लिया गया है ? कब तक स्थायीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे ?

श्री रामकुमार वर्मा–

प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ, लोक निर्माण सचिव शाखा में निम्नलिखित कर्मचारियों को वर्तमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर स्थायी कर दिया गया है–

सर्वश्री–

1–प्यारे लाल	वरिष्ठ सहायक
2–राज किशोर तिवारी,	वरिष्ठ सहायक
3–राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव	आशुलिपिक
4–कु० आशा रानी शर्मा,	आशुलिपिक
5–श्रीमती दीपाली डे,	आशुलिपिक
6–कु० बीना अग्निहोत्री,	आशुलिपिक

7–अनिल कुमार निगम, वरिष्ठ लिपिक

8–सन्त राम कनिष्ठ लिपिक

9–श्रीमती कृष्णा देवी सिंह, आशुलिपिक

किसी कर्मचारी का स्थायीकरण लम्बित नहीं है ।

अधिसूचना संख्या-1648/47-का -4-90-48-79, दिनांक 7-2-1991 में प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ, लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के संवर्गीयकरण का कोई प्राविधान नहीं है । अतः उनके पुनः स्थायीकरण का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत मामले में की गयी संस्तुति के आधार पर स्थायीकरण के आदेश जारी कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मेवालाल वर्मा ग्राम प्रधान बरवां, भदोही, वाराणसी द्वारा ग्राम सभा की सम्पत्ति बचाने, तहसील स्तर पर फर्जी फाइलों से नम्बरों पर अन्य नाम चढ़ाने व इन्द्राज खारिज करने के संबंध में प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही

59-श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मेवालाल वर्मा, प्रधान, बरवां, भदोही, वाराणसी के एक प्रार्थना पत्र जो कि गांव लखनपुर उर्फ अभयनपुर परगना व तहसील भदोही, जिला वाराणसी में गांव सभा अभयनपुर उर्फ लखनपुर की जमीन को कुछ व्यक्तियों ने नायब तहसीलदार भदोही के यहां से फर्जी पट्टा दिखा कर अपने नाम करायी है, उसमें आठ बिन्दुओं को मय रकबा व तथ्यों के साथ दर्शाया गया है, को प्रश्नकर्ता ने राजस्व सचिव को दिनांक 3-4-92 को अपने पत्र के साथ भेजा था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उसका उत्तर श्री सी० एल० कुरील, संयुक्त सचिव ने अपने अर्ध० शा० प० सं०-वी०-70/1-2/93-210-2 राजस्व अनुभाग दो उत्तर प्रदेश शासन, दि० लखनऊ 26 मई, 92 के द्वारा प्रश्नकर्ता को सूचित किया है कि इस संबंध में जिलाधिकारी वाराणसी को आवश्यक कार्यवाही करने को लिखा गया है ? यदि हां, तो जिलाधिकारी, वाराणसी ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ? गांव सभा की सम्पत्ति को बचाने तथा तहसील द्वारा फर्जी फाइलों द्वारा उक्त नम्बरों पर अन्य नाम चढ़ाने के बारे में दोषी लोगों तथा जमीन हड़पने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? इन्द्राज खारिज के संबंध में क्या निर्णय किया गया ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

जी हां । प्रश्न में इंगित सी० एल० कुरील, संयुक्त सचिव का अर्ध शा० पत्रांक-वी-०70/1-2-92-रा०-2, दिनांक 26 मई, 1992 है ।

इसकी जांच जिलाधिकारी के निर्देश पर परगनाधिकारी द्वारा की गई ।

गांव सभा की सम्पत्ति को बचाने के लिये अनियमित पट्टों के निरस्तीकरण का वाद अपर जिलाधिकारी (प्र०) ज्ञानपुर के न्यायालय में संस्थित करा दिया गया है और इन वादों में न्यायालय द्वारा स्थगनादेश पारित किया गया है । फर्जी फाइलों द्वारा अन्य नाम चढ़ाने के लिये दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं तथा आरोप पत्र जारी कर दिया गया है ।

इन्द्राज खारिज करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है ।

60–श्री राम स्वरूप वर्मा–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

[illegible]

61–श्री बंशीधर राज–

क्या राजस्व मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के चौथे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न सं०-190 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक सम्बन्धित प्रधान के विरुद्ध आरोप प्रमाणित होने के बाद क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उक्त संबंध में दिनांक 15-5-92, 15-2-92, 2-4-92, 3-2-92 व 3-6-92 को श्री प्रियदर्शी जेतली भू० पू० विधायक द्वारा उक्त जिलाधिकारी फैजाबाद को पत्र लिखे गये ? यदि हां, तो सम्बन्धित पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या श्री जेतली के दिनांक 3-6-92 के पत्र पर जिलाधिकारी ने परगनाधिकारी को कोई आदेश दिया है ? यदि हां, तो वह आदेश क्या है ? उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

[illegible]

62–श्री समीउल्ला––

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम में गंगा नदी के कटान से प्रभावित सढ़ियापुर, म्योरा, जटसेनामऊ, कटरी, करमोला, शाहपुर पवार, कुतुबपुर आदि ग्रामों का बन्दोबस्त कराने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो उक्त गांवों के किसानों को राहत पहुंचाने के लिए किन उपायों पर शासन विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जनपद हरदोई में तहसील बिलग्राम के प्रश्नगत ग्रामों में अन्वेषण की कार्यवाही करायी जा रही है ।

अन्वेषण कार्य पूर्ण होने पर तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही विधिवत् सुनिश्चित किये जाने के निर्देश जिलाधिकारी, हरदोई को दे दिये गये हैं ।

63–श्री समीउल्ला–

[नियम 28 (7) के अन्तर्गत निरस्त]

64–श्री समीउल्ला––

[दिनांक 12-3-92 को अता प्र० स० 91 के द्वारा उत्तरित]

[illegible]

65–श्री समीउल्ला–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई में तहसील बिलग्राम के परगना मल्लावां के अन्तर्गत ग्राम सभा नया गांव में ग्राम समाज की भूमि पर अनधिकृत कब्जे किये गये हैं ? यदि हां, तो उन्हें

बेदखल करने के क्या उपाय किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिए कौन व्यक्ति दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

अनधिकृत काबिजदारों के विरूद्ध उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के नियम 115 सी के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में वाद संस्थित किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पीलीभीत एवं शाहजहांपुर सीमा पर कगुनियाई घाट पर पुल का निर्माण कार्य किया जाना

66– श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत तथा शाहजहांपुर सीमा पर कगुनियाई घाट पर कोई बड़े पक्के पुल का निर्माण वर्तमान में कराया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त पुल की स्वीकृति किसके द्वारा दी गयी ? यदि नहीं, तो उक्त पुल किन परिस्थितियों में किसके द्वारा निर्मित कराया जा रहा है ?

श्री राम कुमार वर्मा–

शासन द्वारा कोई पुल निर्माणाधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त पुल स्थानीय व्यक्तियों द्वारा निर्मित कराया जा रहा था जिसे जिला प्रशासन द्वारा रोक दिया गया है ।

भूतपूर्व लेखपाल की ओमप्रकाश श्रीवास्तव क्षेत्र सादीपुर, तहसील मुसाफिरखाना जनपद सुलतानपुर के बीमा धनराशि एवं जी० पी० एफ० की धनराशियों का भुगतान

67–श्री शिव नारायण मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूतपूर्व लेखपाल श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, क्षेत्र सादीपुर, परगना व तहसील मुसाफिरखाना, जनपद सुल्तानपुर को जीवन बीमा की धनराशि 810 रुपये का भुगतान 1984 में किया गया है ? यदि उक्त भुगतान 1984 में किया गया, तो जी० पी० एफ० के लेजरशीट (वर्ष 1981 में) अंकित धनराशि 1617 रुपये का भुगतान दिनांक 8-12-89 को किये जाने का क्या औचित्य था साथ ही 1-7-1979 से द्वितीय वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर लगभग 29 माह के वेतन का अवशेष तथा 15-2-77 से 31-1-81 तक जमा उपार्जित अवकाश का भुगतान अभी तक क्यों नहीं किया गया ? उक्त भुगतान ब्याज सहित कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं । श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, भूतपूर्व लेखपाल को देय सामूहिक जीवन बीमा योजना की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया ।

श्री श्रीवास्तव को देय जी० पी० एफ० की धनराशि अंकन रु० 1617 उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 30-6-1989 के संदर्भ में मनीआर्डर द्वारा भेज दी गयी ।

पुनरीक्षित वेतन निर्धारण किये जाने के फलस्वरुप बकाया धनराशि के भुगतान किये जाने तथा उपार्जित अवकाश के नकदीकरण के भुगतान किये जाने के संबंध में जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को निर्देश भेज दिये गये हैं ।

68–श्री राम लखन–

[1 ले शुक्रवार में अता० प्र० सं० 181 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद आजमगढ़ के पवई ब्लाक में विलार सुन्हाडीह मार्ग को पूर्ण कराये जाने की मांग

69–श्री राम लखन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के पवई ब्लाक में विलार सुन्हाडीह मार्ग के लिए कितना धन स्वीकृत हुआ है ? अब तक उसमें से कितना धन खर्च किया गया है ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि उक्त सड़क अधूरी है और सड़क पर बड़े-बड़े रोड़े होने से साइकिल यात्री व पैदल चलने वाले आये दिन दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं ? उक्त रोड़े वाली सड़क कब तक पूर्ण हो जायेगी ? क्या अब तक उस सड़क पर रोलर चलाया गया है ? क्या सड़क को पेन्ट करवाने पर शासन में विचार हो रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम कुमार वर्मा–

प्रश्नगत मार्ग हेतु 25.95 लाख रु० की स्वीकृत प्रदान की गई थी । इस कार्य पर अब तक 19.00 लाख का व्यय किया जा चुका है ।

जी हां ।

जी नहीं ।

खड़ंजा से लेपन स्तर का कार्य अभी स्वीकृत नहीं है ।

जी हां ।

कार्य जिला योजना की परिधि में आता है । जिसकी स्वीकृत जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

श्री बदरुद्दीन सेवानिवृत्त चकबन्दी लेखपाल जनपद रायबरेली को देय ग्रेच्युटी, बीमा, एवं पेंशन का भुगतान

70– श्री जाहिद हुसैन–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बदरुद्दीन, चकबन्दी लेखपाल, जिला रायबरेली से दिसम्बर, 1990 में सेवानिवृत्त हुए तो, उन्हें ग्रेच्युटी, पूरी पेन्शन तथा बीमा की धनराशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उक्त देयों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री रमापति शास्त्री–

श्री बदरुद्दीन सेवानिवृत्त चकबन्दी लेखपाल, जनपद रायबरेली जो दि० 31-12-90 को सेवानिवृत्त हुए थे, को पूरी पेन्शन का भुगतान किया जा रहा है तथा उ० प्र० राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा के अन्तर्गत जमा धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। उन्हें अनुमन्य ग्रेच्युटी से रु० 1070 का भुगतान रोकते हुए, शेष धनराशि का भुगतान कर दिया गया है।

श्री बदरुद्दीन को उनके सेवाकाल में रु० 1773.25 पैसे का वेतन पुनरीक्षण में अधिक भुगतान हो गया था। उक्त धनराशि सरकारी कोष में जमा करने हेतु उन्हें लिखा गया है। श्री बदरुद्दीन द्वारा धनराशि रु० 1773.25 पैसे राजकीय कोष में जमा करते ही रोकी गई ग्रेच्युटी का भुगतान किया जायेगा।

जनपद झांसी के मऊ-गरौठा मार्ग में निर्मित पुल लखौरी नदी पर पत्थर के बोल्डरों द्वारा पिचिंग कार्य में फर्जी पैमाइश दर्ज कर हजारों रुपयों की धोखाधड़ी

71–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के मऊ-गरौठा मार्ग में निर्मित पुल लखौरी नदी पर पत्थर के बोल्डरों द्वारा पिंचिंग कार्य में फर्जी पैमाइश दर्ज कर हजारों रुपयों की धोखाधड़ी का आरोप अधीक्षण अभियन्ता, 19वां वृत्त द्वारा प्रमाणित हो चुका है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सरकारी कागजात में जालसाजी करके शासकीय धन को हेराफेरी के गबन का अपराध पंजीकृत करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस कार्य में 1.31.522.55 रु० का व्यय स्वीकृत आगणन में कोई प्राविधान न होने पर भी किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामकुमार वर्मा–

प्रश्नगत जांच आख्या प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण से प्रतीक्षित है।

प्रमुख अभियन्ता की संस्तुति प्राप्त होने पर उसके प्रकाश में अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी।

जी हां।

पूर्ण आख्या प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

बांदा जनपद के ग्राम सभा तिन्दवारा में चक सं० 813 (अ) पर गलत नाम दर्ज करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

72–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के ग्राम सभा तिन्दवारा में चक नं० 813 (अ) लखन नरेश पुत्र श्री मिथला शरण संरक्षक चन्द्र किशोर (मामा) के नाम दर्ज है ? जो फर्जी है क्योंकि इस नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है ? यदि हां, तो क्या यह फर्जी कार्य सीलिंग से भूमि बचाने के लिए किया गया है ? यदि नहीं, तो फर्जी नामों से यह चक दर्ज करने का क्या कारण है ? क्या दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है।

[illegible] 1991-92 [illegible]

73–श्री गया चरन दिनकर–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के समस्त विद्यालयों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की वर्ष 91-92 की छात्रवृत्ति वितरित कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो अवशेष छात्रों की संख्या क्या है तथा छात्रवृत्ति न दिए जाने का वास्तविक कारण क्या है ? क्या अवशेष छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं ।

अवशेष छात्रों की संख्या-3287 है तथा डाक घर स्तर से समय से विद्यालयों के संयुक्त खातों में धनराशि स्थानान्तरण न होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका ।

जिन विद्यालयों में धनराशि का वितरण शेष है, डाकघर द्वारा धनराशि विद्यालयों के सयुंक्त खातों में स्थानान्तरित कराने की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त छात्रवृत्ति का वितरण किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[illegible] निर्देश

74–श्री धर्मपाल यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के मोहल्ला कानूनगोयान में 5/6 मार्च, 92 को जमीन धसने से मोहल्ला काजीवाड़ा, असारियान, चौधरियान-चौखुन्टी, अवर जिन्दागान, मौलाना आजाद रोड, बहलीमान, कायस्थान, टंटान सादात, इमामबाड़ा, दरगाह पीरजादगान, बजरिया, मृदगान कसाई बाड़ा सराय काजी में जमीन धसने से मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं ? यदि हां, तो सरकार इसका परीक्षण कराकर क्षतिग्रस्त परिवारों को सहायता देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जनपद बुलन्दशहर के कस्बा वरन के उपरकोट के मोहल्ले काजीबाड़ा अंसारियान, चौधरियान, चौखंटी, अवर जिन्दागान, मौलाना आजाद रोड, बहलीमान, कायस्थान, टंटान, सादात, इमामबाड़ा, दरगाह पीरजादगान, बजरिया, मृदगान, कसाईबाड़ा सरायकाजी में दिनांक 5/6 मार्च, 1992 में कोई जमीन नहीं धंसी और न ही कोई क्षति हुई । केवल मोहल्ला कानून गोयान में 6 मकानों में मामूली दरारें आई थीं, जमीन नहीं धंसी है । प्रथम दृष्टतया सहायता हेतु पात्र न होने के कारण सम्प्रति जिला स्तर पर राहत नहीं प्रदान की गयी है तथापि मण्डलायुक्त को मामले के पुर्नपरीक्षण के निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं ।

[illegible]

75–श्री छोटे लाल यादव–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के पांचवे गुरूवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं० 59 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत संदर्भ में कार्यरत कर्मचारियों को पदों की स्वीकृति के अभाव में कार्यमुक्त करने के बाद भी कोई नियुक्तियां इन्हीं पदों पर की गयीं हैं ? यदि हां, तो कार्यरत व्यक्तियों को वरीयता क्यों नहीं दी गयी है ?

श्री रमापति शास्त्री–

पदों की स्वीकृति के अभाव में जिन कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर दिया गया था, उसके पश्चात् आयुक्त, फैजाबाद मण्डल फैजाबाद द्वारा बाद में 8 सामयिक सहायक वासिल वाकी नवीस के पदों की स्वीकृति प्राप्त होने पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची में से वरीयता/उपयुक्तता एवं अनुपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी द्वारा नियुक्तियां की गयीं व समय-समय पर प्राप्त सामयिक स्टाफ की स्वीकृतियों पर की जाती रहीं ।

[illegible]

76–श्री छोटे लाल यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० शासन के संयुक्त सचिव मनमोहन सिंह द्वारा सचिव, राजस्व परिषद्, उ० प्र० अनुभाग-12 लखनऊ को प्रेषित पत्र दिनांक 14-12-1988 राजस्व अनुभाग-4 पत्र सं०-5169/1-4/83-580 बी-4/88 पर क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या यह सच है कि संबंधित प्रकरण में उल्लिखित व्यक्ति अब भी यथावत कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

सचिव, राजस्व परिषद् द्वारा आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद तथा जिलाधिकारी, बाराबंकी को शासनादेश दिनांक 14-12-88 का अनुपालन करने के लिये निर्देशित किया गया ।

जी हां ।

परिषदादेश का अनुपालन करने हेतु परिषद् द्वारा पुनः जिलाधिकारी बाराबंकी तथा आयुक्त, फैजाबाद मंडल को निर्देशित कर दिया गया है ।

[illegible]

77–श्री विजय पाल सिंह तोमर–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के दूसरे शुक्रवार (दि० 26-7-85) के लिए श्री हर्षवर्धन विधायक द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-76 के उत्तर के संबंध में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त प्रश्न के आधार पर प्रतिवादी का आम रास्ते से अवैध कब्जा हटवा दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ? तहसीलदार सदर व जिलाधिकारी, गोण्डा के वाद रिवीजन नं० 13/12/51 धारा 122 बी में दिनांक 16-10-84 के आदेशों व इस संबंध में श्री चन्द्र भान मौर्य, विधायक के पत्र दिनांक 21-8-91 के साथ ग्राम गुरसड़ा, तहसील करनैलगंज, गोण्डा के ग्रामवासियों के प्रार्थनापत्र की जांच को मंत्री जी सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? उपरोक्त तहसीलदार के आदेशों के अनुसार

नक्शे में अमल दरामद व मौके पर पुलिस बल सहित पैमाइश कराकर गांव सभा की विवादित जमीन से ढाई लट्ठा चौड़ा ट्राली व बैलगाड़ी ले जाने के आम रास्ते का सरहद अलग कर गांव वालों को कब्जा कब तक दिला दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

[illegible]

78–श्री विजयपाल सिंह तोमर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम कुमार शाक्य, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 31-12-91 के साथ श्री राजनारायन दुबे, भूतपूर्व विकलांग सैनिक, ग्राम महमतपुर, तहसील-बीकापुर, जिला फैजाबाद का प्रार्थना पत्र तथा ग्राम प्रधान महमतपुर द्वारा गांव सभा की जमीन के पट्टे का प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कर तहसील स्तर पर उपरोक्त गांव सभा के पट्टे तथा सुविधा के आधार पर पैमाइश कराकर सरहद अलग कर स्थानीय पुलिस के समक्ष प्रार्थी को अभी तक कब्जा न दिलाए जाने का क्या कारण है ? उपरोक्त कब्जा कब तक दिला दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

श्री राज नारायन दुबे पुत्र श्री सुख मंगल दुबे निवासी महमतपुर परगना खण्डासा तहसील बीकापुर को भूतपूर्व विकलांग सैनिक की प्राथमिकता के आधार पर उक्त ग्राम में भूमि का आवंटन करके कब्जा दे दिया गया है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

79–श्री बची सिंह रावत–

[मंत्रिपरिषद् में सम्मलित होने के कारण हटाया गया]

[illegible]

80–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि रायबरेली और उन्नाव जिलों को बछरावां, हिलौली रोड के माध्यम से जोड़ने वाली लिंक रोड के मध्य में कितनी रोड अवशेष है ? उक्त शेष लिंक रोड कब तक बन जायेगी ? इस मार्ग को पूरा कर लेने के लिए शासन का प्रस्ताव है ?

श्री राम कुमार वर्मा–

रायबरेली और उन्नाव जिलों को बछरांवा हिलौली मार्ग के माध्य से जोड़ने वाले लिंक मार्ग के मध्य में 4.25 कि० मी० खड़ंजा मार्ग है ।

चूंकि उक्त भाग खड़ंजा से लेपन स्तर तक निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत किसी भी योजना में स्वीकृति नहीं है । अतः उसे लेपित किया जाना सम्प्रति संभव नहीं है ।

सम्प्रति कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

81-82–श्री लीला राम शर्मा–

[ले मंगल में अता० प्र० सं० 188-189 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

[illegible]

83– श्री श्रीराम (मऊ)–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम देवकली, परगना बेलहाखास, तहसील-लालगंज, जनपद आजमगढ़ का धारा-52 च० अ० के अन्तर्गत प्रकाशन वर्ष 1979 में हो चुका है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि अब तक वहां तहसील में खसरा और खतौनी नहीं बनी है और न कोई भी कागजात वहां पर उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उपरोक्त गांव का कागजात दुरुस्त कराने के सन्दर्भ में शासनादेश निर्गत हुआ था ? यदि आदेश हुआ था तो क्या अब तक कागजात दुरुस्त कराकर खतौनी व खसरा बनवाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उपरोक्त गांव का कागजात दुरुस्त कराकर खसरा बनवाये जाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

[illegible]

84–श्री अनिल कुमार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद में लोक निर्माण विभाग के किन-किन अधिकारियों को कार्यालय/आवासीय टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है ? उक्त विभाग में कुल कितने टेलीफोन लगे हैं और उन पर कितना धन वार्षिक व्यय किया जाता है ? क्या कार्यालय में टेलीफोन न होने की दशा में इसका भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ? क्या आवासीय टेलीफोन बिलों का भुगतान भी सरकार को देना पड़ता है ? यदि हां, तो किन-किन अधिकारियों को आफिस/आवासीय टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है ?

श्री राम कुमार वर्मा–

जनपद सीतापुर में लोक निर्माण विभाग के एक अधीक्षण अभियन्ता एवं चार अधिशासी अभियन्ताओं को कार्यालय/आवासीय टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है । एक कार्य अधीक्षक को केवल आवासीय टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है ।

कुल ग्यारह टेलीफोन लगे हैं । वर्ष 1991-92 में टेलीफोन पर रु० 67.376 व्यय किया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां । शासकीय कार्यों हेतु किए गये काल्स का भुगतान करना पड़ता है ।

इस बिन्दु का उत्तर उत्तरालेख के प्रारम्भिक प्रस्तर में दे दिया गया है ।

जनपद बस्ती की तहसील-खलीलबाद में पुनः चकबन्दी कराने की मांग

85–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील खलीलाबाद, जनपद बस्ती में पुनः चकबन्दी प्रक्रिया लागू किये जाने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह प्रक्रिया कब से लागू होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में किसानों को स्वावलम्बी बनाने हेतु विभिन्न योजनाओं का विवरण

86–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाकर गरीब किसानों को स्वावलम्बी बनाने की दिशा में सरकार कोई योजना लागू करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और वह कब तक लागू होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उमानाथ सिंह–

दुग्ध विकास विभाग द्वारा दुग्ध उत्पादन बढ़ाकर किसानों को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित योजनाएं चलायी जा रही हैं अथवा प्रस्तावित हैं:

<u>योजना का नाम</u>	<u>प्रारम्भ होने का वर्ष</u>
1–महिला डेरी परियोजना	90-91
2–गैर आपरेशन फ्लड जनपदों में डेरी विकास परियोजनाएं	90-91
3–सघन मिनी डेरी परियोजना	91-92
4–गूजर विकास योजना	91-92
5–उत्तरांचल सहकारी चारा विकास एवं पशु प्रबन्ध योजना	92-93
6–नैनीताल में भ्रूण प्रत्यारोपण योजना ।	92-93

योजनाओं की रूपरेखा संलग्न है । †

श्री रविचन्द्र सिंह आदि पुत्रगण श्री सत्यनाम सिंह निवासी ग्राम बहरेलामीह जनपद बाराबंकी के क्रुर्क बाण्डों के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा दि० 20-9-91 को मा० राजस्व मंत्री को प्रेषित पत्र पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही

87–श्री तीरथ राज–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के द्वितीय गुरूवार हेतु निर्धारित अतांरांकित प्रश्न संख्या-28 के उत्तर के संबंध में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन परिस्थितियों में भूमि विनाश पुनर्वास प्रतिकर बाण्डों का वितरण एवं भुगतान रोक दिया गया था ? क्या पुनर्वास बाण्डों का वितरण

---

† छापी नहीं गयीं ।

एवं भुगतान रोक देना वैधानिक एवं न्याय संगत है ? क्या यह सत्य है कि बाण्डों का वितरण एवं भुगतान रोकने के कारण संबंधित बाण्ड धारकों को पुनर्वासित होना प्रभावित हुआ है ? क्या प्राकृतिक न्याय एवं मुद्रा अवमूल्यन को दृष्टिगत रखते हुए बाण्ड धारकों का बकाया भू-राजस्व माफ किया जायेगा और क्या शासकीय कोष से धन आवंटित करके भू-राजस्व में समायोजित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

राजस्व देयों की बकाया की वसूली के संबंध में प्रश्नगत बाण्ड कुर्क करके उनका भुगतान रोक दिया गया था ।

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

ऐसा कोई प्राविधान नहीं है ।

जनपद बाराबंकी की तहसील रामसनेही घाट के परगना दरियाबाद स्थित "दि मैकनाइज कमियार फार्म" हेतु अधिग्रहीत भूमि के अवशेष मुआवजे के भुगतान की मांग

88–श्री तीरथ राज–

क्या पशुधन मंत्री को जानकारी है कि "दि मैकनाइज कमियार फार्म" जनपद बाराबंकी, तहसील रामसनेही घाट, परगना दरियाबाद में स्थित है ? यदि हां, तो "दि मैकनाइज कमियार फार्म" का गठन किस वर्ष किया गया ? फार्म के निर्माण में कुल कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया ? कितना मुआवजा शासन द्वारा देय हुआ ? कितना मुआवजा (प्रतिकर) की धनराशि का भुगतान अवशेष है ? अवशेष धनराशि का भुगतान संबंधित कृषकों को कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उमानाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मिर्जापुर स्थित राजकीय विकलांग कर्मशाला संघ मोहाल के मृतक श्री रामहित साहू की पत्नी श्रीमती श्यामवती को सेवायोजित करने के निर्देश

89–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय विकलांग कर्मशाला संघ, मोहाल, मिर्जापुर में कार्यरत कम्पाउन्डर रामहित साहू की दौरान सेवाकाल दिनांक 12-12-91 को मौत हो चुकी है ? उनकी पत्नी श्यामवती मृतक आश्रित ने कब से सेवा में समायोजन के लिए विभाग में दरख्वास्तें दी है ? क्या उन्हें सेवा में समायोजित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

श्री रामहित साहू, कम्पाउन्डर की मृत्यु सेवाकाल में दिनांक 12-12-90 को हुई थी ।

मृतक की पत्नी ने मई 1991 में आवेदन पत्र दिया ।

जी हां ।

मृतक की पत्नी की नियुक्ति शीघ्र करने के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी मिर्जापुर एवं मण्डलीय उपनिदेशक समाज कल्याण वाराणसी को निर्देश दे दिये गये हैं ।

जनपद बांदा के अन्तर्गत सहायक रजिस्ट्रार कानून गोयानों के पद पर नियुक्त व्यक्ति का स्थायीकरण

90–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा अंतर्गत सहायक रजिस्ट्रार कानून गोयानों के पद दिनांक 16-8-89. 31-8-90. 3-4-91 एवं 25-4-91 में स्थायी रूप से रिक्त हुए हैं जिनमें जिला अधिकारी, बांदा द्वारा दिनांक 12-3-91. 2-9-91. 13-10-91 एवं 2-11-91 को नियुक्त कर भरा गया है । एवं दि० 25-9-91 एवं 7-12-91 को जिला अधिकारी, बांदा द्वारा स्थायीकरण कर दिया गया है । यदि हां, तो क्या स्थायी रिक्ति के दिनांक से स्थायीकरण की तिथि के मध्य दो वर्ष की अवधि के पूर्ण होने की नियमित बाध्यता है ? यदि हां, तो उसे उल्लंघन कर अल्प अवधि में स्थायीकरण का क्या औचित्य है ? क्या उक्त स्थायीकरण आदेश निरस्त किया जायेगा ? यदि हां,तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

स्थाई रिक्ति से स्थायीकरण की तिथि के मध्य दो वर्ष की बाध्यता का नियम नहीं है, वरन् सम्बद्ध कर्मचारी की दो वर्ष की सेवा पूर्ण हो जाने के उपरान्त स्थायीकरण किये जाने का प्राविधान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा की तहसील कर्वी में कार्यरत भूलेख निरीक्षक की अस्थाई प्रोन्नति

91–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा अंतर्गत तहसील कर्वी में कार्यरत भूलेख निरीक्षक, कर्वी का नाम परिषदादेश संख्या- 12/87-235/4-687/72. दिनांक 19-7-78 के अन्तर्गत नान डिप्लोमा सूची में अंकित है ? यदि हां, तो इनकी प्रोन्नति क्यों और कैसे की गयी है ? क्या यह भी बतायेंगे कि क्या इसके लिये उपयुक्त लेखपाल उपलब्ध है ? यदि हां, तो उक्त अनियमित नियुक्ति का क्या औचित्य है ? उसमें क्या कार्यवाही की जायेगी और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

स्थानीय प्रबन्ध में परगनाधिकारी, कर्वी की संस्तुति पर अस्थाई प्रोन्नति की गयी थी ।

उपयुक्त लेखपाल उपलब्ध है । तत्समय भूलेख निरीक्षक की कोटिक्रम सूची तैयार नहीं थी अतएव स्थानीय प्रबन्ध में तहसील कर्वी में ज्येष्ठता के आधार पर कार्य उत्तम होने की दशा में अस्थायी नियुक्ति की गई थी, जो अनियमित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० सैनिक स्कूल सरोजनी नगर लखनऊ के कैम्पस के पहले एवं बाद में स्पीड ब्रेकर बनवाये जाने की मांग

92–श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ कानपुर राजमार्ग में उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, सरोजनी नगर, लखनऊ के कैम्पस के पहले तथा बाद में स्पीड ब्रेकर का निर्माण कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि उक्त सैनिक स्कूल के छात्रावास सड़क के दोनों ओर स्थित हैं और कैडिट छात्रों को सड़क के दोनों ओर बने छात्रवासों में आना जाना रहता है और स्पीड ब्रेकर न होने के कारण हल्के तथा भारी वाहनों के निरन्तर आवागमन से उक्त स्कूल के कैडिट छात्रों के दुर्घटनाग्रस्त होने की सदैव आशंका बनी रहती है ? यदि हां, तो उपरोक्त स्थान पर स्पीड ब्रेकर का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री राम कुमार वर्मा–

जी नहीं ।

भारत सरकार की नीति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर गति अवरोधकों का निर्माण प्रतिबन्धित है ।

भारत सरकार की उपर्युक्त नीति के अनुसार गति अवरोधकों का निर्माण संभव नहीं है । वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में सैनिक स्कूल के परिसर के दोनों ओर मार्ग पर गति सीमा के सूचना संकेत पहले से ही लगे हैं ।

राजकीय गोविन्द बल्लभ पंत पालीटेक्निक लखनऊ में प्रधानाचार्य के पद को प्रतिनियुक्ति के बजाय प्रोन्नति द्वारा भरे जाने की मांग

93–श्री राम औतार शाक्य–

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि समाज कल्याण की नियमावली के अनुसार प्रधानाचार्य गोविन्द बल्लभ पंत पालीटेक्निक का पद प्रोन्नति द्वारा भरा जाना है ? यदि हां, तो फिर किन परिस्थितियों में वाह्य विभाग से प्रधानाचार्य को प्रति नियुक्ति में बुलाया गया है ? क्या इन्हें तुरन्त इनके मूल विभाग में वापस करके उक्त पद प्रोन्नति से भरा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

राजकीय गोविन्द बल्लभ पंत पालीटेक्निक लखनऊ के शिक्षण एवं प्रशासनिक कार्य के हित में जब तक नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त पद हेतु चयन सम्पादित नहीं हो जाता है, उस समय तक प्राविधिक शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आये प्रधानाचार्य से संस्था विशेष का कार्य लिया जा रहा है । विधिवत् चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर प्रतिनियुक्ति पर आये व्यक्ति को वापस कर दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

समाज कल्याण विभाग द्वारा पूर्व से प्राप्त अनावर्तक अनुदान शिक्षण संस्थाओं को पुनः दिये जाने की मांग

94–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन प्राथमिक स्वैच्छिक विद्यालयों को समाज कल्याण विभाग से वर्ष 1983-84 तक अनावर्तक अनुदान मिलता रहा है, उसे उसके बाद से बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या पुनः उन संस्थाओं से अनावर्तक अनुदान पाने के लिये विवरण पत्र मांगे गये ? यदि हां, तो उन पर कब तक कार्यवाही होगी ? क्या उन्हें अनावर्तक अनुदान की सूची में सम्मिलित किया जायेगा ? यदि हां, तो इसका क्या मानक है ? क्या पूर्व से प्राप्त कर रहे अनावर्तक अनुदान विद्यालयों के अलावा भी कोई नये विद्यालय सूची में शामिल किये जायेंगे ? क्या उरई जनपद में कोई विद्यालय इस योजना में शामिल किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

जी हां ।

वर्ष 1991-92 में अनुसूचित जाति के 57 प्राइमरी पाठशालाओं एवं एक छात्रावास तथा अनुसूचित जनजाति के तीन प्राइमरी पाठशालाओं को आवर्तक अनुदान की सूची पर लिया गया है, अन्य परीक्षणाधीन है ।

उपर्युक्तानुसार ।

आवर्तक सूची में सम्मिलित करने हेतु निम्न प्रकार मानक निर्धारित किया गया है :–

1–वर्ष 1983-84 तक अनावर्तक अनुदान प्राप्त कर चुकी संस्थाओं में से ही इसका चयन किया जाना है ।

2–संस्थान का संचालन 10 वर्ष या अधिक अवधि से निरन्तर हो रहा हो ।

3–संस्था में पढ़ रहे बच्चों में से कम से कम 50 प्रतिशत बच्चे अनुसूचित जाति/जनजाति के हों ।

4–संस्था जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से स्थाई या अस्थाई मान्यता प्राप्त हो ।

जी नहीं ।

उरई नाम से कोई जनपद नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

परगनाधिकारी भोगांव, जनपद मैनपुरी द्वारा फसली वर्ष 1399 में मौजों की पड़ताल

95–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परगनाधिकारी, भोगांव ने सितम्बर, 91 से लेकर मार्च, 92 तक तहसील भोगांव, जनपद मैनपुरी में कितने और किन-किन मौजों में शीतकालीन दौरे किये ? फसली 1399 में किन-किन मौजों की और कब-कब मौके पर जाकर जांच पड़ताल की तथा खसरा एवं खतौनियों का निरीक्षण किया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सच है कि उक्त दायित्व का निर्वहन करने में श्री विनोद कुमार शर्मा, परगनाधिकारी ने लापरवाही बरती ? यदि हां, तो क्या सरकार

उक्त परगनाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

परगनाधिकारी, भोगांव ने, सितम्बर, 1991 से मार्च, 1992 तक कुल 152 ग्रामों का भ्रमण किया । इनमें से शीतकालीन भ्रमण के दौरान फसली वर्ष 1399 में जिन ग्रामों में जाकर मौके पर पड़ताल तथा खसरा खतौनी (भू-अभिलेखों) का निरीक्षण किया गया उनकी संख्या 45 है जिनका माहवार विवरण निम्न प्रकार है :–

माह अक्टूबर 1991

1–मधपुरी

2–लेखराजपुर

3– वीरमपुर

4–मेरापुर

5–आलीपुर खेड़ा

6–रकरा

7–रकरी

8–व्यौतीखुर्द

माह दिसम्बर, 1991

1–बरा

2–टिकुरी

3–चितायन

4–चौहानपुर

5–कसद

6–पुसैना

7–कछपुरा

8–बलारपुर

9–रामनगर

माह फरवरी, 1992

1– कैथपुर

2–महाली शमशेर गंज

3– आलीपुरपट्टो

4–मोटा

माह नवम्बर, 1991

1–एलाऊ

2– मुडई

3–संगामई

4–फदपुर

5–सैदपुर

6–मुड़ाली

7–ललूपुरा

माह जनवरी, 1992

1–पलोड़ी

2–बझेड़ा

3–नगला देवी

4–अकबरपुरबिकू

5–महोलीखेड़ा

6–कुसमाखेड़ा

7–श्यामपुर भटपुरा

माह मार्च, 1992

1–हिमायूपुर

2– औरन्ध

3–अहिरवा

4–बसैत

माह फरवरी, 1992	माह मार्च, 1992
5–छाछा	5–अजीतगंज
6–नगला खोखर	6–कूड़ी
7–शेरपुर चहरपुर	
8–नगला पैठ	
9–कुसमरा	

उक्त प्रकरण में कोई लापरवाही प्रकाश में नहीं आई है । अतः परगनाधिकारी के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

माह अक्टूबर 1991 में पर्वतीय जनपदों में भूकम्प पीड़ित क्षेत्रों के पशुओं के राहत हेतु शासन द्वारा कृत कार्यवाही

96–श्री लीला राम शर्मा–

क्या पशुधन विकास मंत्री को यह जानकारी है कि माह अक्टूबर, 1991 में पर्वतीय जनपदों में आये भूकम्प से तीन हजार पंचानबे (3095) पशुओं की जीवन हानि हुई ? क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि भूकम्प पीड़ित क्षेत्रों के जानवरों के राहत कार्य हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य किया गया ? यदि हां, तो कब और क्या कदम उठाये गये ?

श्री उमानाथ सिंह–

माह अक्टूबर, 91 में पर्वतीय जनपदों में आये भूकम्प से 1,465 पशुओं की मृत्यु हुई तथा 3,550 पशु घायल हुए ।

जी हां । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के राहत हेतु किए गये कार्यों का विवरण निम्नवत् है :–

राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाने हेतु दिनांक 23 अक्टूबर, 1991 को संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में भूकम्प प्रभावित तीनों जनपदों उत्तरकाशी, चमोली तथा टिहरीगढ़वाल को एक-एक टीम भेजी गयी । पशु शवों के निस्तारण हेतु बक्शी का तालाब प्रशिक्षण केन्द्र लखनऊ से एक टीम भेजी गयी ।

इसके अतिरिक्त पशुओं के संक्रामक रोग तथा उनसे सम्बन्धित विषयों के अध्ययन हेनु विशेषज्ञों की भी एक टीम भेजी गयी ।

विशेषज्ञों के सुझाव के अनुसार पशुओं के टीकाकरण, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य वृद्धि का कार्य किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है :–

कार्य	पशुओं की संख्या
1–चिकित्सा कार्य	178073
2–टीकाकरण	
(अ) एच०एस०	40062
(ब) वी०क्यू०	32074
(स) एफ०एम० डी०	226199
(द) आर०पी०	25870
(य) ए०आर०पी०	428

(र) शीप पौक्स 2760

(ल) अन्य 5188

3– सामूहिक दवापान 107907

4–मिनरल मिक्सचर आदि का विवरण 284676

5–पशु चिकित्सा एवं टीकाकरण हेतु पशुपालकों को सभी लेवी से छूट दिनांक 30-6-92 तक के लिए प्रदान की गयी ।

97–श्री लीला राम शर्मा–

[2रे सोमवार में अता० प्र० सं० 185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम सभाओं की खाली पड़ी भूमि में चारागाह, गौ सदन व गोशालाओं को विकसित करने की मांग

98–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या सरकार ने प्रदेश की ग्राम सभाओं में निहित पड़ती ऊसर बंजर व खाली पड़ी भूमि का आवंटन कर शीघ्र वितरित किये जाने के निर्देश राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिये हैं ? क्या ग्राम सभाओं की खाली पड़ी भूमि के वितरण के समय पशुपालन विभाग की चारागाह विकसित करने की योजना के लिए तथा गोबध निवारण अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत गौ सदन व गौशालाओं के विकास के लिए आवश्यक भूमि अनिवार्यतः आरक्षित करके आवंटन किये जाने के निर्देश सरकार द्वारा राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिए जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के भूकम्प पीड़ित विकास खण्ड प्रतापनगर के ग्राम मुखेम में क्षति की जांच, जिलाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही तथा पीड़ितों को राहत उपलब्ध कराए जाने की मांग

99–श्री लाखी राम जोशी–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के 7वें गुरुवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–84 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 23-4-92 में अपेक्षित बिन्दुओं पर जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल से मांगी गयी वांछित सूचना प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या प्राप्त सूचना सदन के पटल पर रखी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

जी हां । †

जनपद बांदा की समस्त तहसीलों में सभी कृषि/आवासीय पट्टेदारों को, शासन द्वारा भूखण्ड पर कब्जा दिया जाना

100–श्री गया चरन दिनकर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में कितने ऐसे आवासीय/कृषि योग्य भू-खण्डों के पट्टेदार हैं जिन्हें अभी तक आवंटित भूखण्ड पर कब्जा नहीं मिल सका है ? क्या उक्त भूखण्डों पर अन्य लोगों का अवैधानिक रूप से कब्जा है । यदि हां, तो क्या ऐसे अभियुक्तों के विरुद्ध अब तक कोई दण्डात्मक कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† सूचना सदन के पटल पर रख दी गयी ।

श्री रमापति शास्त्री–

जनपद बांदा की समस्त तहसीलों में कृषि/आवासीय पट्टेदारों को पट्टे की भूमि पर कब्जा दिया जा चुका है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी की तहसील-हैदरगढ़ के ग्राम-पेकाली में भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा श्रीपाल पुत्र मथुरा के नाम भूमि का आवंटन किया जाना एवं उस पर कब्जा देने की मांग

101–श्री गया चरन दिनकर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी, तहसील हैदरगढ़ अन्तर्गत ग्राम पेकाली में खसरा सं० 163, क्षे० 2 बीघा, दिनांक 10-1-76 को भूमि प्रबन्धक समिति के द्वारा श्रीपाल पुत्र मथुरा को आवंटित की गयी ? यदि हां, तो श्री राम पाल पुत्र कालिका ग्राम टूटियाखेर, थाना लोनी कटरा उक्त भूमि पर किस आधार व किस नियम के अन्तर्गत काबिज हैं ? क्या यह अवैधानिक कब्जा है ? यदि हां, तो कब तक अभियुक्त के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करके आवंटी को कब्जा दिला दिया जायेगा ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

प्रश्नगत पट्टे वाली भूमि पर श्री रामपाल पुत्र कालिका निवासी ग्राम टूटिया खेर, थाना लोनी कटरा का कब्जा नहीं है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

102–श्री गया चरन दिनकर–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद देवरिया के अन्तर्गत समस्त नगरपालिका टाउन एरिया को गेहूं, चावल तथा मिट्टी का तेल निर्धारित मात्रा में आवंटित करने की मांग

103–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया अन्तर्गत समस्त नगरपालिका, टा० ए० को अप्रैल, 1992 से जून, 1992 तक कितना-कितना चावल, गेहूं और मिट्टी तेल का आवंटन किया गया ? प्रत्येक यूनिट पर कितना चावल व गेहूं का आवंटन किया गया ? क्या शासनादेश में निर्धारित मात्रा से आवंटन कम हुआ है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

देवरिया जनपद के अन्तर्गत समस्त नगरपालिका एवं टाउन एरिया को अप्रैल, 1992 से जून, 1992 तक किये गये गेहूं, चावल तथा मिट्टी के तेल के आवंटन का विवरण संलग्न है।

गेहूं, चावल की उपलब्धता के आधार पर 1 किलोग्राम गेहूं व 1 किलोग्राम चावल प्रति यूनिट प्रतिमाह की दर से आवंटित किया गया।

जी हां।

भारत सरकार से प्रदेश की आवश्यकता से बहुत कम गेहूं, चावल का आवंटन प्राप्त होता है जिसके फलस्वरूप शासन द्वारा जनपदों को निर्धारित मात्रा के अनुसार आवंटन किया जाना सम्भव नहीं हो सका।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 118–119 पर)

जनपद मऊ के थाना चिरैयाकोट के समक्ष आजमगढ़--मऊ मार्ग पर अवैधानिक कब्जे की शिकायत

104–श्री अब्दुल ए० सलाम–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ के सामने आजमगढ़ मऊ मार्ग पर प्रभावशाली दबंग राजनीतिज्ञों ने लोक निर्माण विभाग की इस मुख्य सड़क में अतिक्रमण किया है और उस पर अपना घर हाल ही में निर्मित कर लिया है ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या आवागमन बहाली एवं जल निकास की व्यवस्था हेतु लोक निर्माण विभाग की जमीन अब भी उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस मामले में यथाशीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ?

श्री राम कुमार वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जी हां ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद बलिया के विकास खण्ड-नगरा व सीयर में मुअत्तल और उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश से संचालित सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों का विवरण

105–श्री रमाकान्त यादव–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के ब्लाक सीयर व नगरा में मुअत्तल या निरस्त होने के बाद अदालत से कितनी-कितनी सरकारी सस्ते गल्ले व मिट्टी के तेल की दुकानें पुराने अनियमितता करने वाले लाईसेन्सीज द्वारा संचालित हो रही हैं ? क्या सरकार को ज्ञात है कि अनियमितता व चोरबाजारी करके जनता की हकतल्फी व सरकार के साथ विश्वासघात उक्त दुकानदार कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी दुकानों की माह मई, 1992 तक की जांच मजिस्ट्रेट स्तर से निकासी पंजिका वितरण पंजिका तथा धारक के कार्डों के साथ-साथ कराने के निर्देश जिला प्रशासन को देगी ?

श्री बालचन्द मिश्र–

बलिया जनपद के विकास खण्ड नगरा एवं सीयर में सरकारी सस्ते गल्ले/चीनी/मिट्टी के तेल विक्रेताओं की दुकानें शासनादेशानुसार सम्पादित अनुबन्ध की धारा–16 के अन्तर्गत निरस्त कर दी गयी थीं जिसमें विकास खण्ड नगरा में एक दुकान एवं विकास खण्ड सीयर में सात दुकानें हैं जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में स्थगन आदेश पर चल रही हैं ।

जी नहीं ।

शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत की गम्भीरता को देखते हुए विभिन्न स्तरों से जांच के आदेश दिये जाते हैं । यदि कोई शिकायत प्राप्त होगी तो उस पर नियमानुसार कार्यवाही कराये जाने का प्राविधान है ।

जांच के फलस्वरूप दोष सिद्ध होने पर उपरोक्त दुकान निरस्त कर दी गई थी । इस निरस्तीकरण के आदेश के विरुद्ध आयुक्त, वाराणसी मण्डल द्वारा स्थगन आदेश दिये जाने पर यह दुकानें पुनः कार्यरत हुई थीं । शासनादेश सं०–5561/29-खाद्य-6-12/88 टी सी (डी), दिनांक 20 दिसम्बर, 91 के

अनुपालन में स्थगन आदेश की प्रक्रिया समाप्त हो जाने के कारण अनुबन्ध की धारा–16 के अन्तर्गत इन दुकानों को पुनः 26 फरवरी, 1992 को निरस्त कर दिया गया था । जिसके विरुद्ध इन आठ दुकानदारों ने मा० उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया है । जिसके कारण यह दुकानें पुनः संचालित करनी पड़ी हैं ।

106–श्री रमाकान्त यादव–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के ब्लाक सीयर व नगरा में कितने सरकारी सस्ते गल्ले व मिट्टी तेल के दुकानदार जो लाइसेंसी हैं, अनियमितता के कारण लाइसेंस मुअत्तल होने या निरस्त होने पर सरकार के निर्णय को चुनौती देकर मा० उच्च न्यायालय को हलफनामा देकर पुनः दुकान चला रहे हैं ? क्या सरकार सम्बन्धित विकास खण्डों में माह मार्च, 91 से माह जून, 92 तक के उन दुकानों की निकासी पंजिका/वितरण पंजिका और सम्बन्धित दुकानों के क्षेत्रों के मात्र एक-एक गांवों में स्थल जांच, मैजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी से कराकर वितरण की सत्यापन रिपोर्ट सदन के पटल पर प्रस्तुत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालचन्द मिश्र–

बलिया जनपद के विकास खण्ड नगरा एवं सीयर में सरकारी सस्ते गल्ले/चीनी/मिट्टी तेल विक्रेताओं की दुकानें शासनादेशानुसार सम्पादित अनुबन्ध की धारा–16 के अन्तर्गत निरस्त कर दी गयी थीं जिसमें विकास खण्ड सीयर में सात दुकानें एवं विकास खण्ड नगरा में एक दुकान है जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में स्थगन आदेश पर चल रहीं हैं ।

शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत की गम्भीरता को देखते हुए विभिन्न स्तरों से जांच के आदेश दिये जाते हैं । यदि कोई शिकायत प्राप्त होगी तो उस पर नियमानुसार कार्यवाही कराये जाने का प्राविधान है।

जांच के फलस्वरूप दोष सिद्ध होने पर उपरोक्त दुकानें निरस्त कर दी गई थीं । इस निरस्तीकरण के आदेश के विरुद्ध आयुक्त वाराणसी मंडल द्वारा स्थगन आदेश दिये जाने पर यह दुकानें पुनः कार्यरत हुई थीं ।

शासनादेश सं०–5561/29-खाद्य-6-12/88 टी सी (डी), दिनांक 20 दिसम्बर, 1991 के अनुपालन में स्थगन आदेश की प्रक्रिया समाप्त हो जाने के कारण अनुबन्ध की धारा–16 के अन्तर्गत इन दुकानों को पुनः 26 फरवरी, 1992 को निरस्त कर दिया गया था । जिसके विरुद्ध इन आठ दुकानदारों ने मा० उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया है । जिसके कारण यह दुकानें पुनः संचालित करनी पड़ी है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती की तहसील-सोनहा-मानपुर की महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की मांग

107–श्री राम ललित चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में नवसृजित तहसील सोनहा-मानपुर की सबसे महत्वपूर्ण सड़क जो लगभग 50–60 गांवों को जोड़ती है, उसका प्राक्कलन सरकार द्वारा मंगाया गया है । यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ होगा ?

श्री राम कुमार वर्मा–

विशिष्ट सड़क का नाम इंगित न किए जाने के कारण सूचना देना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अल्मोड़ा की नोटीफाइड एरिया–द्वारहाट में सड़क के पास भवन निर्माण हेतु निरापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने की शिकायत

108–श्री भारत सिंह रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोटीफाइड एरिया, द्वारहाट, जनपद अल्मोड़ा के पत्रांक दिनांक 28-1-92 द्वारा श्री बच्ची लाल चौधरी के द्वारहाट–कर्णप्रयाग मार्ग पर प्लाट संख्या–3456, जो सड़क के केन्द्र से मात्र दस (10) फीट की दूरी पर है, पर भवन निर्माण कार्य कराए जाने हेतु रोड साइड कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत निरापत्ति प्रमाण-पत्र मांगा गया था ? यदि हां, तो सामरिक महत्व वाले इस मार्ग पर रोड साइड कन्ट्रोल एक्ट के प्राविधानों के विपरीत निरापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए जाने का क्या औचित्य है ? क्या मंत्री जी इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा कराये गये निर्माण कार्य को ध्वस्त करायेंगे ? यदि नहीं, तो इसमें शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री राम कुमार वर्मा–

नोटीफाइड एरिया, द्वारहाट, जनपद अल्मोड़ा का पत्र दिनांक 28-1-92 प्राप्त नहीं हुआ है ।

सामरिक महत्व वाले मार्गों पर रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल ऐक्ट के अन्तर्गत निरापत्ति प्रमाण पत्र जारी न किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती में दसिमा–महनुआ मार्ग का स्वीकृत न होना

109–श्री राम ललित चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र जून, 92 अन्तिम सप्ताह में बस्ती बाई पास राष्ट्रीय मार्ग को हस्तान्तरित किये जाने के कारण उक्त मार्ग पर राज्य सेक्टर द्वारा निर्माण के लिए आवंटित धनराशि को दसिमा महनुआ मार्ग के निर्माण के लिए हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

दसिमा-महनुआ मार्ग स्वीकृत नहीं है । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती के बिशुनपुरवा से हनुमानगंज के अवशेष मार्ग को पूरा कराने की मांग

110–श्री राम ललित चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र जून, 1992 के अन्तिम सप्ताह में बस्ती के बिशुनपुरवा से हनुमानगंज तक 4 कि० मी० छूटी कड़ी के निर्माण के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? क्या ऐसी छूटी कड़ियों को जिसके आरम्भ और अन्त में मार्ग का निर्माण लगभग पूरा हो गया हो और छूटी कड़ी के निर्माण के अभाव में पूरा मार्ग बेकार सिद्ध हो रहा है, उसे प्राथमिकता के आधार पर निर्माण करने पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

सम्प्रति स्वीकृति देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संसाधनों के अभाव के कारण ।

जनपद वाराणसी की तहसील भदोही के ग्राम सभा लखनपुर उर्फ अभयनपुर श्री पन्नालाल बनाम गांव सभा वाद सम्बन्धी फाइल का गायब होना

111–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुकदमा नं० 108 सन् 91 श्री पन्नालाल बनाम गांव सभा, ता० फैसला 7-3-91 गांव भिखारीपुर, गांव सभा लखनपुर उर्फ अभयनपुर, परगना व तहसील भदोही, जिला वाराणसी को परगना हाकिम भदोही, जिला वाराणसी के यहां से वाद फाइल गायब कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? क्या फाइल को बरामद कराकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री रमापति शास्त्री–

प्रश्न में इंगित मुकदमा सन् 91 से नहीं बल्कि सन् 1990 से सम्बन्धित है । प्रश्नगत वाद पत्रावली, गांव सभा द्वारा प्रस्तुत निगरानी वाद संख्या–112/91 के सन्दर्भ में अपर आयुक्त (प्रशासन) वाराणसी के न्यायालय में उपलब्ध है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया के ग्राम सकदरपुर के प्रधान द्वारा पट्टे पर दी गयी भूमि का विवरण

112–श्री गामा राम शास्त्री–

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम प्रधान सकदरपुर, विकास खण्ड छपिया, जिला गोण्डा द्वारा पिछले एक दशक से किन-किन लोगों को कितनी-कितनी भूमि (बचत एवं आबादी की) पट्टा की गयी है? क्या यह सही है कि इनमें से पन्द्रान्वे प्रतिशत पट्टा उच्च वर्ग एवं सम्पन्न तथा सजातीय लोगों को दिया गया है ? क्या दूसरे ग्राम सभा के कुछ लोगों द्वारा भी भूमि पर कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां । विवरण मेरे कार्यालय कक्ष में देखा जा सकता है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के ऐशबाग में ताजा साल्ट को उ० प्र० खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली के अन्तर्गत लाइसेन्स जारी किया जाना

113–श्री गामा राम शास्त्री–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि टाटा साल्ट के समान एक फर्जी ताजा साल्ट की अवैध रूप से लखनऊ शहर में ऐशबाग एरिया में तैयार करके बिक्री की जा रही है, जिसकी पैकिंग पर न तो रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित होता है और न ही निर्माणशाला का उस पर पता अंकित है ? यदि हां,

तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस फर्जी कं० का न तो रजिस्ट्रेशन ही है और न ही खाद्य विभाग द्वारा यह शोधित है ? यदि हां, तो क्या इसकी बिक्री को तत्काल रोकने तथा मालिक के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही की जायेगी ?

श्री बालचन्द्र मिश्र–

मैसर्स अनिल साल्ट सप्लायर्स, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग लखनऊ जिसके प्रोपाइटर श्री अनिल कुमार हैं, द्वारा "ताजा साल्ट" की बिक्री की जाती है । इसके पालीथिन पैक पर निर्माता का नाम मेसर्स के० मान्किलाल एण्ड कम्पनी, कैण्ट रोड, गांधी धाम, गुजरात "कक्ष" फोन नं० 2703 व 2096 अंकित है परन्तु रजिस्ट्रेशन नं० अंकित नहीं है । उक्त फर्म के नाम नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा उ० प्र० खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1976 के अधीन आयोडाइज्ड नमक/मसाला थोक में बेचने हेतु लाइसेंस संख्या–3552/516 जारी किया गया है जो दिनांक 31-3-1993 तक वैध है ।

जनपद बाराबंकी के पशु चिकित्सालय से कतिपय पशुधन-प्रसार अधिकारियों का स्थानान्तरण

114–श्री छोटे लाल यादव–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के पशु चिकित्सालय के मुख्यालय पर कितने पद पशुधन प्रसार अधिकारियों के स्वीकृत हैं ?क्या वर्तमान में मुख्यालय से पशुधन प्रसार अधिकारी हटाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री उमानाथ सिंह–

जनपद बाराबंकी के पशु चिकित्सालयों पर पशुधन प्रसार अधिकारियों के 20 पद स्वीकृत हैं ।

जनपद बाराबंकी के निबलेट में अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र की स्थापना के फलस्वरूप कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों पर उपलब्ध सांड़ों, सांड़ परिचरों तथा दो पशुधन प्रसार अधिकारियों को उक्त केन्द्र पर स्थानान्तरित कर दिया गया है तथा अन्य को जनपद के अन्तर्गत ही रिक्त पशु सेवा केन्द्रों पर समायोजित किया गया है ।

जनपद बाराबंकी के संयुक्त निदेशक, डी० एफ० निवलेट द्वारा आवास भत्ता लिया जाना

115–श्री छोटे लाल यादव–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या संयुक्त निदेशक, डी० एफ० निवलेट, बाराबंकी सरकारी भवन में रहते हुए भी आवास भत्ता ले रहे हैं ? यदि वे अवैध रूप से आवास भत्ता ले रहे हैं, तो क्या इसकी वसूली की जायेगी ? इस अनियमितता के लिए क्या दोषी अधिकारी को दण्डित भी किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उमानाथ सिंह–

संयुक्त निदेशक, पशुपालन डी० एफ० निवलेट, बाराबंकी को उपयुक्त सरकारी आवास आवंटित नहीं है । यह आवास निर्माणाधीन है । संयुक्त निदेशक सरकारी भवन के अतिथि कक्ष में रह रहे हैं जिसका रु० 30 प्रतिमाह किराया जमा कर रहे हैं ।

नियमानुसार संयुक्त निदेशक से किसी प्रकार की वसूली करने व दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बुलन्दशहर के मोहल्ला-कानूनगोयान में जमीन धसने से पीड़ित व्यक्तियों को राहत स्वरूप वितरित धनराशि

116–श्री धर्मपाल यादव–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद बुलन्दशहर के उपर कोट के मोहल्ला कानूनगोयान में मार्च, 92 को जमीन धंसने से 26 मकानों मे दरारें पड़ गयी थीं, जिसमें 25 लोगों को राज्य सरकार ने 2.0 लाख रुपया का भुगतान भी किया है ? यदि हां, तो क्या शेष लोगों को सहायता अब तक प्राप्त नहीं हो सकी है ? क्या सरकार सहायता देकर इन लोगों को राहत प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं । मोहल्ला कानूनगोयान में मात्र 6 मकानों में मामूली दरारें आयीं थी, जो राहत हेतु पात्र नहीं पाये गये ।

बुलन्दशहर नगर में वर्ष 1990 में भारी वर्षा के कारण मोहल्ला उपर कोट के 26 मकान क्षतिग्रस्त हुए थे । 26 व्यक्तियों में 1,95,500 रुपये की धनराशि राहत के रूप में वितरित की जा चुकी है ।

जनपद इटावा के औरैया नगर में शासन द्वारा स्वीकृत सड़कों को बनाने की मांग

117–श्री इन्द्रपाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र के नगर औरैया, जनपद इटावा की 3-3 कि० मी० की दो सड़कें शासन द्वारा स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो वे कब तक बनेंगी ?

श्री राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

औरैया-जालौन के मध्य यमुना नदी पर अर्द्ध निर्मित पुल को पूरा करने की मांग

118–श्री इन्द्र पाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औरैया-जालौन के बीच यमुना नदी पर एक बड़े पुल का निर्माण चल रहा है ? यदि हां, तो पुल कब तक तैयार हो जायेगा ? कब तक उस पर से आवागमन चालू हो जायेगा ?

श्री राम कुमार वर्मा–

जी हां। शासनादेश सं०–2627ई०/123-सा० नि० अनु०-11-145 ई/83. दिनांक 9-4-83 द्वारा रु० 572.50 लाख की लागत पर स्वीकृत प्रश्नगत पुल निर्माणाधीन है तथा सम्प्रति संसाधनों के अभाव में अवरुद्ध है ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद झांसी के लोक निर्माण विभाग, 19वां वृत कैम्प आफिस, मउरानीपुर में कार्यरत सहायक अभियन्ता द्वारा पूल टेण्डरों में आरोपों की जांच

119–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1988 की सहायक अभियन्ता के कैम्प आफिस, मऊरानीपुर, जनपद झांसी में पुल टेण्डरों का आरोप अधीक्षण अभियन्ता, 19वां वृत्त, झांसी की जांच आख्या दिनांक 14-9-90 द्वारा प्रमाणित हो चुकी है ? यदि हां, तो दोषी सहायक अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम कुमार वर्मा–

प्रश्नगत आरोप के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता की प्रारम्भिक जांच में पुल टेण्डरों का आरोप प्रमाणित होने की सम्भावना व्यक्त की गयी थी । पूर्ण जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

जनपद अलीगढ़ की तहसील कोल के ग्राम जमालपुर माफी के ग्राम समाज की भूमि पर अनाधिकृत काबिज व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

120–श्री कृष्ण कुमार नवमान–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद अलीगढ़ में तहसील कोल का ग्राम जमालपुर माफी जो अब नगरपालिका सीमा में आ गया है, उसकी ग्राम समाज की भूमि लगभग 400 बीघा (कच्चा) दर्ज थी ? क्या इस जमीन पर लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो सरकार अवैध कब्जों को हटाने तथा दोषियों को दंडित करने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

ग्राम जमालपुर माफी नगरपालिका सीमा के अन्तर्गत पूर्ण रूप से नहीं आया है ।

इस ग्राम में 133 बीघा पुख्ता अर्थात् 399 बीघा (कच्चा) भूमि ग्राम समाज में दर्ज थी ।

अनाधिकार कब्जा 300 बीघा (कच्चा) भूमि पर पाया गया । अनाधिकृत कब्जा हटाये जाने हेतु अनाधिकृत काबिज व्यक्तियों के विरुद्ध उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–122 बी के अन्तर्गत कार्यवाही सक्षम न्यायालय में की गयी है और अवैध रूप से दर्ज इन्द्राज खारिज कर दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त जा० फौ० की धारा–420 के अन्तर्गत भी समुचित कार्यवाही की गई है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ में लालगंज–परमानपुर (तरवां) राजमार्ग का लालगंज से भिलिहिनी तक के मार्ग की मरम्मत कराने की मांग

121–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद आजमगढ़ में लालगंज-परमानपुर (तरवां) राजमार्ग का लालगंज से भिलिहिनी तक का भाग पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया है ? वर्तमान समय में नियमानुसार प्रत्येक वर्ष राजमार्गों के अनुरक्षण हेतु शासन द्वारा बजट में धनराशि का प्राविधान किये जाने के बावजूद भी उक्त मार्ग की मरम्मत न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त मार्ग की तत्काल मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?यदि नहीं, तो क्यों ? अब तक उक्त मार्ग की मरम्मत न किये जाने

के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त मार्ग की तत्काल मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ? अब तक उक्त मार्ग की मरम्मत न कराकर बजट की धनराशि का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम कुमार वर्मा–

प्रश्नगत मार्ग पूर्णतः क्षतिग्रस्त नहीं है बल्कि मार्ग पर पड़ने वाले परमानपुर (तरवां) से भिलिहिनी तक के भाग में आंशिकरूप से मार्ग की सतह पर गड्ढे हो गये हैं ।

अनुरक्षण मद में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध न होने के कारण क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत सुचारूरूप से नहीं करायी जा सकी ।

परमानपुर (तरवां) से भिलिहिनी मार्ग तक के भाग में गड्ढों की भराई की जा चुकी है । लेपन का कार्य किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीमित धनराशि आवंटन से मरम्मत का कार्य किया जाता रहा है । धन का दुरुपयोग नहीं हुआ है । अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के लोक निर्माण विभाग के कार्य अधीक्षक प्रथम तथा उनके अधीनस्थ अधिकारी के विरुद्ध प्रश्नकर्ता द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच

122–श्री समीउल्ला–

क्या लोक निर्माण मंत्री को विदित है कि प्रश्नकर्ता द्वारा लोक निर्माण विभाग, गोण्डा के कार्य अधीक्षक प्रथम तथा उनके अधीनस्थ अधिकारी के विपरीत गंभीर आरोपों के संबंध में वर्ष 1990 में तत्कालीन मुख्य मंत्री एवं विभागीय मंत्री को शिकायती पत्र पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित किये गये थे ? क्या उक्त गंभीर आरोपों की जांच अधीक्षण अभियन्ता, बाराबंकी द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो उपरोक्त जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि उक्त अधिकारी दोषी पाये गये, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

प्रश्न में वर्णित शिकायती पत्र की जांच अधीक्षण अभियन्ता, 58वां वृत्त, लो० नि० वि०, बाराबंकी द्वारा की गयी । जांच अधिकारी ने शिकायतों के संबंध में किसी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी नहीं पाया, परन्तु जांच के समय मा० विधायक से सम्पर्क करना नहीं पाया गया । अतः तद्नुसार कार्यवाही के संबंध में मुख्य अभियन्ता, फैजाबाद को निर्देश भेजे गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के अन्तर्गत तहसील कर्वी में सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो के स्थायीकरण के संबंध में प्रेषित शिकायती पत्र के आधार पर जिलाधिकारी को जांच करने के निर्देश

123–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत तहसील कर्वी में सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो के पद पर जिला अधिकारी, बांदा केआदेश से दिनांक 13-10-91 को किसी कर्मचारी का स्थायीकरण किया गया है ? यदि हां, तो क्या स्थायीकरण के पूर्व उनकी व्यक्तिगत पत्रावलियों का

अवलोकन किया गया है । यदि हां, तो क्या प्रोन्नति पाने वाले कर्मचारी की चरित्र पंजिका में तत्कालीन परगना अधिकारी, कर्वी ने जुलाई, 90 में विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि को अनदेखा करके प्रोन्नति स्थायीकरण किया गया था ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ? क्या इसमें कार्यवाही करके निरस्त किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री--

जी हां ।

जी हां ।

तत्समय चरित्र पंजिका में परगनाधिकारी, कर्वी द्वारा जुलाई, 90 में की गई विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित नहीं पाई गई थी । अतः प्रतिकूल प्रविष्टि को अनदेखा कर प्रोन्नति स्थाईकरण का प्रश्न नहीं है दिनांक 5 अगस्त, 1992 को आयुक्त कार्यालय से एक पत्र शिकायती पत्र के साथ प्राप्त हुआ है जिसकी जांच शीघ्र पूर्ण कराये जाने के निर्देश जिलाधिकारी को दिये जा चुके है ।

124–श्री लाखी राम जोशी–

[1ले बुधवार में अता० प्र० सं० 182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

समाज कल्याण शोध संस्थान के निदेशक द्वारा पी० एल० ए० में जमा धनराशि का प्रयोग

125–श्री अनिल कुमार–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि उनके विभाग के शोध संस्थान के निदेशक द्वारा क्या वर्ष 1986-87 एवं 88-89 की पी० एल० ए० में जमा धनराशि तथा स्टेट बैंक, गोमती नगर के संस्थान के खाते का प्रयोग मनमाने ढंग से अनियमित रूप से हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि उक्त अवधि में स्वीकृत मदें क्या थीं और धनराशि किन-किन मदों में प्रयोग की गयी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार--

जी नहीं ।

वर्ष 1986-87 एवं 1988-89 में स्टेट बैंक गोमती नगर में संस्थान के नाम से कोई खाता नहीं था ।

वर्ष 1986-87 में पी० एल० ए० में जमाधन की स्वीकृत मदें कार्यालय व्यय, मशीन साज - सज्जा/उपकरण एवं संयत्र, मोटर गाड़ी,मोटर गाड़ी का क्रय थी तथा इन्हीं मदों में धनराशि प्रयोग की गई ।

वर्ष 1988-89 में पी० एल० ए० में जमा धन की स्वीकृत मदें कार्यालय व्यय, टेलीफोन पर व्यय, गाड़ियों का क्रय गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल, व्यवसायिक और विशेषज्ञ के लिए भुगतान 10 तकनीकी विशेषज्ञों को भुगतान को आर्डिनेटर/अतिथि वार्ताकार को मानदेय, किराया उपशुल्क और कर, प्रकाशन, विज्ञापन बिक्री एवं विज्ञापन, अतिथ्य व्यय/प्रशिक्षार्थियों के भोजन पर व्यय, मशीने साज-सज्जा उपकरण, अनुरक्षण, सामग्री और सम्पूर्ति, अन्य व्यय थी तथा इन्हीं मदों में धनराशि प्रयोग की गई ।

जनपद लखीमपुर खीरी में पलिया कलां को जिला बनाने की मांग

126–श्री अनिल कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पलिया कलां, जनपद लखीमपुर खीरी, जो कि जनपद मुख्यालय से काफी दूर है पलिया कलां को जिला बनाने की योजना वर्ष 92-93 में शासन के पास प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से विकास खण्ड जोड़े जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जनपद लखीमपुर खीरी में पलिया कलां को जिला बनाने की योजना विषयक कोई प्रस्ताव वर्ष 92-93 में शासन के समक्ष प्रस्तावित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर में लोक निर्माण विभाग के प्रान्तीय खण्ड द्वारा लाखों रुपये का गोलमाल के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र का प्राप्त न होना

127–श्री अनिल कुमार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बृज किशोर शुक्ला, सम्पादक जगपहिया, सीतापुर का लोक निर्माण विभाग के प्रान्तीय खण्ड द्वारा फर्जी मस्टर रोल पर लाखों रुपयों का गोलमाल करने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र वित्त मंत्री के माध्यम से पत्रांक सं० 98 वी० आई० पी० एम०/92 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या इसमें दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम कुमार वर्मा–

वित्त मंत्री जी के कार्यालय का संदर्भित पृष्ठांकन पत्रांक 98 वी० आई० पी० एम०/92, दिनांक 22-1-92 उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार कार्यालय लो० नि० मंत्री में प्राप्त होना नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बदायूं के नाका-पाठकपुर तथा वैरपुर- मणिकावली मार्ग को बनाने की मांग

128–श्री राम खिलाड़ी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के नाका-पाठकपुर तथा वैरपुर-मणिकावली मार्ग शासन द्वारा स्वीकृत हुए थे ? यदि हां, तो कब तक उक्त मार्ग बनाये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम कुमार वर्मा–

जी हां, प्रश्नगत दोनों मार्गों को स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसमें से पाठकपुर-नाधा मार्ग का स्वीकृत कार्य पूर्ण किया जा चुका है । वैरपुर–मणिकावली मार्ग की स्वीकृति शासनादेश संख्या-1893ई/23-लो० नि० 11-79 ई/91, दिनांक 30-5-92 द्वारा निरस्त की जा चुकी है ।

जनपद बदायूं की तहसील गुन्नौर में धनारी -भिरावटी मार्ग को बनाने की मांग

129–श्री राम खिलाड़ी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं की तहसील गुन्नौर में धनारी-भिरावटी मार्ग निर्माण हेतु राज्य सेक्टर योजना से कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो कब तक उक्त मार्ग का निर्माण होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

प्रश्नगत मार्ग अभी स्वीकृत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

समाज कल्याण लखनऊ मण्डल के उप निदेशक द्वारा की गई अवैधानिक नियुक्तियों की जांच

130–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व कार्यक्रम अधिकारी,, सम्प्रति उप निदेशक, समाज कल्याण, वाराणसी मंडल, श्री योगेश राय के विरुद्ध नियुक्ति के प्रकरण पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए शासन द्वारा उन्हें दण्डित किया गया था ? यदि हां, तो क्या उसी भांति उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, सम्प्रति उप निदेशक, समाज कल्याण, लखनऊ मण्डल के विरुद्ध अवैध नियुक्ति किये जाने पर की गयी शिकायतों की जांच अपर निदेशक श्री हीरा लाल ने की है ? यदि हां, तो क्या उक्त जांच अधिकारी द्वारा उन्हें निर्दोष बताया गया है ? क्या संबंधित प्रकरण में दोषी अपर निदेशक की जांच आख्या सदन के पटल पर रखी जायेगी ? यदि नहीं, तो एक ही भांति के प्रकरण होने के बावजूद क्या अपर निदेशक द्वारा दो नीतियां अपनायी गयीं ? क्या अब उन्हें दण्डित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता । इस मामले में जांच कार्यवाही अभी प्रगति पर है ।

जांच कार्यवाही पूर्ण होने पर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

जिलाधिकारी, हमीरपुर द्वारा नूरे शहीद रोड व अस्पताल रोड स्थित कब्रिस्तानों की हदबन्दी

131–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या मुस्लिम वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय अपर वक्फ आयुक्त/जिलाधिकारी, हमीरपुर पत्र संख्या 886 अ० ब० आ० भ्रमण कार्यक्रम 90-91 दिनांक 10 जून, 1991 के संबंध में जो नूरे शहीद रोड व अस्पताल रोड पर स्थित कब्रिस्तान के नाजायज कब्जों के संबंध में तहसीलदार को लिखा गया था, उक्त पत्र में क्या कार्यवाही हुई है ? यदि कार्यवाही नहीं हुई, तो उसके कारण क्या हैं? क्या इस संबंध में अब तक कोई कार्यवाही होगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार, राजनैतिक पेंशन एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री एजाज रिजवी)–

जी हां ।

उक्त पत्र के माध्यम से कब्रिस्तान स्थित नूरे शहीद तथा अस्पताल रोड की जिलाधिकारी, हमीरपुर के माध्यम से स्थलीय एवं अभिलेखीय जांच कराई गई । जांच आख्या के अनुसार उपरोक्त दोनों

कब्रिस्तान सुरक्षित हैं तथा किसी प्रकार का कोई अवैध कब्जा नहीं है । निरीक्षण के दौरान कब्रिस्तान की कमेटी की उपस्थिति में दोनों कब्रिस्तानों की हदबन्दी कर दी गयी है ।

न नहीं उठता ।

जनपद बांदा की तहसील नरैनी के ग्राम सढ़ा में बचत भूमि को हड़पने की जांच कराने की मांग

132–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा की तहसील नरैनी में जिलाधिकारी, बांदा के पत्र संख्या-490/ए० जे० ए० बांदा, दिनांक 11-8-89 ग्राम सढ़ा की बचत भूमि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को धोखा देकर फर्जी आदेशों के द्वारा उक्त भूमि हड़पने के संबंध में श्री राम किशोर सिंह, प्रधान, ग्राम सभा सढ़ा का पत्र जिस पर श्री गोकुल प्रसाद अहिरवार, नायब तहसीलदार, कालीजर द्वारा जांच दिनांक 26-6-89 प्रेषित की गयी है ? उक्त जांच आख्या क्या है ? दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री रमापति शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बांदा के अन्तर्गत सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो के आरक्षित पद पर प्रोन्नति

133–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा के अन्तर्गत सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो (स० र० का०) की अनुमोदित सूची, दिनांक 17 सितम्बर, 1987 प्रकाशित की गयी थी ? यदि हां, तो क्या इस सूची के अभ्यर्थियों की प्रोन्नति ज्येष्ठता क्रम के आधार पर की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या एक ही व्यक्ति को तीन-चार लाभ दिये जाने का कोई प्राविधान है ? यदि नहीं, तो प्रोन्नति क्यों दी गयी है ? क्या यह अवैध प्रोन्नति आदेश निरस्त किया जायेगा ?यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

जी हां ।

किसी भी कर्मचारी को तीन-चार लाभ नहीं दिया गया है, न ही कोई ऐसा प्राविधान है ।

जनपद स्तर पर अनुसूचित जाति का कोटा पूरा किये जाने हेतु शासन की नीति के अन्तर्गत एक कर्मचारी को प्रोन्नति दी गयी है । प्रोन्नति चूंकि अवैध नहीं है, अतः उसे निरस्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अलीगढ़ की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराने की मांग

134–श्री कृष्ण कुमार नवमान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ शहर की दुर्दशाग्रस्त सड़कों को सुधारने के लिये कोई योजना सन् 88 में सरकार के पास आयी थी, जिस पर शासनादेश संख्या-4630/23-9-88 के द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या विभाग ने सड़क सुधार के स्वीकृत कार्य के लिये निविदायें आमंत्रित कीं ? क्या धनाभाव के कारण उक्त कार्य को रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अलीगढ़ की सड़कों की मरम्मत के स्वीकृत कार्य को कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम कुमार वर्मा–

जी हां । परन्तु शासनादेश संख्या-4630 ई/23-सा० नि० अनु० -11-145ई/88 दिनांक 23-9-88 द्वारा नहीं अपितु शासनादेश सं०-5517ई/23 -सा० नि० अनु०-11 -145ई/88 दिनांक 24-10-88 द्वारा निम्नलिखित दो मार्गों के अलीगढ़ शहर क्षेत्र में पड़ने वाले भाग की दशा सुधारने के कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी–

1–अलीगढ़ रामघाट मार्ग

2– सी० टी० मार्ग ।

जी हां ।

उपर्युक्त स्वीकृत कार्यों का 90% कार्य जुलाई, 1989 तक पूर्ण हो चुका था परन्तु शेष 10% कार्य धनाभाव के कारण अभी अपूर्ण है ।

संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण ।

जनपद गोण्डा के लोक निर्माण विभाग में कार्यरत कार्य अधीक्षक प्रथम का स्थानान्तरण

135–श्री समीउल्ला–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग, गोण्डा में कार्यरत, कार्य अधीक्षक प्रथम, उक्त जनपद में कितने दिनों से कार्यरत हैं तथा इस दौरान उक्त अधिकारी का जनपद गोण्डा से कितनी बार स्थानान्तरण किया गया और किन-किन परिस्थितियों में स्थानान्तरण निरस्त किया गया ? क्या उक्त अधिकारी की वर्तमान कार्य अवधि की समाप्ति पर पुनः जनपद गोण्डा से उनका स्थानान्तण करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम कुमार वर्मा–

विभागीय निर्माण इकाई, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा में श्री सुरेन्द्र पाल, कार्य अधीक्षक दिनांक 7-7-87 से 16-7-92 तक कार्यरत रहे । इस दौरान वर्ष 1989 में एक बार उनका स्थानान्तरण किया गया था, जो जनहित में निरस्त कर दिया गया था ।

शासनादेश दिनांक 30-6-92 द्वारा श्री सुरेन्द्र पाल को गोण्डा से अन्यत्र स्थानान्तरित किया जा चुका है ।

जनपद लखनऊ के 39वां वृत के अधीन अस्थायी निर्माण इकाई (विद्युत अनुरक्षण) में कार्यरत श्री आर० के० सिंह, अधिशासी अभियन्ता का स्थानान्तरण

136–श्री गामा राम शास्त्री–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि 39वां, लखनऊ में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों का स्थानान्तरण कुल सेवा काल का सात वर्ष की सेवा इस वृत्त में हो जाने के आधार पर किया गया है? यदि हां, तो अनुरक्षण खण्ड (विद्युत) नं०-2,लोक नि० वि०, लखनऊ में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता, श्री आर० के० सिंह जो पहले कई वर्षों तक इसी वृत्त में सहायक अभियन्ता रहे व कई वर्षों तक अनुरक्षण खण्ड (वि) नं०–1 में अधिशासी अभियन्ता रहे और जो पुनः दो वर्षों से वर्तमान खंड में हैं, को क्यों नहीं स्थानान्तरित किया गया ?

श्री राम कुमार वर्मा–

39वां वृत्त, लखनऊ के अधीन कार्यरत सहायक अभियंताओं को उनकी 6 वर्ष की सेवावधि तथा अवर अभियन्ता/लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को उनकी 7 वर्ष की सेवावधि अनुरक्षण खण्डों/39वां वृत्त, लखनऊ में पूरी होने के आधार पर स्थानान्तरित किया गया था ।

श्री आर० के० सिंह, अधिशासी अभियन्ता, 39वां वृत के अधीन अस्थायी विभागीय निर्माण इकाई (विद्युत अनुरक्षण), लखनऊ में कार्यरत थे । शासनादेश दिनांक 30-6-92 द्वारा उन्हें उक्त खण्ड से विद्युत/यांत्रिक खण्ड, इटावा में स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

जनपद लखनऊ के राष्ट्रीय मार्ग 28 पर अनुबन्ध के आधार पर कार्य कराया जाना

137–श्री गामा राम शास्त्री–

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि रा० मा० खण्ड लखनऊ में रा० मा० 28 पर वर्ष 1989 के जाब संख्या 028 यू० पी० 89158 के कार्य की निविदायें आमंत्रित की गयी थीं ? यदि हां, तो प्रत्येक एजेन्सी की दरें क्या थीं ? किस एजेन्सी की सबसे कम दरें थीं ? इस कार्य में कितने रुपये पत्थर ग्रिट, डामर, लकड़ी आदि पर खर्च किये गये एवं टी० आई० पी० आई० पर से कितने रुपये का भुगतान किया गया ? क्या सरकार सी० आर० आर० आई० दिल्ली द्वारा कि० मी० 6 से 15 में 50-50 मीटर पर वी० एम० तथा कैम्बर करेक्टिव कोर्स मोटाई की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम कुमार वर्मा–

राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लखनऊ में राष्ट्रीय मार्ग 28 पर वर्ष 1989 के जाब संख्या 028 यू० पी० 89158 के कार्य के लिए अलग से निविदायें आमंत्रित नहीं की गयीं, अपितु वी० एम० कार्य के लिए पहले से गठित अनुबन्ध के अन्तर्गत ही प्रश्नगत जाब का कार्य कराया गया ।

प्रत्येक एजेन्सी की दरों का विवरण संलग्नक में दिया गया है ।

मेसर्स सत्य प्रकाश एंड ब्रदर्स ने सबसे कम दरें दी थीं ।

प्रश्न में वर्णित मदों पर रुपये 25.32 लाख व्यय हुआ तथा टी० आई० पी० आई० आदि पर से रुपये 2.15 लाख व्यय हुआ ।

कार्य का परीक्षण प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ द्वारा पहले ही किया जा चुका है । अतः सी० आर० आर० आई० दिल्ली से जांच कराने की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 120 पर)

राष्ट्रीय मार्ग 28 पर विभागीय पद्धति से दैनिक मजदूरों से कार्य कराने के फलस्वरूप वित्तीय हानि होना

138–श्री गामा राम शास्त्री–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मूल कार्यों को दैनिक मजदूरों से न कराकर अनुबन्ध से कार्य कराये जाने हेतु प्रमुख अभियन्ता का कोई सरकुलर जारी हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसके विपरीत रा० मा० 28 के कि० मी० 16 से 35 का कार्य वर्ष 1990-91, 91-92 दैनिक मजदूरों से कराया गया है ? उक्त किलो मीटरों में कुटाई एवं सामग्री ढुलाई में कितने रुपये के अस्थायी अग्रदाय से भुगतान नार्म्स से अधिक किया गया जिसके कारण लाखों रुपये की वित्तीय हानि हुई है ? क्या सरकार इसकी सी० आई० डी० से जांच कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

जी, नहीं । उक्त निर्देश दिनांक 5 जून, 1992 के जारी होने से पूर्व हार्ड शोल्डर निर्माण का कार्य विभागीय पद्धति से दैनिक मजदूरों से कराया गया था ।

कुटाई एवं सामग्री ढुलाई में अस्थायी अग्रदाय द्वारा मानक से अधिक भुगतान नहीं किया गया है । अतः वित्तीय हानि का प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजियाबाद की तहसील दादरी के ग्राम चकबसन्तपुर में श्री राजीव भनोट के नाम से बैनामा की गई भूमि पर सीलिंग ऐक्ट लागू न करने का औचित्य

139–श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 27-1-89 को गाटा सं० 4 रकबा 17 बीघा 11 बिस्वा गाटा सं० 11 रकबा 34 बीघा 2 बिस्वा में से 36 बीघा 13 बिस्वा 2 बिस्वांसी का बैनामा दिल्ली निवासी राजीव भनोट ने ग्राम दोस्तपुर मगरौली खादर, त० दादरी, जनपद गाजियाबाद में कराया है ? क्या यह भी सही है कि ग्राम चकबसन्तपुर, तहसील दादारी, जनपद गाजियाबाद में 17 बीघा 17 बिस्वा 18 1/2 बिस्वांसी का भी बैनामा किया गया है ? यदि हां, तो क्या 54 बीघा 11 बिस्वा बिना शासन के अनुमति के कोई संस्था या व्यक्ति खरीद सकता है ? यदि नहीं, तो इस भूमि पर सीलिंग ऐक्ट लागू न करने का क्या औचित्य है ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

जी हां ।

ग्राम चकबसन्तपुर, त० दादरी, जनपद गाजियाबाद में 17 बीघा, 13 बिस्वा 18 विस्वांसी भूमि का बैनामा भी श्री राजीव भनोट के नाम दिनांक 8-8-89 को किया गया है ।

जी नहीं ।

उक्त भूमि के संबंध में जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 154/167 के अन्तर्गत श्री राजीव भनोट एवं भनोट प्रापर्टी एण्ड इन्डस्ट्रीज लि० के विरुद्ध कार्यवाही की गई है जिस पर दोनों फर्मों के मामलों में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), गाजियाबाद के आदेश दि० 24-9-91 द्वारा 12.5 एकड़ से अधिक भूमि राज्य सरकार में निहित कर दी गई थी ।

तत्पश्चात् इन वादों में अपर आयुक्त, न्यायिक, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा दिनांक 2-2-92 को स्थगनादेश दिया गया है ।

जनपद गाजियाबाद की तहसील दादरी के परगना लोनी के महीरुद्दीनपुर कनावनी के निवासी श्री मोहनलाल पुत्र शंकर द्वारा की गई शिकायत की जांच तथा वाद का निरस्त किया जाना

140–श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम महीरुद्दीनपुर कनावनी, परगना लोनी, तहसील दादरी, जनपद गाजियाबाद में अनुसूचित जाति के लोगों की भूमि बिना जिलाधिकारी की अनुमति के मि० नं० 281,278, 275, 280, 279 के दाखिल ख़ारिज किस आधार पर की गयी है ? क्या यह सही

है कि संबंधित दाखिल खारिज की रिपोर्ट में तत्कालीन लेखपाल श्री वेदप्रकाश ने जाति का उल्लेख नहीं किया है ? यदि हां, तो क्या यह बैनामे निरस्त किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

ग्राम महीरुद्दीनपुर कनावनी से संबंधित मिसिल नं० 281, 275, 280 व 279 के संबंध में लेखपाल ने अपनी हस्तान्तरण रिपोर्ट में लिखा है कि विक्रेता अनुसूचित जाति के नहीं है । इसी आधार पर दाखिल खारिज किया गया था । मिसिल नंबर 276 महीरुद्दीनपुर कनावनी से संबंधित नहीं है तथा इसमें विक्रेता अनुसूचित जाति का नही है ।

जी हां ।

मिसिल नंबर 287, 275, 280 व 279 से संबंधित मामलों में ।

श्री मोहनलाल पुत्र शंकर, निवासी महीरुद्दीनपुर कनावनी की शिकायत पर जांच करने से शिकायत सही पायी गई और वाद निरस्त कर दिये गये हैं ।

जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत सेमटल इण्डिया लि० तथा छपरौला हीरोमाट्र्स लि० अछेजा की भूमि को, जोत की अतिरिक्त घोषित भूमि पर सीलिंग ऐक्ट लागू करने की मांग

141–श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गाजियाबाद के अंतर्गत सेमटल इण्डिया लि०, छपरौला हीरोमाट्र्स लि० अछेजा की भूमि सीलिंग में अतिरिक्त घोषित की गयी थी ? यदि हां, तो पुनः उसका नियमितीकरण किस आधार पर किया गया ? क्या यही नियम जोत की अतिरिक्त घोषित भूमि पर लागू होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गाजियाबाद की तहसील दादरी के ग्राम तुशियाना की प्रश्नगत आराजी को श्री मंजीत सिंह पुत्र श्री हरवंश सिंह के नाम से बेचे जाने संबंधी जांच के आदेश

142– श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम तुशियाना, तहसील दादरी, जनपद गाजियाबाद में खतौनी सं० 1381 से 86 फसली में खाता नं० 305 में खसरा सं० 1231 रकबा 5 बीघा असंक्रमणीय भूमिधरी आराजी को श्री मंजीत सिंह पुत्र श्री हरवंश सिंह को बेचा गया है ? यदि हां, तो इस बैनामे का औचित्य क्या है ?

श्री रमापति शास्त्री–

प्रश्नगत भूमि के बैनामे के आधार पर तहसीलदार, दादरी के न्यायालय के वाद संख्या- 349 आदेश दिनांक 16-6-79 द्वारा बतौर बैनामा मीरू पुत्र कालीचरन निवासी तुशियाना का नाम पृथक करके मंजीत सिंह पुत्र श्री हरवंश निवासी गंगानगर के नाम दिनांक 9-7-79 को अंकित हुआ है ।

इस पूर्ण प्रकरण की जांच करने के आदेश जिलाधिकारी, गाजियाबाद को दे दिये गये हैं ।

जनपद गाजियाबाद की तहसील दादरी के ग्राम तुशियाना स्थित टेक्नालाजी पार्क लि० के नाम प्रश्नगत भूमि का दाखिल खारिज न किया जाना

143– श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम तुशियाना, तहसील दादरी, जनपद गाजियाबाद की लगभग 30 बीघा जमीन जो असंक्रमणीय तथा ग्राम समाज की भूमि है का दाखिल खारिज चकबन्दी विभाग ने किस आधार पर टेक्नालाजी पार्क लि० के नाम किया है ?

श्री रमापति शास्त्री–

ग्राम तुशियाना, तहसील दादरी, जनपद गाजियाबाद में टेक्नालाजी पार्क लि० के नाम किसी भी असंक्रमणीय अथवा ग्राम समाज की किसी भी भूमि पर चकबन्दी विभाग द्वारा कोई दाखिल खारिज नहीं किया गया है ।

जनपद मऊ के नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सरंगापुर से नरूल्लाहपुर तक के मार्ग निर्माण की अवधि तथा इस पर धनराशि का विवरण

144–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मऊ के नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सरंगापुर से नरूल्लाहपुर मार्ग पर सा० नि० वि० द्वारा निर्माण कार्य हुआ था ? यदि हां, तो कब और उस पर कितना धन व्यय हुआ ?

श्री राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य वर्ष 1987-88 में प्रारम्भ हुआ था जिस पर वर्षवार किये गये व्यय का विवरण निम्नवत् है:–

वर्ष	व्यय की गयी धनराशि
1987-88	24,686.00
1988-89	34,385.00
1989-90	1,05,009.00
1990-91	36,358,00
योग:–	2,00,438.00

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त से कार्य कराने हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने की मांग

145–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सड़क पुल निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि लो० नि० वि० के कार्यकारी खण्डों को शासन से उपलब्ध

न होने के कारण लोक निर्माण विभाग के कार्यों में गतिरोध उत्पन्न हो रहा है तथा अधिकांश जनपदों के अन्तर्गत मार्गों के स्वीकृत निर्माण कार्य धनाभाव के कारण निर्धारित अवधि में पूरे नहीं हो पायेंगे ? क्या यह सत्य है कि मार्गों का कार्य अधूरा रहने से जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तथा सभी क्षेत्रों में मार्गों के निर्माण कार्य रोक दिये जाने से जनता को कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या लोक निर्माण विभाग के विभिन्न जनपदों में स्वीकृत कार्यों के लिये आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराकर सड़कों का निर्माण कार्य समय से पूरा कराये जाने की व्यवस्था करायेंगे ?

श्री राम कुमार वर्मा–

जी नहीं । गत वर्ष 91-92 में जिला योजना के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गई धनराशि रु० 75.00 करोड़ के विरुद्ध इस वर्ष (92-93 में) 114.08 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई गई है जो अपेक्षाकृत लगभग 52% अधिक है । अधिनीत एवं नव स्वीकृत कार्यों तथा व्यय का विवरण निम्नवत् है:–

(1) 1-4-91 को अधिनीत कार्यों की लागत	199.62 करोड़ रु०
(2) वर्ष 91-92 में नव स्वीकृत कार्य	32.86 करोड़ रु०
(3) वर्ष 91-92 में व्यय	66.27 करोड़ रु०
(4) 1-4-92 को अधिनीत कार्यों की लागत	166.21 करोड़ रु०
(5) वर्ष 92-93 में स्वीकृत किये जाने वाले कार्यों की संभादित लागत	64.17 करोड़ रु०
(6) वर्ष 92-93 में व्यय के लिए उपलब्ध धनराशि (उपलब्ध परिव्यय)	89.66 करोड़ रु० 114.08 करोड़ रु०
(7) 1-4-93 को अधिनीत कार्यों की सम्भावित लागत जिला सेक्टर के अंतर्गत	140.72 करोड़ रु०

कोई भी निर्माण कार्य रोका नहीं गया है ।

विभिन्न जनपदों में स्वीकृत कार्यों के लिए वर्ष 92-93 में कार्यों की शीघ्रता से पूर्ण कराने के लिये गत वर्ष की अपेक्षा अधिक धनराशि उपलब्ध कराई गयी है । सीमित संसाधनों के अन्तर्गत निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण कराने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

जिलाधिकारी, चमोली तथा परगनाधिकारी, गोपेश्वर द्वारा सरकारी वाहनों पर खर्च किये गये पेट्रोल खपत का विवरण

146–श्री ज्वाला प्रसाद यादव-

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जिला अधिकारी, चमोली तथा परगनाधिकारी, चमोली (गोपेश्वर) के पास कुल कितने सरकारी वाहन हैं ? माह जनवरी, 1992 में इन वाहनों पर कुल कितने डीजल/पेट्रोल की खपत हुई ? लागबुक के अनुसार ये गाड़ियां कुल कितने किलोमीटर चलीं ? क्या यह सत्य है कि जिला अधिकारी, चमोली तथा परगनाधिकारी, चमोली (गोपेश्वर) द्वारा माह मई, 1992 में सरकारी वाहनों का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो माह मई, 1992 में उन्हीं सरकारी वाहनों में कुल कितना डीजल/पेट्रोल की खपत हुई और गाड़ियां कुल कितने किलोमीटर चलीं ?

श्री रमामति शास्त्री–

3 सरकारी वाहन हैं जिसमें जिलाधिकारी, चमोली के पास दो वाहन तथा परगनाधिकारी, गोपेश्वर के पास एक वाहन है ।

कुल 979 लीटर पेट्रोल की खपत हुई ।

कुल 5,918 किलो मीटर चलीं ।

जनपद से प्राप्त सूचनानुसार दुरुपयोग का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

माह मई, 1992 में कुल 848 लीटर पेट्रोल की खपत हुई तथा गाड़ियां 6,353 कि० मी० चलीं ।

147–श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

[1ले सोमवार में अता० प्र० सं० 184 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फैजाबाद की तहसील टाण्डा के ग्राम बजदहिया पाईपुर के मौजा गद्दौपुर के चकमार्ग नं० 140 के कतिपय भाग पर काबिज व्यक्तियों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही

148–श्री बी० आर० वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद जनपद के टाण्डा तहसील के ग्राम सभा बजदहिया पाईपुर के मौजा गद्दौपुर के चकमार्ग नं० 140 के खाली कराने हेतु 122 बी के अन्तर्गत मुकदमा चल चुका है ? यदि हां, तो अतिक्रमण हटाने के लिए उक्त मुकदमे के फैसले के अनुसार कार्यवाही न करने का कारण क्या है ? इसके लिए दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सत्य है कि अतिक्रमणकर्ता श्री बसन्ती उसी तहसील में कर्मचारी है और उसी को बचाने के उद्देश्य से मामले को लम्बित रखने के लिए तहसीलदार, टाण्डा द्वारा पुनः 122 बी की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो पूर्व फैसले पर अमल करने के बजाय पुनः 122 बी की कार्यवाही करने का औचित्य क्या है ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

गाटा संख्या 140 चकमार्ग के बारे में धारा 122 बी ज० उ० अधिनियम के अन्तर्गत अपर तहसीलदार, अकबरपुर द्वारा निर्णीत वाद में दिनांक 29-2-1988 को कार्यवाही समाप्त करके यह आदेश दिया गया था कि क्षेत्रीय भूलेख निरीक्षक व लेखपाल द्वारा पुनः जांच कराई जाय और यदि जांच में गाटा संख्या 140 पर अतिक्रमण पाया जाय तो पुनः कार्यवाही प्रारम्भ की जाय । पुनः जांच हुई । गाटा संख्या 140 के कुछ अंश पर श्री बसन्ती पुत्र श्री चौथी व मु० कुन्ता बेवा नोहर, ग्रामवासी के कब्जे पाये गये जिससे उनके विरुद्ध पुनः 122 बी ज० वि० अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की गई है । चूंकि आदेश दिनांक 29-2-1988 में बसन्ती के विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित नहीं किया गया था । अतः अतिक्रमण हटाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । तद्नुसार किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही का भी कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बसन्ती तहसील टाण्डा में संग्रह कर्मचारी के पद पर कार्यरत है, उन्हें बचाने के उद्देश्य से नहीं वरन् न्यायालय द्वारा पारित दि० 29-2-1988 के आदेशों के अन्तर्गत धारा 122 बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत पुनः कार्यवाही की गई है ।

पूर्व फैसले पर अमल करते हुए ही 122 बी जमींदारी विनाश अधिनियम के तहत कार्यवाही पुनः प्रारम्भ की गयी है।

राज्य सेतु निगम में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति भत्ते की वसूली संबंधी प्रकरण विचाराधीन

149–श्री बी० आर० वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सेतु निगम में बाह्य सेल पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा दि० 31-3-85 के पश्चात् अनाधिकृत रूप से ग्रहण किये प्रतिनियुक्ति भत्ते की वसूली के संबंध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- 148/ पी० एस० एम० एस०/एम० एल० सी०/92, दिनांक 8-6-92 के अनुसार प्रश्नकर्ता का कोई पत्र सचिव, लोक निर्माण विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम कुमार वर्मा–

जी हां।

प्रकरण विचाराधीन है।

राज्य सेतु निगम में कार्यरत वरिष्ठ लेखाकारों के विशेष वेतन रोके जाने के आदेश

150–श्री बी० आर० वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सेतु निगम में वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 में वरिष्ठ लेखाकारों (वर्तमान में पदनाम सहा० लेखाधिकारी) को अनुमन्य विशेष वेतन रु० 100 किस आधार पर किन आदेशों के द्वारा निरस्त किया गया ? क्या यह भुगतान गलत रूप से अनुमन्य कर दिया गया था ? यदि हां, तो पूर्व में भुगतान किये गये विशेष वेतन की कोई कटौती की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम कुमार वर्मा–

राज्य सेतु निगम में वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 में वरिष्ठ लेखाकारों (वर्तमान पदनाम सहायक लेखाधिकारी) को अनुमन्य विशेष वेतन रू० 100 के आदेशों को निरस्त नहीं किया गया है अपितु इस बारे में निदेशक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22-11-90 द्वारा उक्त विशेष वेतन दिनांक 1-9-90 से रोके जाने के आदेश दिये गये हैं।

सहायक लेखाधिकारियों को मिलने वाले उक्त रु० 100 के लिये वेतन की अनुमन्यता के संबंध में सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो का अभिमत मांगा गया है।

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो का अभिमत प्राप्त होने से पूर्व किसी कार्यवाही का औचित्य नहीं है।

जनपद वाराणसी की तहसील व परगना भदोही के ग्राम भिखारीपुर के विश्वनाथ बनाम गांव सभा तथा कन्हैया लाल बनाम गांव सभा विषयक फर्जी मुकदमें के संबंध में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप पत्र जारी किया जाना

151–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव भिखारीपुर, गांव सभा लखनपुर उर्फ अभयनपुर, प० भदोही, त० भदोही, जिला वाराणसी में मुकदमा नं० 749/88 तथा 992/89 आ० नं० 66 चारागाह

व मुकदमा नं० 996/82 क्रमशः विश्वनाथ बनाम गांव सभा तथा कन्हैया लाल बनाम गांव सभा का फर्जी मुकदमा तहसीलदार, भदोही, वाराणसी के यहां गांव सभा की जमीन को लेने के लिये किया गया था ? क्या यह सही है कि प्रथम मुकदमे में प्रधान राजवली द्वारा हस्ताक्षर किया गया और 996/82 पर प्रधान के अंगूठे का निशान है ? क्या यह सही है कि कहीं फाइल मिसलबुक पर चढ़ाई नहीं गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच जिलाधिकारी, वाराणसी से कराने की कृपा करेगी ? क्या यह सही है कि इसमें 2 1/2 बीघा चारागाह भी है ?

श्री रमापति शास्त्री–

मुकदमा नंबर 749/88 शेषनाथ बनाम नूरजहां ग्राम कुसियरा तालुका चौथार गाटा संख्या-14 क्षेत्रफल 1-10-15 बैनामे पर आधारित है । मुकदमा नंबर 992/89 आ० नं० 66 चारागाह व मुकदमा 966/89 क्रमशः विश्वनाथ बनाम गांव सभा व कन्हैया लाल बनाम गांव सभा तहसीलदार, भदोही, वाराणसी के यहां गांव सभा की जमीन को लेने के लिए किया गया था ।

मुकदमा नम्बर 992/89 में प्रधान राजवली द्वारा हस्ताक्षर किया गया है । मुकदमा नंबर 996/89 की पत्रावली खो जाने के बाद पुनः निर्मित की गयी है । अतः मूल पत्रावली में प्रधान ने हस्ताक्षर किया था अथवा अंगूठे का निशान बनाया था, कहना सम्भव नहीं है ।

जी हां ।

जिलाधिकारी, वाराणसी के निर्देश पर प्रश्नगत मामले की जांच परगनाधिकारी, भदोही द्वारा की गयी है तथा जिलाधिकारी के निर्देश पर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करते हुए आरोप पत्र जारी किये गये है ।

जी हां ।

जनपद बांदा की तहसील कर्वी में भूलेख निरीक्षक की अस्थायी प्रोन्नति

152–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अंतर्गत तहसील कर्वी में नान डिप्लोमा सूची के अलावा भूलेख निरीक्षक अपनी मूल निवास की तहसील में ही कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या इसमें परिषदादेश/शासनादेशों का उल्लंघन किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इसमें कोई दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो कौन तथा उसके विरुद्ध कब तक और क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

प्राप्त सूचनानुसार एक कर्मचारी की अस्थाई प्रोन्नति भूलेख निरीक्षक के पद पर की गयीं थी । उसका मूल पद लेखपाल है । चूंकि परिषदादेश/शासनादेश के अन्तर्गत लेखपालों को उनकी निवास की तहसील में निवास के विकास खंड को छोड़ते हुए तैनात किये जाने के आदेश हैं, अतः उक्त भूलेख निरीक्षक निवास की तहसील में कार्यरत है ।

इसमें कोई भी कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा, ब्लाक बिसण्डा के अंतर्गत ग्राम परसौना की महिला विकलांग सहदेइया पत्नी भैरवइया को वर्ष 1990-91 का विकलांग और भरण पोषण अनुदान के भुगतान के संबंध में कार्यवाही

153–श्री राम प्रसाद सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के पांचवे गुरुवार को उत्तरित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 167 के उत्तर के संबंध में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रेखांकित महिला विकलांग सहदेइया निवासी परसौना, बांदा को विकलांग, भरण पोषण अनुदान वर्ष 1990 का भुगतान दिया जाना दर्शाया गया है ? यदि हां, तो किस दिनांक को और किस माध्यम से तथा किसके द्वारा ?क्या लाभार्थी का हस्ताक्षर/निशान अंगूठा लिया गया है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच सत्यापन कराया जायेगा ? क्या यह सही है कि उक्त भुगतान डाकघर बरसौना से वापस कर दिया गया है ? क्या प्रश्नकर्ता द्वारा विगत दस माह के अन्दर उक्त धनराशि की अदायगी के संबंध में समाज कल्याण अधिकारी, बांदा, जिला विकास अधिकारी, बांदा व जिला अधिकारी, बांदा को अनेकों बार लिखा गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि हड़पने की जांच की जायेगी ? यदि हां, तो क्या दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

जी हां । उप डाकघर, अलीगंज (बांदा) द्वारा मु० 920 रुपये का धनादेश दिनांक 11-3-91 को किया गया ।

जी नहीं । अधीक्षक, डाकघर, बांदा ने अपने पत्र सं०- सी० आर०/जनरल-1, दिनांक 30-9-92 द्वारा अवगत कराया है कि शाखा डाकघर परसौना की आख्या दिनांक 28-5-92 के अनुसार उक्त विषयांकित धनादेश इस रिमार्क के साथ कि "इस नाम का यहां कोई नहीं है अस्तु प्रेषक को वापस" दिनांक 25-4-92 को वापस कर दिया गया है ।

जी हां । उक्त धनराशि के भुगतान के संबंध में प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी को संबोधित एक पत्र सं०-729506 दिनांक 13-1-92 इस कार्यालय में प्राप्त हुआ, जिस पर जिला समाज कल्याण अधिकारी ने अपने पत्रांक 2715-16 दिनांक 16-1-92 द्वारा जिलाधिकारी और प्रश्नकर्ता को वस्तुस्थिति से अवगत कराया था ।

धनराशि हड़पे जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन एवं पेंशन भुगतान करने का प्रकरण

154–श्री बी० आर० वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में सेतु निगम में लोक निर्माण विभाग के कितने संविलियत कर्मचारी एवं अधिकारी किन पदों एवं वेतनमानों में कार्यरत हैं ? क्या लोक निर्माण विभाग से इनके सेवानिवृत्त/त्याग-पत्र स्वीकृत हो जाने के पश्चात् इन्हें लो० नि० वि० का पूर्व कर्मचारी होने पर कोई पैंशन प्राप्त हो रही है ? क्या सेतु निगम में इन्हें वर्तमान में किये जा रहे वेतन का भुगतान पेंशन सुविधा धनराशि का समायोजन के पश्चात् किया है ? यदि हां, तो इसका विवरण क्या है ? यदि

नहीं, तो एक ही समय में उ० प्र० सरकार के किन नियमों के अंतर्गत वेतन एवं पेशन का भुगतान करना उचित है ?

श्री राम कुमार वर्मा–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राज्य सेतु निगम से श्री संजय अग्रवाल का त्याग-पत्र दिया जाना

155–श्री महेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि सेतु निगम उत्तर प्रदेश में श्री संजय अग्रवाल की नियुक्ति के विषय में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 6-3-90 के संदर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? संबंधित मामले की जांच किससे करायी गयी और जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री राम कुमार वर्मा–

प्रश्नगत प्रकरण पर तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, राज्य सेतु निगम से आख्या मांगी गई थी जो उनसे प्राप्त हुई थी । प्राप्त आख्या के अनुसार वर्ष 1987 में सहायक अभियंता (सिविल) के पदों हेतु दिनांक 17-3-87 तक आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये थे । निर्धारित तिथि तक प्राप्त 1126 आवेदन-पत्रों में से 30 अभ्यर्थियों का बी० ई० का परिणाम घोषित होना शेष था । अतः तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जिन अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र समय से प्राप्त हों गये हो और वे निर्धारित मापदण्ड के अन्दर आते हों एवं साक्षात्कार से पूर्व उनकी बी० ई० उत्तीर्ण होने की अंकतालिका प्राप्त हो जाती है तो उन्हें भी अन्य अभ्यर्थियों के साथ साक्षात्कार हेतु बुला लिया जाय । श्री संजय अग्रवाल द्वारा अपने बी० ई० उत्तीर्ण होने की अंकतालिका साक्षात्कार से पर्याप्त पूर्व जमा कर दी गई थी तथा वे निर्धारित मापदंड में आते थे । अतः उन्हें भी साक्षात्कार हेतु बुलाया गया था । सम्प्रति श्री अग्रवाल ने दिनांक 16-10-91 से निगम की सेवा से त्याग-पत्र दे दिया है ।

जनपद इलाहाबाद की तहसील हण्डिया के परगनाधिकारी न्यायालय में हंसराज बनाम राम किसुन वाद का अंकित न होना

156–श्री महेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद जनपद के हण्डिया तहसील के परगनाधिकारी के न्यायालय से वाद संख्या-5/13/1/3/35 वर्ष 1989 हंसराज बनाम राम किसुन की पत्रावली गायब हो गयी है ? यदि नहीं, तो क्या वादकारों को पत्रावली उपलब्ध करायी जाती है ? क्या इस बाद में कोई निर्णय हुआ है ? यदि हां, तो निर्णय पर कार्यवाही कब तक सुनिश्चित करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

प्राप्त सूचनानुसार उक्त वाद जिसका पूर्ण विवरण उल्लिखित नहीं है, के नाम की पत्रावली परगनाधिकारी, हण्डिया के न्यायालय की वाद पंजिका में अंकित नहीं है । अतः गायब होने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद की तहसील फूलपुर के ग्राम पतुलकी में चकबंदी आकार पत्र से फर्जी इन्द्राज का निरस्त किया जाना

157–श्री महेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद जनपद के ग्राम पतुलकी, परगना सिकन्दरा, तहसील फूलपुर में फर्जी इन्द्राज दर्ज करने संबंधित शिकायती प्रार्थना-पत्र पर जांच पूर्व परगना मजिस्ट्रेट श्री पी० सी० गुप्ता को दी गयी थी ? यदि हां, तो उनकी जांच रिपोर्ट क्या है ? संबंधित अभिलेखालय अधिकारी के खिलाफ क्या कानूनी कार्यवाही की गयी ? क्या इन्द्राज निरस्त किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार फर्जी इन्द्राज निरस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

जांच रिपोर्ट में 8 मामलों में चकबन्दी आकार पत्र 45 में फर्जी इन्द्राज किये गये पाये गये ।

दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं ।

जी हां ।

जिला संचालक चकबन्दी, इलाहाबाद के दिनांक 26-9-92 के आदेश द्वारा फर्जी इन्द्राज निरस्त कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के क्षेत्र का पुनः परिसीमन करने के संबंध में जिलाधिकारी से आख्या मांगा जाना

158–श्री छेदी लाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 26-2-92 को तहसील मनकापुर के क्षेत्र का पुनः परिसीमन कराने के लिये उन्हें कोई पत्र दिया है ? यदि हां, तो अब तक उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

जिलाधिकारी, गोण्डा की आख्या मांगी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत तहसील तरबगंज के ग्राम सभा परसापुर थनल तथा जानकीनगर व सीलिंग की भूमि के अवैध पट्टों को निरस्त करने की मांग

159–श्री छेदी लाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत तहसील तरबगंज के ग्राम सभा परसापुर थनल एवं जानकीनगर ग्राम सभा व सीलिंग की जमीन का पट्टा जनपद फैजाबाद एवं बस्ती जनपद के लोगों के नाम से हुआ है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त अवैध

पट्टों को निरस्त करने के लिये जिलाधिकारी, गोण्डा ने कमिश्नर, फैजाबाद को किस तारीख में रिपोर्ट भेजी है ?

श्री रमापति शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लोक निर्माण विभाग के अवर अभियन्ता श्री बेचन लाल श्रीवास्तव की प्रोन्नति

160–श्री सुन्दर लाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बेचन लाल श्रीवास्तव, अवर अभियन्ता की पदोन्नति अभी तक नहीं की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या इनसे कनिष्ठ 20 से भी अधिक अवर अभियन्ताओं को पदोन्नत करके उच्च पद दिये गये ? यदि हां, तो क्यों ? इन्हें कब तक पदोन्नत कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

जी हां ।

उ० प्र० सर्विस आफ इंजीनियर्स बिल्डिंग एण्ड रोड ब्रान्च (क्लास-टू) (संशोधन) नियमावली, 1987 के नियम-5 के अनुसार अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है । उक्त सेवा नियमावली के नियम-12 के अनुसार प्रोन्नति का मापदण्ड वरिष्ठता न होकर श्रेष्ठता है । शासन के पत्र दिनांक 17-10-1988 द्वारा चयन वर्ष 1987-88 की रिक्तियों के विपरीत जो पात्रता सूची आयोग को भेजी गई थी उसमें श्री बेचन लाल श्रीवास्तव का नाम क्रमांक 256 (ज्येष्ठता क्रमांक 415) पर था परन्तु चयन का मापदण्ड श्रेष्ठता होने के कारण श्री श्रीवास्तव पदोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाये गये । भविष्य में प्रोन्नति कोटे में डिप्लोमाधारी अवर अभियन्ताओं के प्रतिभाग की रिक्तियां उपलब्ध होने पर तथा रिक्तियों के अनुपात में यदि श्री श्रीवास्तव पात्रता क्षेत्र में आयेंगे, तब इनकी प्रोन्नति पर नियमानुसार विचार सम्भव है लेकिन कोई समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

161–श्री विजय सिंह राणा–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद बरेली के आंवला में इण्डियन आयल डिपो (डम्प) स्थापित करने हेतु भूमि अधिग्रहण संबंधी अधिसूचना का जारी किया जाना

162–श्री श्याम बिहारी सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि आंवला, जनपद बरेली में इण्डियन आयल भारत सरकार द्वारा एक तेल डिपो (डम्प) की स्थापना की जानी है जिसके वास्ते जमीन की आवश्यकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि आंवला में इण्डियन आयल के डिपो के वास्ते जमीन अधिग्रहीत किये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार के पास लगभग एक साल से लम्बित पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव का शीघ्र निस्तारित कर इण्डियन आयल के डिपो की आंवला में स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

जी हां ।

शासन द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा–4 के साथ पठित धारा 17 की अधिसूचना 19 अक्टूबर, 1992 को निर्गत कर दी गयी है ।

पशुपालन निदेशालय में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध हो जाने पर दो संयुक्त निदेशकों की पदावनति किया जाना

163–श्री तेजभान सिंह–

क्या पशुधन मंत्री को जानकारी है कि पशुपालन निदेशालय के कुछ संयुक्त निदेशकों, जिनकी संख्या 2 है, माह अप्रैल, 92 में उनकी पदावनति (डिमोशन) कर उप निदेशक बना दिया गया था ? यदि हां, तो उनकी पदावनति का क्या कारण था ? क्या पदावनति "फर्स्ट कम फर्स्ट गो" के आधार पर की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उन अधिकारियों से कम सीमा अवधि वाले अधिकारी संयुक्त निदेशक पद पर वर्तमान हैं ? यदि हां, तो पहले उनको क्यों नहीं हटाया गया ? उक्त पदावनति संबंधी समस्त कार्यवाहीं की सूचना सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री उमानाथ सिंह–

जी हां ।

विभागीय चयन समिति की संस्तुति के अनुसार पदावनत दो संयुक्त निदेशकों की तदर्थ प्रोन्नति इस शर्त के साथ की गई थी कि अनुसूचित जाति के पात्र अधिकारी उपलब्ध हो जाने पर उनका प्रत्यावर्तन कर दिया जायेगा । तद्नुसार ही अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध हो जाने पर तदर्थ रूप से प्रोन्नति दो संयुक्त निदेशकों को उप निदेशक के पद पर पदावनत किया गया ।

जनपद लखीमपुर खीरी के लोक निर्माण विभाग के निलम्बित सहायक अभियन्ता श्री सी० डी० राय द्वारा ठेकेदारों को अधिक भुगतान करने की जांच

164–श्री छोटे लाल यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सी० डी० राय, सहायक अभियन्ता, लो० नि० वि०, लखीमपुर खीरी को शासनादेश दिनांक 8-8-91 द्वारा जनपद लखीमपुर खीरी में साईट पर कम रोड मेटल गिराकर अनुबन्धों के विरुद्ध अधिक भुगतान करने के लिए निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो कितने लाख रुपये का अधिक भुगतान इनके द्वारा किया गया था ? क्या निलम्बन एवं अब तक प्राप्त अन्य प्रतिकूल प्रविष्टियां इत्यादि इनकी सेवा पुस्तिका में अंकित कर दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम कुमार वर्मा—

श्री सी० डी० राय, सहायक अभियन्ता, लो० नि० वि०, खीरी को शासनादेश दिनांक 8-8-91 द्वारा गोण्डा तथा देवरिया के कार्यकाल की अनियमितताओं के लिए निलम्बित किया गया था ।

निर्माण खण्ड, खीरी में दिनांक 23-6-90 से 29-8-91 तक की अवधि में इनकी तैनाती के दौरान जंगल मटेरा मार्ग के निर्माण में स्टोन बैलास्ट के ठेकेदारों को अधिक भुगतान करने के प्रकरण में अभी जांच की जा रही है ।

इनकी प्रतिकूल प्रविष्टियां इनकी चरित्र पंजिका में संलग्नानुसार लगी हैं । सेवा पुस्तिका में प्रतिकूल प्रविष्टियां नहीं रखी जाती हैं । सम्प्रति, संदर्भित निलम्बन आदेश की प्रविष्टि अंकित करने हेतु इनकी सेवा पुस्तिका उपलब्ध नहीं है, अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 121 पर)

लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता श्री सूर्य नाथ सिंह को प्रकरण विशेष में दोषी पाये जाने पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु प्रमुख अभियन्ता को निर्देशित किया जाना

165–श्री छोटे लाल यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सचिव, लो० नि०वि० के पत्रांक 68 मु० म०/23-6-37(12) ई० एग०/89, दिनांक 21-10-89 द्वारा श्री सूर्य नाथ सिंह, सहायक अभियन्ता के विरुद्ध जांच करायी गयी थी ? क्या मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर मण्डल के पत्रांक संख्या–6077/22i परि०-गो०म०/89, दिनांक 29-10-91 द्वारा श्री सिंह अनियमितताओं एवं राजस्व हानि के लिए दोषी पाये गये थे ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री राम कुमार वर्मा–

संदर्भित पत्रांक, जो शासन द्वारा तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर को भेजा गया था तथा जिसके साथ जनपद सिद्धार्थनगर में कतिपय निर्माण कार्य के सम्बन्ध में शिकायत की गयी थी में, नाम से श्री सूर्यनाथ सिंह के विरुद्ध शिकायत नहीं की गई थी किन्तु जांच पर उनकी अन्तर्ग्रस्तता पाई गई ।

प्रकरण विशेष में श्री सूर्य नाथ सिंह दोषी पाये गये जिस क्रम में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर, निज टिप्पणी सहित प्रस्तुत करने हेतु, प्रमुख अभियन्ता को निर्देशित कर दिया गया है ।

विधायक के पैड पर लिखे गये पत्र के सम्बन्ध में श्री चन्द्र देव राय सहायक अभियन्ता के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही

166–श्री छोटे लाल यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री हरिवंश सहाय, विधायक का शिकायती पत्र दिनांक 8-2-90 एवं सचिव, लो० नि० वि० के पृष्ठांकन संख्या–29 मू० म० 23-6-90-21(1) ई०दम०/81 द्वारा श्री चन्द्र देव राय सहायक अभियन्ता द्वारा विधायक के पैड पर लिखे गये पत्र के हैण्डराइटिंग की जांच के आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो जांच में विलम्ब का कारण क्या है एवं उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम कुमार वर्मा–

उल्लेखनीय है कि श्री हरिवंश सहाय, मा० विधायक का शिकायती पत्र दिनांक 8-2-90 जांच हेतु शासन के अर्धशासकीय पत्र संख्या 74 विधा/23-6-21(1) ई एम/81, दिनांक 6-3-90 द्वारा मुख्य अभियन्ता गोरखपुर क्षेत्र, गोरखपुर को भेजा गया । मुख्य अभियन्ता गोरखपुर ने अवगत कराया है कि श्री चन्द्र देव राय, सहायक अभियन्ता द्वारा स्वयं लिखित पत्र तथा शिकायत में वर्णित पत्र, की हैण्डराइटिंग एक समान पायी गयी है । अतः श्री राय दोषी पाये गये हैं । अतएव दण्डात्मक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित सहायक अभियन्ता का "कारण बताओ नोटिस" देने की कार्यवाही प्रचलित है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद व तहसील-लखनऊ के ग्राम हरदोइया लालनगर निवासी-श्री डोरी लाल पुत्र श्री हुबलाल को आंवटित पट्टे पर कब्जा देने की कार्यवाही

167-श्री छोटे लाल यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री डोरी लाल पुत्र श्री हुबलाल निवासी ग्राम हरदोइया-लालनगर, तहसील व जनपद लखनऊ को दिनांक 9-1-75 को खसरा संख्या 108 क्षेत्रफल-एक बीघा, खसरा संख्या-181 क्षेत्रफल एक बीघा 02 बिस्वा, खसरा संख्या-313 क्षेत्रफल 09 बिस्वा 18 बिस्वांसी, खसरा संख्या-586 क्षेत्रफल 10 बिस्वा का पट्टा दिया गया था ? यदि हां, तो उपर्युक्त अंकित समस्त भूमि का कब्जा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सच है कि इनको खसरा संख्या-313 क्षेत्रफल 09 बिस्वा 18 बिस्वांसी तथा खसरा संख्या-586 क्षेत्रफल 10 बिस्वा का कब्जा सन् 1975 से अब तक नहीं दिलाया गया है ? उक्त भूमि का कब्जा कब तक दिला दिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० ब्रिज कारपोरेशन द्वारा बम्बई नगर में ओवर ब्रिज के निर्माण में उपयोग में लाई जाने वाली मशीनों पर व्यय धनराशि की जांच

168-श्री गंगा बख्श सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपा करेंगे कि बम्बई नगर में कोई ओवर ब्रिज, ब्रिज कारपोरेशन, उ० प्र० द्वारा बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उसमें लगने वाली बल्ली लखनऊ से खरीद कर ले जायी गयी है, जो मैकनिकल मशीनें लखनऊ से गयीं वह बिना चलाये कितना व्यय किया गया है ? यदि हां, तो फर्नीचर की खरीददारी में कितने धन का घपला किया गया ? क्या यह सही है कि हाईस्ट्रोड एण्ड वेल्डिंग एक्सेसरीज बिना किसी सामान के 70 हजार रुपये का बिल भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सतर्कता आयोग से सभी बिन्दुओं की जांच करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम कुमार वर्मा-

जी हां !

जी नहीं ।

उक्त कार्य हेतु लखनऊ से ले जाई गई तीन मशीनों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पहले उपयोग हेतु आवश्यक मरम्मत कराने में कुल रु० 15,179=00 व्यय किया गया ? कार्यालय तथा साइड के फर्नीचर हेतु कुल 33,545=00 का व्यय किया गया जी नहीं । प्रश्नगत वेल्डिंग सामग्री का क्रय समय-

समय पर विभिन्न फर्मों से कुल रु० 62,808=70 पै० की लागत पर किया गया जिसका भुगतान भण्डार के लेखों में प्रविष्टि करने के पश्चात ही किया गया है । प्रश्न में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में सेतु निगम के वरिष्ठ अधिकारी से प्रारंभिक जांच कराई जा रही है । उसमें कोई तथ्यपूर्ण संदेहास्पद जानकारी प्राप्त होने की स्थिति में अन्य किसी संस्था से यथावश्यकता जांच कराने पर भी विचार करना सम्भव है ।

[illegible] फैजाबाद नगर अकबरपुर से दुद्धी-लुम्बनी मार्ग (बाई पास) हेतु सम्बन्धित भूखण्डों से अधिग्रहीत भूमि की जानकारी

169–श्री बच्चा पाठक–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-फैजाबाद, नगर अकबरपुर से दुद्धी-लुम्बनी मार्ग (बाई पास) में किन-किन खातों से कितना-कितना रकबा उक्त मार्ग में गया और क्या वे रकबे उन खातों से काटे गये अथवा नहीं, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

दुद्धी-लुम्बनी मार्ग (बाई पास) की भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित भूखण्ड एवं क्षेत्रफल विवादित होने के कारण अभी अधिग्रहण अन्तिम नहीं हुआ है, जिसके कारण सम्प्रति स्पष्ट विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है ।

जी नहीं, चूंकि अधिग्रहण नहीं हुआ है, अतः अभी खाते में नम्बर नहीं काटे गये ।

[illegible] फैजाबाद की तहसील-अकबरपुर के ग्राम सभा रोशनगढ़ तथा ग्राम-सलेमपुर के लेखपाल की दुराचरण पाए के विरुद्ध शिकायतें, फैजाबाद को सम्बोधित श्री प्रियदर्शी जेतली के पत्र पर कृत कार्यवाही

170–श्री बच्चा पाठक–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रियदर्शी जेतली का पत्र जो जिलाधिकारी, फैजाबाद को 16-5-92. 20-5-92 को ग्राम सभा रोशनगढ़, तहसील अकबरपुर, जिला-फैजाबाद व ग्राम सलेमपुर, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद लेखपाल श्री दयाराम पाल द्वारा अनियमितता व पद के दुरुपयोग के सम्बन्ध में लिखे गये हैं, इसमें मुख्य आरोप क्या है ? क्या यह सही है कि ग्राम सलेमपुर, जिला फैजाबाद की खतौनी 1366 फसली जिसकी प्रति श्री जेतली ने अपने पत्र दिनांक 20-5-92 को जो जिलाधिकारी को सम्बोधित है में संलग्न किया है ? क्या यह सही है कि सम्बन्धित खतौनी में सम्बन्धित भूमि असंक्रमणीय दर्ज है ? यदि हां, तो लेखपाल द्वारा उसको संक्रमणीय बनाकार बैनामा कराने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त के संबंध में ग्राम सलेमपुर के प्रधान ने भी कोई प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी फैजाबाद व परगनाधिकारी अकबरपुर को दिया है ? यदि हां, तो वह प्रार्थना-पत्र क्या है ? उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

प्रस्तुत इन प्रार्थना-पत्रों में मुख्य आरोप है, कि श्री दयाराम पाल लेखपाल द्वारा अपने ही क्षेत्र रोशनगढ़ में अपनी स्त्री के नाम बैनामा कराने तथा ग्राम सलेमपुर के लेखपाल रहते हुये खतौनी खाता संख्या–541 जो असंक्रमणीय भूमिधर श्रेणी में अंकित था, को संक्रमणीय भूमिधर की नक़ल जारी करके क्रेता श्री सरजू प्रसाद के नाम बैनामे की दाखिल खारिज के समय गलत बयान देने के आरोप हैं ।

उक्त आरोपों के सम्बन्ध में जांच करायी गई ? जांच के फलस्वरूप आरोपों को सही पाये जाने पर तत्कालीन परगनाधिकारी द्वारा श्री दयाराम पाल, लेखपाल को दिनांक 16-11-91 को निलम्बित किया गया था तथा अन्त में दण्डस्वरूप उक्त लेखपाल को चेतावनी देकर दिनांक 20-11-91 को बहाल कर दिया गया है । गांव रोशनगढ़ में भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में श्री दयाराम पाल लेखपाल द्वारा दिनांक 20-9-91 को अनुमति परगनाधिकारी अकबरपुर से प्राप्त कर ली गई थी ।

जी हां ।

यह ग्राम सलेमपुर के गाटा संख्या–973 रकबा एक बीघा जो सरजू प्रसाद पुत्र हंसराज के नाम असंक्रमणीय भूमि दर्ज थी, को फर्जी नकल बनाकर बैनामेदार सरजू प्रसाद पुत्र रामफेर के हक में दाखिल खारिज किये गये आदेश को निरस्त करके भूमि गांव सभा के खाते में निहित किये जाने के सम्बन्ध में था । इस सम्बन्ध में एक वाद परगनाधिकारी के न्यायालय में प्रारम्भ हो चुका है और मामला सबजूडीस है ।

171–श्री राम लखन –

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

शान्ति सेना में उ० प्र० निवासी मृत सैनिकों के परिवारों को आर्थिक सहायता

172–श्री राम लखन–

क्या सरकार बतायेगी कि श्रीलंका में मारे गये शान्ति सेना के सैनिक में से कितने उ० प्र० के मूल निवासी थे ? उनके नाम व पते क्या हैं ? प्रदेश सरकार द्वारा मृतकों के आश्रितों को अभी तक क्या-क्या सहायता प्रदान की गयी है ? क्या सरकार द्वारा उन परिवारों को और सहायता देने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

श्रीलंका में मारे गये शान्ति सेना के सैनिकों में से 229 सैनिक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे ।

उनके नाम व पते परिशिष्ट 'क' पर संलग्न हैं । †

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मृतकों के 229 आश्रितों को रु० 5,000/- प्रति पात्र की दर से आवासीय सहायता और इन्हीं में से 203 मृतक सैनिकों के आश्रितों को रु० 15,000/- प्रति पात्र की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है ।

सम्प्रति कोई योजना नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा की तहसील-कर्वी में आग से पीड़ित व्यक्तियों में से अवशेष व्यक्तियों को सहायता न दिया जाना

173–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के तहसील कर्वी अन्तर्गत जनवरी, 92 से जून, 92 तक आग लगने की घटनाओं का ब्योरा उपलब्ध है ? यदि हां, तो कितने गांवों का तथा कितने लोगों का अनुमानित कितना नुकसान हुआ है ? उक्त पीड़ित लोगों में किसको कितनी सहायता दी गयी

---

† छापी नहीं गयी ।

है ? क्या आग से पीड़ित लोगों में कुछ लोगों को सहायता नहीं दी गयी ? यदि हां, तो कितने लोगों को ? इन्हें कब तक सहायता दी जायेगी ?

श्री रमा पति शास्त्री–

जी हां ।

उक्त अवधि में 80 गांवों के 194 व्यक्तियों का अनुमानतः 13,95,710/- रु० को सम्पत्ति का नुकसान हुआ ।

उक्त पीड़ित व्यक्तियों में से 130 पात्र व्यक्तियों को मु० 36,650/- रुपये की राहत धनराशि वितरित की गयी ।

जी हां । पीड़ित लोगों में से 64 व्यक्तियों को सहायता नहीं दी गयी, क्योंकि सहायता हेतु निर्धारित पात्रता के अन्तर्गत वे नहीं आते थे । अतः उन्हें सहायता नहीं दिया जाना है ।

जनपद उन्नाव की तहसील-हसनगंज के ग्राम सभा मखदूमपुर में ग्राम समाज की भूमि का अवैध पट्टा तथा सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

174–श्री गंगा बख्श सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम सभा मखदूमपुर, तहसील हसनगंज, जनपद उन्नाव की ग्राम समाज की भूमि का पट्टा 116 अपात्र व्यक्तियों के नाम 24-12-90 को किये गये, जिसका अनुमोदन परगना अधिकारी ने 9-1-91 को किया ? क्या यह सही है कि अपात्र व्यक्तियों को किये गये पट्टों की जांच जिलाधिकारी द्वारा करायी गयी और यह सही पाया गया कि पट्टे अवैध रूप से अपात्र व्यक्तियों को ग्राम प्रधान व लेखपाल की सांठ-गांठ से ब्लाक प्रमुख के प्रभाव से किये गये थे ? क्या अवैध पट्टों को निरस्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार ने दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद लखनऊ के ऐशबाग में फ्लाई ओवरब्रिज के निर्माण में व्यय धनराशि का विवरण

175–श्री गंगा बक्श सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऐशबाग में फ्लाई ओवर ब्रिज, लखनऊ के निर्माण में कुल कितना धन उ० प्र० शासन का व्यय हुआ है । क्या यह सही है कि इस ब्रिज के निर्माण में प्रोजेक्ट मैनेजर श्री विनोद कुमार के द्वारा भ्रष्ट तरीके से फर्जी भुगतान अपने ही रिश्तेदारों के फर्म द्वारा कराया गया है ? यदि हां, तो उन फर्मों के नाम क्या हैं और उन फर्मों के प्रोप्राइटर कौन हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर से उनका क्या सम्बन्ध है ? क्या इसकी जांच पी० डब्लू० डी० के उच्च अधिकारी से न कराकर पुलिस भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम कुमार वर्मा–

लखनऊ में ऐशबाग फ्लाई ओवर के निर्माण हेतु राज्य सेतु निगम द्वारा रु० 342.75 लाख का व्यय किया गया है ।

प्रबन्ध निदेशक से प्राप्त सूचना के आधार पर श्री विनोद कुमार, परियोजना प्रबन्धक ने कोई फर्जी भुगतान नहीं किया और न ही अपने रिश्तेदारों की फर्मों से कोई कार्य कराये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लम्भुआ-अर्जुनपुर गरये मार्ग तथा लिंक मार्ग भर्ती गरये सूर्यभान पट्टी मार्ग के निर्माण में घपला किये जाने की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग

176–श्री गंगा बख्श सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लम्भुआ-अर्जुनपुर गरये मार्ग के कि० मी० 11, 12 तथा लिंक मार्ग भर्ती गरये सूर्यभान पट्टी मार्ग पर प्रारम्भ के कि० मी० में सोलिंग में पीला ईंटा कम मिट्टी बड़ी तथा छोटी गिट्टी, तारकोल लेपन आदि की मात्रा कम है ? यदि हां, तो क्या सम्बन्धित अवर अभियन्ता को निलम्बित करके उसके विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम कुमार वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मौजा गौराकलां, परगना तहसील व जनपद फतेहपुर का चकबन्दी विभाग द्वारा तैयार गलत सर्वे मैप को सही कराकर पुनः चकबन्दी कराये जाने की मांग

177–श्री छत्र पाल वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के छठे गुरुवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या-176 के क्रम में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि सर्वे मैप में चार जगहों में मेल नहीं था ? वे जगहें कौन-कौन सी हैं व उनके नम्बर क्या हैं ? उन्हें कब किसने और कैसे शुद्ध कराया ? क्या सर्वे मैप की शुद्ध प्रति सरकार सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री रमा पति शास्त्री–

ग्राम गौराकलां तहसील व जिला फतेहपुर के सर्वे मैप में 4 जगहों में मेल नहीं था वे क्रमशः गाटा संख्या–115, 116(2), गाटा संख्या–292, 293(3), गाटा सं० 561(4) गाटा संख्या–79, 103 हैं जिनका शुद्धीकरण चकबन्दी अधिकारी ने न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत दिनांक 8-12-87 तथा 14-1-88 को किया । प्रति कार्यालय में उपलब्ध है ।

ग्राम गौराकलां, परगना तहसील व जिला फतेहपुर के निवासियों द्वारा चकबन्दी कर्मचारियों के विरूद्ध की गयी शिकायतों की जांच

178–श्री छत्र पाल वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के छठे गुरुवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या-175 के उत्तर के क्रम में क्या राजस्व मंत्री कृपया उन शिकायतकर्ताओं के नाम बतायेंगे कि जिनके हस्ताक्षर जांच के समय प्राप्त किये गये थे ? शिकायती पत्रों में उल्लिखित मुख्य शिकायतें एवं सही पाई गई शिकायतों का विवरण क्या है ? क्या सही पाई गई शिकायत के आधार पर कोई दण्डात्मक कार्यवाही दिनांक 3-4-92 तक की गयी है ? यदि हां तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह कार्यवाही अब की जायेगी ?

श्री रमा पति शास्त्री–

ग्राम गौराकलां तहसील व जिला फतेहपुर के शिकायती प्रार्थना-पत्रों की जांच के दौरान श्री राजेन्द्र प्रसाद के हस्ताक्षर प्राप्त किये गये थे । इसके अतिरिक्त सर्वश्री दुनकू वंशी, राम प्रसाद, राम सिंह एवं गंगाधर (चकबन्दी कमेटी के सदस्य) आदि के हस्ताक्षर प्राप्त किये गये थे ।

शिकायती पत्रों में मुख्य शिकायत मालियत व रकबे की कमी वेशी कर चकों मे प्रदिष्ट किये जाने की थी । जो शिकायत सही पाई गई थी वह किसी अनियमित कार्य करने की नहीं थी वरन् एक लिपिकीय त्रुटि पाई गई थी, जिसे विधिक प्रक्रियानुसार शुद्ध कर दिया गया है जिसके आधार पर किसी दंडात्मक कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि वह एक लिपिकीय त्रुटि थी ।

ग्राम गौराकलां, परगना, तहसील व जिला फतेहपुर में चकबन्दी विभाग द्वारा नियम विरूद्ध उड़ान चकों के निर्माण का औचित्य व शासन द्वारा कृत कार्यवाही

179–श्री छत्र पाल वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के छठे गुरुवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या-174 के उत्तर के क्रम में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि कुल 80 उड़ान के चकों में से कितने कृषकों के अनुरोध पर बनाये गये हैं व कितने सुविधा के अनुसार ? उन कृषकों के नाम क्या हैं जिन्होंने उड़ान चक बनाने का अनुरोध किया है ? क्या उड़ान चक के विरुद्ध उजुरदारियां हुई थीं और स्थानीय नागरिकों द्वारा शिकायतें की गयी थीं ? यदि हां, तो कितनी और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रमा पति शास्त्री–

ग्राम गौराकलां परगना, तहसील व जिला फतेहपुर के उड़ान चकदारों के चक उनके अनुरोध व सुविधानुसार बनाये गये हैं, इन चकदारों द्वारा प्रस्तावित चकों के विरुद्ध आपत्ति नहीं की गयी और प्रस्तावित चक से सन्तुष्ट हैं । ग्राम अभिलेखों में उनके अनुरोध पर बनाये गये चकों का कोई उल्लेख नहीं है ।

चूंकि इन चकदारों ने कोई आपत्ति या अपील नहीं की है अतः यह प्रतीत होता है कि चक उनके अनुरोध व उनकी सुविधानुसार बनाये गये हैं । वर्तमान समय में उपलब्ध उड़ान चकदारों की अद्यावधिक सूची संलग्न है ।

जी हां । उड़ान चकों के विरुद्ध केवल छः उजुरदारियां हुयीं, जो न्यायाधीन हैं ग्रामवासियों से पांच शिकायती पत्र प्राप्त हुये थे, जिसमें से केवल एक शिकायत सही पायी गयी थी, जिसका निराकरण संदर्भ बनाकर विधिसंगत करा दिया गया है । जांच में शेष अन्य शिकायतें निराधार पायी गईं ।

(देखिये नत्थी 'अ' आगे पृष्ठ 122-123 पर)

जनपद लखनऊ के वी० डी० डी०–3 में कार्यरत श्री पशुपति नाथ सिंह सहायक अभियन्ता की पदोन्नति सम्बन्धी प्रकरण न्यायालयाधीन

180–श्री राम औतार शाक्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या लघुदण्ड को प्रस्तावित करने वाले शा० आदेश दि० 8 जुलाई, 1985 एवं प्रतिकूल प्रविष्टियां वर्ष 1981-82 (तीन माह से कम) को संसूचित करने वाले पत्र दिनांक 13-4-1983 को उसके आधार रहित/औचित्यपूर्ण होने के कारण, क्लेम पेटीशन सं० 439/एफ/4/90 (पशुपति नाथ सिंह बनाम उ० प्र० शासन एवं अन्य) में पारित दि० 11-9-90 के आदेश के द्वारा मा० लोक सेवा अधिकरण–4, लखनऊ ने श्री पशुपति नाथ सिंह, सहा० अभियन्ता जो वी० डी० डी०–3 लखनऊ में कार्यरत हैं, की पदोन्नति/सेलेक्शन ग्रेड की स्वीकृति में उक्त आदेश दि० 8-7-85 एवं दि० 13-4-83 पर विचार करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त दोनों आदेश दि० 8 जुलाई, 1985 एवं दि० 13-4-1983 को लोक अदालत, तृतीय तल जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा संयुक्त सचिव, लो० नि० अनुभाग–6 को सम्बोधित उनके पत्र संख्या 2567/कसपव-पी० एस० टी०/91, दिनांक 7-10-1991 के द्वारा विचारोपरान्त यह पाये जाने पर दिनांक 8-7-1981 एवं दिनांक 13-4-1983 को मुख्य अभियन्ता, रा० मार्ग (सक्षम प्राधिकारी) के पत्र दिनांक 4-1-91 के द्वारा निरस्त किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है । यदि हां, तो मुख्य अभियन्ता, रा० मार्ग (सक्षम प्राधिकारी) से प्राप्त निर्णय 4-1-1991 पश्चात् भी 10 वर्षों से लम्बित प्रकरण को समाप्त न करने का क्या औचित्य है ?

श्री राम कुमार वर्मा–

जी हां, किन्तु आदेश एक पक्षीय है । जिसके क्रम में न्यायालय से चाराजोई की जा रही है ।

प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन है ।

प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ लोक निर्माण सचिव शाखा के कर्मचारियों के विशेष भत्ते के मामले को वेतन विसंगति समिति को संदर्भित किया जाना तथा पदों का निर्धारण और नियुक्ति ।

181–श्री राम पाल वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1991 के प्रथम सोमवार, दिनांक 12-8-1991 के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-12 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतलायेंगे कि प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ के पदनाम परिवर्तन एवं स्टेट्स निर्धारण विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 21-2-92 में वित्त विभाग के नियुक्ति/कार्मिक विभाग के परामर्श से क्या निर्णय लिया गया है ? पदनाम परिवर्तन में क्या विधिक व वित्तीय कठिनाई उत्पन्न हो रही है ? उक्त पत्र के आधार पर सरकार लोक निर्माण सचिव शाखा में किस अधिकारी के समकक्ष/समतुल्य मुख्य प्राविधिक परीक्षक का स्तर निर्धारित करना चाहती है ? क्या तद्नुसार आदेश निर्गत कर दिये गये हैं । यदि नहीं, तो क्यों ? क्या प्रश्नगत पत्र में अनुरोधानुसार कोष्ठ के अधिकारियों को ईरला चेक अनुभाग से वेतन व यात्रा भत्ते के भुगतान की व्यवस्था करायी गयी है ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री राम कुमार वर्मा–

प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ सचिवालय से भिन्न संगठन है, अतः कोष्ठ के अधिकारियों के पदनाम तथा स्टेट्स सचिवालय के अधिकारियों के समकक्ष घोषित करने का कोई औचित्य नहीं है और तद्नुसार वित्त, नियुक्ति/कार्मिक विभाग के परामर्श की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । इसकी सम्प्रति आवश्यकता नहीं पायी गयी ।

जनपद हरदोई की तहसील-सण्डीला के ग्राम सभा शाहपुर चमरहा के ग्राम-गंगा खेड़ा के निवासी श्री सरजू प्रसाद पुत्र श्री जालिम प्रसाद द्वारा कथित अवैध कब्जे के विरुद्ध स्थगनादेश

182–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गंगा खेड़ा, ग्राम सभा शाहपुर चमरहा, तहसील संडीला, जिला हरदोई के निवासी श्री सरजू प्रसाद पुत्र श्री जालिम प्रसाद जो वर्तमान में ग्राम प्रधान भी है, की पशुचर/चरागाह भूमि गाटा संख्या–14 पर उनको अवैधानिक रूप से कब्जा कराया गया है और उनके विरुद्ध धारा 122 बी/ 115 सी के अन्तर्गत रू० 220 जुर्माना किया गया है ? यदि हां, तो क्या बगैर जुर्माना अदा किये तहसील कर्मचारियों/अधिकारियों ने उसी भूमि को श्री सरजू प्रसाद के नाम से पट्टा कर दिया है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्ति/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामपति शास्त्री–

श्री सरजू प्रसाद पुत्र श्री जालिम प्रसाद, वर्तमान ग्राम प्रधान ग्राम सभा शाहपुर चमरहा, तहसील सण्डीला का गाटा संख्या-14 रकबा 0-3-8 बीघा, जो भू अभिलेखों में पशुचर अंकित है, पर अवैधानिक रूप से कब्जा नहीं कराया गया है । श्री सरजू प्रसाद ने उक्त भूमि पर अवैधानिक रूप से कब्जा कर लिया था जिसके विरुद्ध उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122 बी नियम 115सी के अन्तर्गत अपर तहसीलदार सण्डीला के न्यायालय में वाद संख्या 83/158/1990 दायर किया गया । श्री सरजू प्रसाद का कब्जा सिद्ध होने के कारण दिनांक 14-3-90 को रु० 220 की क्षतिपूर्ति एवं रु० 3 निष्पादन व्यय लगाया गया । क्षतिपूर्ति वसूली हेतु 49ग की नोटिस निर्गत होने पर श्री सरजू प्रसाद ने अपर कलेक्टर हरदोई के न्यायालय से इस संदर्भ में स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुरादाबाद की तहसील-सम्भल के ग्राम मझावली (भरतला) में चीनी मिल वीनस शुगर मिल लि० की स्थापना हेतु भूमि क्रय में भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा का उल्लंघन न किया जाना

183–श्री मुन्ना चौहान–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि वीनस शुगर मिल लि० को चीनी मिल ग्राम मझावली (भरतला) तहसील सम्भल, जिला मुरादाबाद में स्थापित करने हेतु भारत सरकार से आशय पत्र सं० 164(90)/90- अमेंडमेंट दिनांक 10-8-90 मिला था ? क्या मिल मालिक द्वारा उ० प्र० जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-154 का उल्लंघन करते हुए ग्राम गंगाधरपुर, तहसील चन्दौसी में लगभग 300 एकड़ भूमि क्रय करके लगभग 50 एकड़ भूमि पर चीनी मिल स्थापित की जा रही है और शेष भूमि पर खेती की जा रही है ? यदि हां, तो क्या ग्राम गंगाधरपुर में वीनस शुगर मिल लि० के लिए अनुसूचित जाति के कृषकों से उ० प्र० जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 157-क के अनुरूप भूमि क्रय से पूर्व जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त की गयी है ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त अनुसूचित जाति के लोगों को इसाई धर्म में परिवर्तन के फर्जी प्रमाण-पत्र प्राप्त किये गये है ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा अनुसूचित जाति के उक्त लोगों के हितों की रक्षा हेतु कोई कार्यवाही की जा रही है? क्या उक्त भूमि क्रय करने में उ० प्र० जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-154 का उल्लंघन होने पर धारा-167 के अन्तर्गत भूमि को राज्य सम्पत्ति घोषित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा पति शास्त्री–

जी हां ।

वीनस शुगर मिल को ग्राम मंझावली, ग्राम अफजलपुर डरौली तथा ग्राम गंगाधरपुर में कुल 300.36 एकड़ भूमि क्रय करने हेतु धारा 154 के अन्तर्गत भूमि क्रय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है । इस भूमि में से ग्राम गंगाधरपुर की 248.11 एकड़ भूमि भी सम्मिलित है जिसमें से मौके पर लगभग सौ, सवा सौ एकड़ भूमि पर चीनी मिल का निर्माण कार्य चल रहा है । लगभग सौ एकड़ भूमि डिस्टलरी तथा पेपर मिल स्थापित करने हेतु खाली पड़ी है तथा लगभग 15.20 एकड़ भूमि पर गन्ने का रिसर्च सेन्टर है जिसमें उन्नतशील किस्म का गन्ना बोया हुआ है । तहसील चन्दौसी में 45 व्यक्तियों से संबंधित 28 दाखिल खारिज के संबंधित मामलों में संबंधित व्यक्तियों को बैनामों के दिनांकों के बाद जिलाधिकारी की अनुमति जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 157-क के अन्तर्गत हुई । प्रश्नगत भूमि को राज्य में निहितन के विषय पर न्यायिक आदेश हो चुके हैं ।

ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है कि अनुसूचित जाति के लोगो ने इसाई धर्म में परिवर्तन के फर्जी प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हों ;

धारा 154 का उल्लंघन नहीं हुआ है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा के सिंचाई निर्माण खण्ड में कार्यरत श्री प्रमोद कुमार चतुर्वेदी द्वारा आवास आवंटन हेतु दिये गये प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही

184–श्री पूरन प्रकाश तथा श्री श्याद अली–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जिला अधिकारी, आगरा द्वारा श्री प्रमोद कुमार चतुर्वेदी जो सिंचाई निर्माण खण्ड, आगरा में कार्यरत हैं के नाम जज कम्पाउण्ड स्थित आगरा में आवास संख्या

द्वितीय/47 वर्ष 1989 में आवंटित किया गया था जिसका कब्जा उस कर्मचारी को अंत तक नहीं मिला ? क्या यह सही है कि उस आवास के उक्त आवंटन को बिना कारण बताए निरस्त कर किन्हीं सेवायोजन कार्यालय में कार्यरत व्यक्ति के नाम आवंटित कर दिया जबकि उनके नाम पहले भी एक अन्य आवास आवंटित है ? क्या सरकार बाद वाले आवंटन को निरस्त कर श्री प्रमोद कुमार चतुर्वेदी के नाम उक्त आवास पुनः आवंटन कर कब्जा दिलाने की कार्यवाही करेगी ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

प्रश्नगत आवास डा० बी० बी० माहेश्वरी, रीडर मेडसिन विभाग, एस० सन० मेडिकल कालेज, आगरा को आवंटित था । यह सूचना प्राप्त होने पर कि डा० माहेश्वरी द्वारा अपना आवास बना लिया है, प्रश्नगत आवास श्री प्रमोद कुमार चतुर्वेदी को आवंटित कर दिया गया किन्तु डा० माहेश्वरी द्वारा 21 माह तक आवास रिक्त न किये जाने के कारण आवंटन आदेश स्वतः निरस्त हो गया । तत्पश्चात् डा० माहेश्वरी द्वारा आवास रिक्त किये जाने पर सेवायोजन कार्यालय के लिपिक श्री उमेश चन्द्र उपाध्याय द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र में वर्णित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये विशेष परिस्थितियों में उक्त आवास को उसके पक्ष में आवंटित कर दिया गया ।

जी नहीं । श्री प्रमोद कुमार चतुर्वेदी द्वारा दिनांक 28-7-92 को निर्धारित प्रारूप पर आवास आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र दिया है जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

(12 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

(श्री देवेन्द्रपाल सिंह, डा० बृजभान यादव, श्री महक सिंह, श्रीमती शारदा देवी, श्री पूरन प्रकाश आदि सदस्य नारे लगाते हुए सदन के फ्लोर पर आ गये)

(घोर व्यवधान)

[x x x]

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

नियम-300 के अन्तर्गत आज सात सूचनाएं प्राप्त हुईं । इन सब सूचनाओं को मैं अस्वीकार करता हूं ।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 29-10-1992 को नियम -301 के अन्तर्गत कुल 25 सूचनाएं प्राप्त हुईं । जिनमें से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए सात सूचनाएं श्री किशोरी लाल यादव, श्री ओम प्रकाश, श्री दिनेश चन्द्र सोनकर, श्री सुरेश प्रताप गांधी, श्री स्वामी नाथ यादव, श्री हरिवंश सहाय, श्री गया चरन दिनकर की सूचनाएं स्वीकार की गई ।

नोट:–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

जनपद जौनपुर की मडियाहूं तहसील में स्थित विद्युत सब-स्टेशन के फीडरों के क्रास आर्म्स तथा तार बदलवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री किशोरी लाल यादव–

[मान्यवर, जनपद-जौनपुर के तहसील मडियाहूं में स्थित विद्युत सब-स्टेशन जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में था, विद्युत विभाग द्वारा मरम्मत कराया गया । परन्तु इससे संबंधित फीडर राम नगर, मडियाहूं, गहलाई और नवड़िया फीडरों पर लगे क्रास आर्म्स लकड़ी के हैं, जो आये दिन टूटे रहते हैं तथा तार भी जगह-जगह टूट गये हैं जिसको बदलना जरूरी है, ऐसी परिस्थिति में आपसे अनुरोध है कि उक्त फीडरों के क्रास आर्म्स तथा तार बदलने का निर्देश दें जिससे कि आये दिन होने वाला फाल्ट न हो तथा किसानों को राहत मिल सके ।]

भूगर्भ जल विभाग के खण्ड-2 लखनऊ के वर्ष 1983-84 की कैशबुकों में गबन होने की जांच करवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम प्रकाश (फतेहपुर)—

[महोदय, ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत भूगर्भ जल विभाग के खण्ड-2 लखनऊ के जनवरी, 1983 से नवम्बर, 1984 तक की कैशबुकों में गबन होने के कारण तत्कालीन निदेशक के द्वारा एक कमेटी बनाकर कैश बुकें वर्ष 1987 में सील कर दी गई थीं । उन कैशबुकों को जांच कमेटी द्वारा दिनांक 18-5-87 को एक पन्ना गिन कर तथा उस पर ओवर राइटिंग की पंक्तियों को गिनकर उन अधिकारियों के द्वारा उन कैशबुकों को थाना-अलीगंज लखनऊ के एक सब-इन्सपेक्टर को दिनांक 20-5-87 को हस्तगत करा दी गई थी । जिसकी प्राप्ति भी उन संबंधित अधिकारियों के पास उपलब्ध है। पुनः उन कैशबुकों को निदेशक भूगर्भ जल विभाग द्वारा थाने से मंगाने पर, अपने आदेशों के तहत दिनांक 18 जनवरी, 1990 को अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल द्वितीय इलाहाबाद को हस्तगत करा दी गई तथा वहां से उसी सप्ताह उन कैशबुकों को अपने कार्यालय में मंगवा लिया गया । दिनांक 20-5-87 को जो गबन से संबंधित कैशबुक थी उसमें बाद में दिनांक 17-1-90 को प्राप्त कैशबुकों में गबन से संबंधित बाउचरों की इन्ट्री संबंधित अधिकारी द्वारा काट दी गई है तथा गबन की राशि के बदले अस्थाई समायोजित उच्चन्त विभिन्न कर्मचारियों के नाम खोल दिये गये हैं जिससे गबन की पुष्टि न हो सके । जबकि खण्ड- 2, फैजाबाद के पुराने वर्ष 1983-84 के वाउचर के सीरियल नंबर वहीं है जो पुराने थे । उसमें भी वर्तमान में पूर्व अधि० अभि० को निलम्बित कराकर बाउचरों तथा कैशबुक में की गई हेराफेरी के कारण ब्राट फारवर्ड में चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है । अतः सरकार से मैं मांग करता हूं ऐसे अधिकारी को निलम्बित करने के उपरान्त उपरोक्त की जांच वरिष्ठ लेखा अधिकारी से करायी जाय तथा पूर्व जांच कमेटी से उन कैशबुकों का भी सत्यापन कराने के पश्चात् पूर्ण रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत की जाय ।]

जनपद इलाहाबाद के चायल क्षेत्रान्तर्गत बालिकाओं हेतु जूनियर हाई स्कूल तथा इण्टर कालेज खुलवाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

[मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 301 के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय को उठाना चाहता हूं । इलाहाबाद जनपद के निर्वाचन क्षेत्र चायल के

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अन्तर्गत लड़कियों के शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने हेतु लड़कियों का एक भी जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल एवं इण्टर कालेज न होने से लड़कियों का शिक्षा स्तर काफी नीचे है जिससे क्षेत्रीय नागरिकों में व्यापक असन्तोष व्याप्त है ।

अतः उक्त क्षेत्र में लड़कियों के शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने हेतु लड़कियों के लिये उपरोक्त स्कूल एवं कालेजों का खुलना अति आवश्यक है ।

कृपया आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।]

जनपद अलीगढ़ के सिकन्दरामऊ में बिजली की क्षतिग्रस्त लाइनों से हो रही जन धन की हानि के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

[मान्यवर, सिकन्दरामऊ क्षेत्र में बिजली की अधिकांश लाइने क्षतिग्रस्त हैं इन लाइनों में कंडक्टर वायर के अभाव में लोहे के तार या अर्थ वायर डालकर काम चलाया जा रहा है, यह तार प्रायः टूटते रहते हैं इन टूटे हुए तारों से अनेक दुर्घटनायें हुई हैं । इस वर्ष लगभग 10 व्यक्तियों की जाने गईं और अनेक पशु मरे कई स्थानों पर तार टूटकर गिरने से आग भी लगी परन्तु विद्युत कंडक्टर (तार) न मिल पाने के कारण इन लाइनों में गत वर्ष से सुधार नहीं हो पाया है । कुछ लाइनें खम्भें टूट जाने, तार टूट जाने, कट जाने से खराब पड़ी हैं । इन बंद लाइनों पर भी ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के नाम बिजली के बिल आ रहे हैं और इन्हें बिना बिजली का उपयोग किए बिल अदायगी करनी पड़ रही है । सिकन्दामऊ क्षेत्र की अनेक विद्युत लाइनें खतरनाक स्थिति में होने से निरन्तर जन धन की क्षति होती रहती है । विद्युत विभाग के स्थानीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बार-बार मांग किये जाने पर भी कन्डक्टर वायर खम्भे व अन्य आवश्यक सामान न दिये जाने के कारण यह लाइनें ठीक नहीं हो पा रही हैं जिससे बिजली की आपूर्ति अधिकांशतः बंद रहती हैं । जिसके कारण उपभोक्ताओं को कठिनाई का सामना करना पड़ता है । दुर्घटनायें होने, विद्युत आपूर्ति बंद रहने से स्थानीय जनता में क्षोभ व आक्रोश व्याप्त है ।

उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कर आवश्यक कार्यदाही शीघ्र किए जाने की मांग करता हूं ।]

जनपद देवरियान्तर्गत तिलक किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कम्हरिया पड़री बाजार में एक ही व्यक्ति के दो स्थानों पर सेवारत रहने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री स्वामी नाथ यादव–

[महोदय, जनपद देवरिया अन्तर्गत तिलक किसान उ० मा० विद्यालय कम्हरिया, पड़री बाजार में श्री शमसुद्दीन सिद्दीकी प्रधानाध्यापक के पद पर 1-3-82 से कार्यरत हैं तथा श्री शमसुद्दीन सिद्दीकी ही जनता इण्टर कालेज पुरैनी परसिया में स्नातक वेतन क्रम में कार्यरत हैं ।

5 मई, 1980 को जूनियर हाई स्कूल स्थायी रुप से मान्यता प्राप्त कर लिया तब 1982 में श्री शमसुद्दीन सिद्दीकी प्रधानाध्यापक के पद पर अनुमोदित हो गये ।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जुलाई, 1990 में यह विद्यालय हाई स्कूल वित्तविहीन मान्यता प्राप्त कर लिया । स्थायी रूप से यह विद्यालय जूनियर स्तर पर मान्यता प्राप्त करने के पश्चात् अनुदान प्राप्त नहीं था ।

ऐसी स्थिति में श्री शमसुद्दीन सिद्दीकी कम्हरिया पड़री बाजार में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत रहते हुए जनता इण्टर कालेज पुरैनी परसिया में भी कार्यरत रहते हुए वेतन प्राप्त करते हैं ।

इससे कम्हरिया में कार्यरत अध्यापकों में काफी असन्तोष व्याप्त हो गया है । क्योंकि अध्यापक बिना वेतन के सेवा कर रहे हैं तथा प्रधानाध्यापक दो स्थानों पर लाभ प्राप्त कर रहे हैं ।

इसलिए सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद देवरिया में लोगों के मस्तिष्क ज्वर से मरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिवंश सहाय–

[महोदय, देवरिया जनपद में इन्सेफेलाइटिस नामक बीमारी चारों तरफ फैली है । अभी तक 300 से ऊपर लोग मर चुके हैं । दवाओं का प्रबंध नहीं है । देहाती क्षेत्रों में डाक्टर नहीं हैं जो पोस्टेड हैं वे भी मौजूद नहीं हैं जिससे रोगियों का इलाज नहीं हो पा रहा है । हास्पिटलों में दवा का अभाव है ।

सदर अस्पताल देवरिया का भी हाल बहुत खराब है वहां गंदगी का साम्राज्य है । एक्सरे में फिल्म नहीं है । सी० एम० ओ० बराबर लापता रहते हैं तथा दफ्तर में कहा जाता है कि सरकारी काम पर हैं । पूरे जनपद में उक्त बीमारी हेतु दवा का प्रबंध नहीं है जो मौजूद है उसे भी बेच दिया जाता है ।

अस्तु, आज सदन के संज्ञान में लाकर मा० स्वास्थ्य मंत्री से इस ओर कार्यवाही करने की मांग की जाती है ।]

सहायक प्रबन्धक उ० प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड बांदा द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गया चरन दिनकर–

[मान्यवर, अवगत कराना है कि उपरोक्त विभाग में विभिन्न योजनाएं अनुसूचित जाति के आर्थिक विकास हेतु संचालित हैं । जनपद बांदा में अनुसूचित जाति के परिवारों को स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन प्रक्रिया के पश्चात् ऋण पत्रावली स्वीकृत हेतु तैयार करने का कार्य सहायक प्रबन्धक द्वारा किया जाता है । श्री भिलवारे द्वारा बांदा शहर की अधिकांश ऋण पत्रावली बिना चयन के ही बैंकों में भेजी गई है, तथा जिनका चयन है उनसे 500 रू० प्रति पत्रावली की दर से शुल्क मांग कर बैंकों में भेजने की सुनियोजित ढंग से निर्भयता पूर्वक कार्य किया जा रहा है योजना से लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों को लगातार दौड़ाया जा रहा है, चयन समिति प्रक्रिया और शासनादेश को ताख में रखकर गत वर्ष निजी भूमि पर दुकान निर्माण हेतु प्रति दुकान की दर से निर्धारित 10,000 रु० एवं सामान्य भूमि एवं स्थान पर 92-93 में श्री भिलवारे द्वारा रु० 12,000 की दर से सीधे लाभार्थियों को चेक उपलब्ध कराया गया है । जिससे प्रतीत होता है कि रिश्वत राशि ली गई है । बांदा जनपद बाढ़ की चपेट में तबाह हो चुका है तथा बिना पैसे से ऋण पत्रावलियों के स्वीकृत न होने से विकट स्थिति उत्पन्न

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

हो गयी, उक्त अधिकारी द्वारा बिना पैसे के कोई कार्य नहीं किया जा रहा है एवं लाभार्थियों से अभद्रता का व्यवहार किया जा रहा है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अविलम्ब उक्त भ्रष्ट सहायक प्रबन्धक के विरुद्ध जांच सम्पादित करने व सक्षम कार्यवाही करने के सरकार को आदेश देने का कष्ट करें ।]

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, उक्त सातों सूचनाएं शासन को नियमानुसार भेज दी जायं ।

(घोर व्यवधान)

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1992

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एंवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1992 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्व विद्यालय (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1992

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1992 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) (तृतीय) अध्यादेश, 1992

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) (तृतीय) अध्यादेश, 1992 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1992

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1992 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 199-

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1992 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) (तृतीय) अध्यादेश, 1992

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) (तृतीय) अध्यादेश, 1992 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अभिवक्ताओं का आबन्धन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1992

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अभिवक्ताओं का आबन्धन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1992 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1992

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1992 को सदन के पटल पर रखता हूं।

(घोर व्यवधान)

(माननीय सदस्य बराबर नारे लगाते रहे। इसी मध्य श्री स्वामी नाथ यादव, श्री अवध पाल सिंह, श्री श्याद अली, श्री राम खिलाड़ी आदि सदस्य रिपोर्टर्स टेबिल से चढ़ते हुए कार्यवृत्त लेखक टेबिल पर चढ़कर नारे लगाने लगे। सदन में लगातार घोर व्यवधान की स्थिति बनी रही)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1992

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1992 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1992

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1992 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) अध्यादेश, 1992

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) अध्यादेश, 1992 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1992

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1992 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1992

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1992 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) अध्यादेश, 1992

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) अध्यादेश, 1992 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1992

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1992 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (चौदहवां संशोधन) नियमावली, 1991

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से पंचायती राज अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 5944/33-1-91-13-जी-85, दिनांक 27 दिसम्बर, 1991 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश पंचायत राज (चौदहवां) (संशोधन) नियमावली, 1991 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 110 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

(घोर व्यवधान)

(श्रीमती शारदा देवी, अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ने का प्रयास करने लगीं। उन्हें महिला सुरक्षा सहायक द्वारा रोकने पर उन दोनों में धक्का मुक्की हुई) (माननीय सदस्य निरन्तर नारे लगाते रहे)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (ग्यारहवां संशोधन) विनियम, 1992

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कार्मिक अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 13/19/91-का-1-1992, दिनांक 25 मार्च, 1992 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (ग्यारहवां संशोधन) विनियम, 1992 को विलम्ब के कारणों सहित संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (5) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (बारहवां संशोधन) विनियम, 1992

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कार्मिक अनुभाग-1 की अधिसूचना 13/2/90-का -1-1992, दिनांक 22 जुलाई, 1992 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (बारहवां संशोधन) विनियम, 1992 को संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (5) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन संख्या-1 (वाणिज्यिक)

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन संख्या-1 (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश सरकार को "भारत का संविधान", के अनुच्छेद 151(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

(घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य श्री हृदय नारायण दीक्षित, श्री हरिवंश सहाय, श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी, श्री सुधीर, आदि सदस्य सदन के फ्लोर पर बैठ गये तथा श्री श्याद अली, श्री अब्दुल ए० सलाम, श्री राम औतार शाक्य, श्री झाऊ लाल, श्री राम खिलाड़ी, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद आदि सदस्य कार्यवृत्त लेखक के डायस पर चढ़कर नारे लगाते रहे)

संविधान (छिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1992

सचिव विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (छिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1992 द्वारा "भारत का संविधान" में किये जाने के लिये प्रस्तावित संशोधन जो संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (क) के अन्तर्गत आता है, के अनुसमर्थन के संबंध में राज्य सभा सचिवालय से प्राप्त पत्र को, उक्त विधेयक एवं संसद के तद्विषयक वाद विवाद की प्रतियों सहित, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 182(1) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 1992

सचिव विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 197 के खण्ड (1) के उपखण्ड (ख) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 150 के उप नियम (1) के अन्तर्गत मैं घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 1992 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 28 फरवरी, 1992 के उपवेशन में पारित हुआ था और जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ दिनांक 29 फरवरी, 1992 को पारेषित किया गया था तथा जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 4 मार्च, 1992 की बैठक में सदन की मेज पर रखा गया था, के तीन मास से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उक्त विधेयक अभी तक विधान सभा सचिवालय में वापस प्राप्त नहीं हुआ है।

(घोर व्यवधान)

डायस पर खड़े सदस्यों ने [x x x]

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेश से कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1992

सचिव विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1992 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 7 मई, 1992 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 8 मई, 1992 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 मई, 1992 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1992 का उत्तर प्रदेश का पन्द्रहवां अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1992

सचिव, विधान सभा–

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1992 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 11 मई, 1992 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 13 मई, 1992 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 मई, 1992 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1992 का उत्तर प्रदेश का सोलहवां अधिनियम बन गया।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1992

सचिव, विधान सभा–

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1992 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 24 अप्रैल, 1992 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 28 अप्रैल, 1990 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 24 जुलाई, 1992 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1992 का उत्तर प्रदेश का सत्रहवां अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश विधि (हरियाणा से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) विधेयक, 1989

सचिव, विधान सभा–

उत्तर प्रदेश विधि (हरियाणा से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) विधेयक, 1989 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 29 सितम्बर, 1989 के उपवेशन में पारित किया था। तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 4 अक्टूबर, 1989 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 10 अगस्त, 1992 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1992 का उत्तर प्रदेश का अट्ठारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश भवन और भूमि उपयोग विनियमन (नाभिकीय प्रतिष्ठापन क्षेत्र) विधेयक, 1988

सचिव, विधान सभा–

उत्तर प्रदेश भवन और भूमि उपयोग विनियमन (नाभिकीय प्रतिष्ठापन क्षेत्र) विधेयक, 1988 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 6 अप्रैल, 1988 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 26 अप्रैल, 1988 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति

महोदय की अनुमति दिनांक 31 जुलाई, 1992 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1992 का उत्तर प्रदेश का उन्नीसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन †

श्री उपाध्यक्ष–

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 27 अक्टूबर 1992 की बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

1–विधान सभा के सत्र का प्रथम उपवेशन राष्ट्रीय गीत "वन्दे मातरम्" से प्रारम्भ किया जाये एवं अंतिम उपवेशन का समापन राष्ट्रगान "जन-गण-मन" से किया जाय । तद्नुसार यह मदें विधान सभा की कार्य सूची में भी सम्मिलित की जायं ।

2–दिनांक 28 अक्टूबर, 1992 को प्रश्नकाल नहीं होगा परन्तु कार्यसूची में तारांकित और अतारांकित प्रश्न छापे जायं तथा उस दिन निधन के निर्देश लिये जायें ।

3–सदन के दिनांक 28 अक्टूबर, 1992 से 6 नवम्बर, 1992 तक के कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाय:–

अक्टूबर, 1992	
28 बुधवार	(क) शुभारम्भ "वन्दे मातरम्" । (ख) निधन के निर्देश ।
29 गुरुवार	(1) औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, नियमों, अधिसूचनाओं आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरः स्थापन आदि । (2) असरकारी दिवस (आधा दिन 30 अक्टूबर, 1992 तथा आधा दिन 6 नवम्बर, 1992 के स्थान पर) । 5.00 बजे अपराह्न (3) वित्तीय वर्ष 1992-93 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण ।
30 शुक्रवार	(1) वित्तीय वर्ष 1992-93 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा, विचार एवं मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरः स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण (आधा दिन) ।

† छापा नहीं गया ।

(2) विधायी कार्य:-

(क) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण-आधा दिन ।

31 शनिवार	
<u>नवम्बर, 1992</u>	बैठक नहीं होगी ।
1 रविवार	

2 सोमवार	
3 मंगलवार	
4 बुधवार	विधायी कार्य ।
5 गुरुवार	
6 शुक्रवार	

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है ।''

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश के संबंध में जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश नर्सेज एण्ड मिडवाइव्ज कौंसिल में कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश नर्सेज एण्ड मिडवाइव्ज कौंसिल में कार्य करने के लिये यू० पी० नर्सेज एण्ड मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्ज, आगजिलियरी नर्स मिडवाइव्ज एण्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1934 की धारा-4 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) के उपखण्ड (11) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों, जिनमें एक महिला सदस्य होगी, का निर्वाचन करें ।''

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश नर्सेज एण्ड मिडवाइव्ज, कौंसिल में कार्य करने के लिये यू० पी० नर्सेज एण्ड मिडवाइव्ज, असिस्टेंट

मिडवाइब्ज आगजिलियरी नर्स मिडवाइव्ज एण्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1934 की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) के उपखण्ड (11) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों, जिनमें एक महिला सदस्य होगी का निर्वाचन करे ।''

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए विधान सभा के चार सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 की धारा-4 की उपधारा (1) के खण्ड (3) के अनुसार विधान सभा के चार सदस्यों को निर्वाचित करे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दे, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (3) के अनुसार विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियय, 1958 की धारा-10 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 †

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

---

† दि० 3-11-92 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री -कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक 1992 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरः स्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, 1992 †

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरः स्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरः स्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा आयोग और चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 †

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधयेक, 1992 को पुरः स्थापित करता हूं ।

---

† दि० 3-11-92 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 29 अक्टूबर, 1992 को नियम-311 के अन्तर्गत प्राप्त सभी सूचनाओं को तथा नियम-51 में प्राप्त कतिपय सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है । इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल-34 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से शलाका के आधार पर 10 सूचनाएं चयनित की गई हैं :–

(कुंवर रेवती रमण सिंह आदि, श्री मुन्ना चौहान, श्री प्रमोद तिवारी आदि, श्री भारत सिंह रावत, श्री लाल जी वर्मा आदि, श्री श्रीराम, श्री दिनेश चन्द्र सोनकर, श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा, श्री सोमांश प्रकाश आदि, श्री यदुनाथ सिंह आदि के नाम पुकारे गए किन्तु कोई सदस्य अपने आसन पर खड़ा नहीं हुआ)

श्री अध्यक्ष–

मैं सभी सूचनाएं अस्वीकार करता हूं ।

जनपद मऊ के थाना मधुवन के अन्तर्गत हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में हुए शहीदों की यादगार में शहीद स्मारक का निर्माण किए जाने के संबंध में संकल्प पर चर्चा (क्रमागत) †

(श्री अमरेश चन्द्र पाण्डे का नाम पुकारे जाने पर परन्तु घोर व्यवधान के कारण माननीय सदस्य द्वारा चर्चा प्रारम्भ नहीं की गई ।)

श्री अध्यक्ष–

व्यवधान है, अतः इस पर चर्चा जारी रहेगी ।

उत्तर प्रदेश की सरकारी/अर्द्ध सरकारी एवं सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं की नौकरियों में आरक्षण कोटा न पूरा करना संज्ञेय अपराध माने जाने के संबंध में संकल्प पर चर्चा (क्रमागत) †

(श्री बी० आर० वर्मा का नाम पुकारे जाने के बावजूद घोर व्यवधान के कारण माननीय सदस्य द्वारा चर्चा प्रारम्भ नहीं की गई ।)

श्री अध्यक्ष–

व्यवधान है, अतः इस पर चर्चा जारी रहेगी ।

अन्य असरकारी संकल्प

(श्री अमरेश चन्द्र पांडे, श्री भारत सिंह रावत, श्री श्याम नारायण श्री सुरेश प्रताप गांधी एवं श्री श्याम देव राय चौधरी का नाम पुकारे जाने एवं घोर व्यवधान के कारण उनके द्वारा अपने संकल्प प्रस्तुत न किए जाने पर ।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों ने अपना संकल्प प्रस्तुत नहीं किया । अतः आगे बढ़ते हैं ।

(शोर)

---

† दिनांक 13 मई, 1992 की कार्यवाही से

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही 5.00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं ।

(12 बजकर 42 मिनट पर सदन की कार्यवाही 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी । 5 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

(श्री नरेश अग्रवाल, श्री स्वामी नाथ यादव तथा विरोध पक्ष के कुछ अन्य माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 1992-93 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण †

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष 1992-93 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

प्रतियां वितरित कर दी जायं ।

(प्रतियां वितरित की गयीं ।)

श्री नरेश अग्रवाल–

[x x x]

(घोर व्यवधान)

श्री अखिलेश

[x x x] (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप लोग बैठें । यह कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

(व्यवधान)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 29-10-1992 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से पहली सूचना श्री बलराम यादव की वक्तव्य के लिए, दूसरी सूचना श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय की वक्तव्य के लिए, तीसरी सूचना श्री हरिवंश सहाय की केवल वक्तव्य के लिए, चौथी सूचना श्री स्वामी नाथ यादव की केवल वक्तव्य के लिए और पांचवीं श्री दिनेश चन्द्र सोनकर की केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार की गयी तथा छठीं सूचना श्री श्याम बिहारी सिंह की और सातवीं सूचना श्री मातवर सिंह कण्डारी की है, इन सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं और शेष सूचनाएं अस्वीकार करता हूं ।

(घोर व्यवधान)

---

† छापा नहीं गया ।

नोट:–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 29 अक्टूबर, 1992 की बैठक में सदन के वर्तमान सत्र के उपवेशनों के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

1–विधान सभा के इस सत्र का अगला उपवेशन अब दिनांक 24 नवम्बर, 1992 को किया जाये जिस दिन दिनांक 30 अक्टूबर, 1992 को सम्पन्न होने वाले समस्त कार्यों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992, उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक,, 1992 तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को विचार एवं पारण हेतु लिया जाये । इसके अतिरिक्त संविधान (छिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1992 के अनुसमर्थन का संकल्प भी दिनांक 24 नवम्बर, 1992 को ले लिया जाये ।

2–सदन के दिनांक 30 अक्टूबर, 1992 से 24 नवम्बर, 1992 तक के उपवेशनों के तिथिवार कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाये :–

अक्टूबर, 1992	
30 शुक्रवार 31 शनिवार	बैठक नहीं होगी ।
नवम्बर, 1992	
1 रविवार से 23 सोमवार	बैठक नहीं होगी ।
24 मंगलवार	1–वित्तीय वर्ष, 1992-93 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा, विचार एवं मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरः स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ... आधा दिन 2–विधायी कार्य– (क) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण ... – आधा घंटा (ख) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक 1992 पर विचार एवं उसका पारण ... – आधा घंटा (ग) उत्तर प्रदेश लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार एवं उसका पारण ... – आधा घंटा (घ) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन), विधेयक 1992 पर विचार एवं उसका पारण – ... आधा घंटा

(ङ) निम्नलिखित संकल्प का न्याय तथा विधायी मंत्री द्वारा प्रस्तुतीकरण :–

"यह सदन संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (छिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1992 द्वारा "भारत का संविधान" में प्रस्तावित संशोधन का, जो संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (क) के अन्तर्गत आता है, अनुसमर्थन करता हैं ।"

25 बुधवार
26 गुरुवार | विधायी कार्य ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, सहमत है ।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश के संबंध में जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

अब हम उठते हैं 24 नवम्बर, 1992 को 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 5 मिनट पर मंगलवार 24 नवम्बर, 1992 दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।

[redacted],
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
29 अक्टूबर, 1992

नत्थी 'क'

(देखिये ता० प्र० सं० 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 6 पर)

प्रतिलिपि

कृष्ण किंकर सिंह,

ओम प्रकाश,

शिवपाल सिंह,

बिन्दु लाल ।

दिनांक 8 मई, 1992

प्रिय महोदय,

मुझे आपको अवगत कराना है कि आपके अधीनस्थ राजकीय निर्माण निगम में सहायक प्रबन्धक (कार्मिक) के पद पर एक श्री हुमायूं नदीम कार्यरत हैं जो आदतन भ्रष्ट प्रबन्धक हैं उनके विरुद्ध इसी सत्र में चौथे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न सं० 78 तथा पांचवे गुरुवार में अताराकिंत प्रश्न सं० 180 में भारी शिकायतें की गयीं जिससे सरकार ने स्वीकार किया है और इससे पूर्व भी उनके द्वारा पद का दुरुपयोग जातीय आधार पर कार्य करने तथा अन्य भ्रष्टाचार के मामले शिकायतों के आधार पर लम्बित हैं फिर भी उनको नहीं हटाया जा रहा है इससे शासन की छवि धूमिल हो रही है ।

मैं चाहता हूं कि इस सहायक प्रबन्धक को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करके जबरन सेवा निवृत्त किये जाने जैसी कार्यवाही की जाय ।

भवदीय

ह०/-

कृष्ण किंकर सिंह,

ओम प्रकाश,

शिवपाल सिंह,

बिन्दु लाल ।

डा० सरजीत सिंह डंग जी,

मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण विभाग ।

नत्थी 'ख'

(देखिये ता० प्र० सं० 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 6 पर)

क्र० सं०	क्षेत्रफल	जनसंख्या
1 हरिद्वार	1994 वर्ग कि० मी०	11,21,000
2 गाजियाबाद	2594 वर्ग कि० मी०	27,55,000
3 फिरोजाबाद	2362 वर्ग कि० मी०	15,32,000
4 कानपुर देहात	5137 वर्ग कि० मी०	21,37,000
5 कानपुर नगर	1040 वर्ग कि० मी०	24,93,000
6 सिद्धार्थनगर	2944 वर्ग कि० मी०	17,07,000
7 महराजगंज	2948 वर्ग कि० मी०	16,78,000
8 मऊ	1727 वर्ग कि० मी०	14,19,000
9 सोनभद्र	6358 वर्ग कि० मी०	10,69,980

नत्थी 'ग'

(देखिये ता० प्र० सं० 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 10 पर)

दिनांक 15 जुलाई, 1991 एवं जून, 15. 1992 के मूल्यों में अन्तर तथा वृद्धि प्रति किलोग्राम

क्र०सं०	नाम वस्तु	15 जुलाई, 1991 रु० प्रति कि० ग्रा०	15 जून, 1992 रु० प्रति कि० ग्रा०	अन्तर रु० प्रति कि० ग्रा०	प्रतिशत वृद्धि
1	गेहूं	3-10	3-60	0.50	16.12
2	आटा	3-40	4-15	0.75	22.05
3	चना	7-95	7-30	0.65	8.17
4	चावल	4-55	5-30	0.75	16.48
5	धान	2-60	3-10	0.50	19.23
6	सरसों	9-75	9-10	0.65	6.66
7	सरसों का तेल	28-20	26-90	1.30	4.60
8	मूंगफली का तेल	40-50	46-50	6.00	14.81
9	वनस्पति घी	39-00	38-00	1.00	2.56
10	अरहर	10-75	9-10	1.65	15.34
11	अरहर दाल	15-50	14-30	1.20	7.74
12	उरद दाल	11.-60	11-90	0.30	2.58
13	खाण्डसारी	8-50	8-10	0.40	4.70
14	चीनी	9-55	9-20	0.35	3.66
15	गुड़	6-10	4-90	1.20	19.67

नत्थी 'घ'

(देखिये ता० प्र० सं० 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 12 पर)

माननीय श्री बनवारी लाल दोहरे, सदस्य विधान सभा द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न सं०-16 के संबंध में ।

	पैतृक विभाग	निगम में प्रथम योगदान की तिथि	पदनाम	संविलियन आदेश
1-श्री रामनाथ मेहरोत्रा	सिंचाई विभाग, अधिशासी अभियन्ता	18-10-82	परियोजना प्रबन्धक	23-8-89
2-श्री अविनाश चन्द्र	जल निगम, अधिशासी अभियन्ता	5-8-79	परियोजना प्रबन्धक	18-4-88
3-श्री रामशंकर द्विवेदी	भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।	16-10-80	लेखाधिकारी	4-5-89
4-श्री एस० आर० त्रिपाठी	उद्योग विभाग विधान भवन, प्रवर वर्ग	10-9-76	सहा० लेखाधिकारी	15-3-86
5-श्री आर० पी० खरे	सहकारी समिति एवं पंचायत लेखा परीक्षक संगठन विभाग, लखनऊ ।	3-2-79	सहा० प्रबन्धक (विधि)	6-9-84
6-श्री मनीकान्त जैन	उ० प्र० खाद्य एवं रसद आपूर्ति विभाग	1-4-79	लेखाकार	20-4-88
7-श्री कौशल किशोर	गन्ना आयुक्त कार्यालय, उ० प्र०, लखनऊ ।	4-10-80	अवर अभियन्ता वर्तमान में सहायक स्थानिक अभियन्ता	3-11-82
8-श्री अजय पाल त्यागी	उ० प्र० सहकारी विधायन एवं शीतगृह लि० सहायक ।	12-8-83	विधि सहायक	31-8-84

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

देखिये ता० प्र० सं० 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 13 पर

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 की धारा 3/7 के अन्तर्गत किये गये प्रवर्तन कार्य का विवरण

माह का नाम	मारे गये छापों की संख्या	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये गये मामलों की संख्या	जब्त माल का मूल्य
1	2	3	4	5
अप्रैल, 1992	1199	43	34	रुपये 72,28,493.00
मई, 1992	1188	68	70	रुपये 68,75,656.00
जून, 1992	633	19	26	रुपये 10,82,882.00

नत्थी 'च'

(देखिये ता० प्र० सं० 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 22 पर)

वाद सं० 513 अन्तर्गत धारा 122 बी०
रिपोर्ट बनाम निजामुद्दीन
ग्राम वरही नेवादा

आदेश

स्थल पर ब्यान लेखपाल, अतिचारी निजामुद्दीन सुत दीन मुहम्मद निवासी देह का ब्यान लिया गया। स्थल की जांच की गई। अतिक्रमित भूमि नं० 434/1143मि०/-04 ग्राम वरही नेवादा कागजात में चक नाली दर्ज होकर सार्वजनिक उपयोग की सम्पत्ति है। इस पर अतिचारी ने मकान बनाकर अतिचार कर रखा है। नाली की उपयोगिता समाप्त हो गई है। अतिचारी को बेदखल कर उसका मकान गिराने से वह आवास विहीन हो जायेगा। जो वर्तमान समय में उचित नहीं प्रतीत होता है। इस दृष्टि से मेरे मतानुसार उससे उसी के कथनानुसार बाजार दर पर 26000 उसका मूल्यांकन प्राप्त कर भूमि का प्रबन्ध उसके साथ कर दिया जाना अधिक उचित प्रतीत होता है। अतः आदेश दिया गया कि अतिचारी से अतिक्रमित भूमि का मूल्यांकन 26000 (छब्बीस हजार रुपया), क्षतिपूर्ति/मूल्यांकन प्राप्त कर ग्राम फण्ड में जमा कर भूमि का प्रबन्ध उसी के साथ किया जाना माना जाय। प्रपत्र 49 ग वास्ते 26000 तथा निष्पादन व्यय 5 रु० जारी हो। पत्रावली निक्षेप की जाय।

ह०/-

तहसीलदार/सहायक कलेक्टर

वाराणसी 12-2-92

वाद सं० 516 अन्तर्गत धारा 122 बी०
रिपोर्ट बनाम निजामुद्दीन
ग्राम वरही नेवादा

आदेश

स्थल पर बयान लेखपाल, व अतिचारी लिया गया। स्थानीय जांच भी की गयी। भू०नं० $\frac{440}{07}$ ग्राम बरही नेवादा खाद के गड्ढे के रूप में आरक्षित भूमि है तथा सार्वजनिक उपयोग की सम्पत्ति है इस पर अतिचारी श्री निजामुद्दीन पुत्र दीन मोहम्मद नि० देह ने अतिचार कर पेड़ लगा रखा है इस अतिचार के आधार पर इन्हें कोई सुविधा दिया जाना विधि द्वारा सम्भव नहीं है। इस स्थिति में अतिचारी निजामुद्दीन पुत्र दीन मोहम्मद नि० देह को तत्काल प्रभाव से बेदखल कर भूमि मय पेड़ ग्राम सभा में निहित की जाती है पेड़ों की बी०पी०एस० आकार पत्र 1 में दर्ज किया जाय। क्षति पूर्ति के रूप में अतिचारी निजामुद्दीन पुत्र दीन मोहम्मद नि० देह के ऊपर 560 तथा निष्पादन व्यय 5 लगाया जाता है प्रपत्र 49 ग जारी हो पत्रावली की कार्यवाही निक्षेप की जाती है।

ह०/-

तहसीलदार सदर

वाराणसी

12-2-92

नत्थी 'छ'

(देखिये ता० प्र० सं० 103 का उत्तर पीछे पृष्ठ 59 पर)

देवरिया जनपद के अन्तर्गत नगरपालिका/टाउन एरिया को माह अप्रैल, 92 से जून, 92 तक आवंटित किये गये गेहूं, चावल तथा मिट्टी तेल का विवरण

नगर पालिका/टाउन का नाम	अप्रैल			मई			जून		
	गेहूं (कु० में)	चावल (कु० में)	मि० तेल (किलो लीटर में)	गेहूं (कु० में)	चावल (कु० में)	मि० तेल (किलो लीटर में)	गेहूं (कु० में)	चावल (कु० में)	मि० तेल (किलो लीटर में)
देवरिया नगरपालिका	1000	1000	133	1370	1170	133	1000	900	133
पडरौना ,, ,,	500	500	52	500	500	52	360	350	52
बरहज ,, ,,	240	240	30	240	240	30	250	220	30
गौरी बाजार टाउन एरिया	—	—	11	—	—	11	100	100	11
रामपुर कारखाना ,,	—	—	10.9	—	—	10.9	—	—	10.9
कसया ,,	120	120	19.8	120	120	19.8	—	—	19.8
खड्डा ,, ,,	—	—	16.6	—	—	16.6	100	100	16.6
सेवरही ,, ,,	—	—	25	—	—	25	100	100	25
रामकोला ,, ,,	—	—	16	—	—	16	—	—	16

अतारांकित प्रश्न

कप्तानगंज	,,	,,	—	—	14	—	—	14	100	100	14
हाटा	,,	,,	—	—	15	—	—	15	—	—	15 (पन्द्रह)
सालेमपुर	,,	,,	—	—	18	120	120	18	100	100	18
भागलपुर	,,	,,	—	—	8	—	—	8	—	—	8
भाटपाररानी	,,	,,	120	120	28	120	120	28	—	—	28
भटनी	,,	,,	—	—	25	—	—	25	100	100	25
मझौली राज	,,	,,	—	—	19	—	—	19	—	—	19
लार	,,	,,	—	—	30	—	—	30	100	100	30
रुद्रपुर	,,	,,	210	210	36	210	210	36	—	—	36

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये ता० प्र० सं० 137 का उत्तर पीछे पृष्ठ 73 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1992 के पहले गुरुवार के लिये निर्धारित श्री गामा राम शास्त्री, सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अता०प्र० संख्या–137 का संलग्नक

राष्ट्रीय मार्ग-28, लखनऊ–गोरखपुर मार्ग के कि० मी०–6 से 15 के सुदृढ़ीकरण का कार्य हेतु वर्ष 1987 में जाब संख्या–028 यू०पी० 87102 के अन्तर्गत विभिन्न एजेन्सियों से प्राप्त निविदाओं का विवरण।

क्र०सं०	एजेन्सी का नाम	दरें			
		टेक कोट रु० प्रति वर्ग मी०	75 मि०मी० बी० एम० रु० प्रति घन मी०	50 मि०मी० बी० एम० रु० प्रति घन मी०	20 मि०मी० एस० डी० सी० रु० प्रति धन मी०
1.	मेसर्स वी० पेट्रोल एण्ड कम्पनी	2.50	1210.00	1220.00	32.00
2	मेसर्स नागिया कन्सट्रक्शन (इण्डिया) प्रा० लिमिटेड	2.35	950.00	950.00	23.00
3	मेसर्स सत्य प्रकाश एण्ड ब्रदर्स	2.30	860.87	870.87	21.50

नत्थी 'झ'

(देखिये ता० प्र० सं० 164 का उत्तर पीछे पृष्ठ 86 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1992 के पहले गुरुवार के लिये निर्धारित श्री छोटे लाल यादव द्वारा पूछे गये अता०प्र० संख्या–164 का संलग्नक

श्री चन्द्र देव राय, सहायक अभियन्ता (सिविल) के ए०सी०आर० फोल्डर में अंकित प्रतिकूल प्रविष्टियों/दण्डादेशों की स्थिति ।

क्र०सं०	प्रतिकूल प्रविष्टि का वर्ष
1	75–76
2	76-77
3	77-78
4	89-90

क्रम सं०	दण्डदेशों की स्थिति
1	मुख्य अभियन्ता (व्यव०-क-वर्ग) के कार्यालय ज्ञाप सं०–234 ई ए/311 ई ए/73 दिनांक 22-9-79 द्वारा वर्ष 75-76 की वार्षिक गोपनीय आख्या में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित करने के आदेश दिये गये ।
2	शासनादेश सं०–1626(111)/23-6-ई एम/80 दिनांक 8-5-1981 द्वारा चेतावनी देते हुये वर्ष 80-81 की गोपनीय आख्या में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित करने के आदेश दिये गये ।
3	परिवाद वर्ग के कार्यालय ज्ञाप सं०-10277ईएफ/सी–87ईएफ2099/79 दिनांक 6-12-83 द्वारा निंदित किये गये जाने के आदेश दिये गये ।
4	परिवाद वर्ग के कार्यालय ज्ञाप सं०–102778 ईएफ/सी–87ईएफ-2099/79 दिनांक 5-12-1983 द्वारा निंदित किये गये जाने के आदेश दिये गये ।
5	परिवाद वर्ग के कार्यालय ज्ञाप सं०–10243 ईएफ/सी–87ईएफ–2099/79 दिनांक 5-12-1983 द्वारा एक वेतन वृद्धि अस्थाई रूप से रोके जाने के आदेश दिये गये ।
6	शासनादेश सं०–4135(1)/23-6-21(3)ई एम/83 दिनांक 25-10-1986 द्वारा वर्ष 80-81 का सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र रोकने तथा वर्ष 1986-87 की गोपनीय आख्या में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित करने के आदेश दिये गये ।
7	शासनादेश सं०–8493/23-6-21(3) ई एम/82 दिनांक 8-8-1991 द्वारा निलम्बित किये जाने के आदेश ।

नत्थी 'अ'

(देखिये ता० प्र० सं० 179 का उत्तर पीछे पृष्ठ 92 पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या-179 का संलग्नक

सूची

सर्वश्री

1–अवध बिहारी
2–उमेश कुमार
3–कृष्ण कुमार
4–कैलाश बिहारी लाल
5–किशोर
6–कुसुमी
7–गंगाधर
8–गिरधारी लाल
9–चन्द्र प्रकाश
10–जीतपाल
11–मु० जगरानी
12–झूमक लाल
13–देवतादीन
14–धरम पाल
15–धर्मेन्द्र
16–ननकाई
17–मु० नाथादेवी
18–प्रेमराज
19–प्रेम नरायन
20–प्रदीप कुमार
21–परमेश्वर
22–फगुवा
23–बुद्धू
24–बड़का
25–बिन्दा
26–भरोसा
27–भजना
28–भिखरिया
29–माता प्रसाद
30–मोहन लाल
31–मंगलिया
32–मैकू
33–मंगलिया पुत्र दर्शन
34–मु० रमपतिया
35–राम राज
36–राम प्रसाद
37–राम प्यारे
38–राम दयाल
39–रामराज
40–रामधनी
41–रामआधार
42–रामसरदार
43–रामकिशुन
44–रामअवतार
45–रामविशाल
46–रामबिहारी
47–रामकुमार
48–श्रीमती रामकली
49–रामविशाल पुत्र पंचा
50–रामसेनेही
51–रामप्यारे
52–रज्जन
53–रामदैयला
54–रामलाल

55–रमेश
56–रामराज
57–राम खेलावन
58–मु० रीता देवी
59–रामस्वरूप
60–रामकिशोर
61–राम सुमेर
62–राम सजीवन
63–लक्ष्मी नारायण
64–लक्ष्मी शंकर
65–श्याम लाल
66–शिव बालक
67–श्याम लाल पुत्र संवनिया
68–श्रीमती शिवकली
69–शिव शंकर
70–शम्भूदयाल
71–शिवनाथ
72–शंकर
73–शिवमोहन
74–शिवलाल
75–सुदद्दू
76–रामविलास सिंह
77–सुमेर
78–सम्पतिया
79–सोहनलाल

सत्यमेव जयते

पी०एस०यू०पी०–एल० 314 वि० सभा–(535)–1993–572 (डी० टी० पी०)।